लोक सभा

शुक्रवार,
१० सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०५, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६. ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

———

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

———

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७ १२४३—१२८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ . १२८६—१२९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible] . . . . १२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . . १३१५—१३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५ . . . . . . १३५९—१३७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ . १३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९ १३९३—१४४२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ १४४२—१४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . . १४४६—१४६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११ १४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक सभा

शुक्रवार, १० सितम्बर १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मलेरिया विरोधी सहायता

*६९८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना के अधीन सन् १९५३ में पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी गई थी ; तथा

(ख) सन् १९५३ की समाप्ति तक उक्त राज्य में कितनी प्रगति हुई ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**.

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि पंजाब में चार मलेरिया नियंत्रण एकक काम कर रहे हैं मैं जान सकता हूं कि इन एककों के मुख्यालय कहां ह, और क्या वे पंजाब के किसी विशेष खण्ड में काम कर रहे हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर: वह एकक किन इलाकों में काम कर रहे हैं इस के लिये माननीय सदस्य को सम्बद्ध राज्य से पूछना होगा किन्तु उन के पास चार एकक अवश्य हैं । मुझे मालूम है कि एक एकक करनाल के समीप काम कर रहा है, उदाहरणार्थ, जहां पर लोगों को मलेरिया होने के किसी भय के बिना ११,३२७ एकड़ भूमि में धान की खेती की गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : नौ लाख से अधिक कमरों में जहां डी० डी० टी० छिड़की गई थी, कितने कमरे गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और कितने कमरे नगरीय क्षेत्रों के हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर: यह समस्त एकक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या पंजाब के पहाड़ी ज़िलों—होशियारपुर, कांगड़ा और गुरदासपुर आदि— की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया हैं, क्योंकि इन जिलों में मलेरिया बहुत अधिक होता है ?

राजकुमारी अमृतकौर : ज़िलों को चुनने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है ।

लेबोंग डाकघर

*७००. **श्री बर्मन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जून १९५० में भूमि के अत्यधिक खिसकने के कारण लेबोंग डाकघर और दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल) स्थित कर्मचारियों के क्वार्टरों को क्षति पहुंची थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उस समय से डाकघर तथा कर्मचारियों के क्वार्टर अरक्षित तथा असुरक्षित घोषित कर दिये गये हैं और डाकघर को किसी अधिक सुरक्षित स्थान पर हटा देने का विचार किया गया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वाटर इतनी बुरी तरह टूट गये थे कि उन की मरम्मत नहीं की जा सकती थी, और उन्हें अरक्षित घोषित कर दिया गया है । क्लर्कों के क्वार्टरों को थोड़ी क्षति पहुंची थी । डाकघर की इमारत और उप-पोस्टमास्टर के क्वार्टर को कोई क्षति नहीं पहुंची थी । परन्तु केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के अधिकारियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि समस्त डाकघर और कर्मचारियों के क्वार्टरों को अधिक सुरक्षित स्थान पर फिर से बनाया जाना चाहिये ।

(ग) एक भूखण्ड चुन लिया गया है और रक्षा विभाग से इसे अधिग्रहण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । इस स्थान को लेने के पश्चात् नवीन इमारत के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा ।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि जून १९५० में दार्जिलिंग में कई इमारतें गिर गई थीं और इस के परिणामस्वरूप कई व्यक्ति मर गये थे ? यद्यपि डाकघर की इमारत और उस के कर्मचारियों के क्वार्टर, विभाग द्वारा अरक्षित घोषित कर दिये गये थे, तो क्या कारण है कि अभी तक उस स्थान का चुनाव नहीं किया गया है, जहां उन को हटा कर ले जाना है और न क्वार्टर ही बनाये गये हैं ? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों को भूमि के खिसकने के परिणामस्वरूप क्षति पहुची थी और समस्त डाकघर तथा कर्मचारीवर्ग को अस्थायी रूप से सेना की इमारतों में हटा दिया गया था । तत्पश्चात्, निरीक्षण के बाद, यह सलाह दी गई थी कि डाकघर और उप-पोस्टमास्टर के क्वार्टर पुरानी इमारतों में ही भेज दिये जायें क्योंकि उन इमारतों में कुछ भी खराबी नहीं हुई थी । इस के बाद, हमें परामर्श दिया गया कि अधिक सुरक्षा और अभय के निमित्त हमें इन को स्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर बदल देना चाहिये । अब वह स्थान अधिग्रहीत किया जा रहा है और जैसे ही वह मिल जायगा तुरन्त ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा ।

श्री बर्मन : स्थान अधिग्रहण करने में कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : हम ने एक स्थान पसन्द किया था । समस्त क्षेत्र सैनिक अधिकारियों के अधिकार में हैं और हम उन की सहमति के बिना स्थान अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं । अतः वह स्थान सैनिक अधिकारियों द्वारा पसन्द नहीं किया गया । अब हम ने दूसरा स्थान पसन्द किया है और उसे उन की स्वीकृति लेने के लिये उन को दे दिया है ।

खगोल विद्या सम्बन्धी वेधशालायें

*७०१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के किसी विश्वविद्यालय ने खगोल विद्या सम्बन्धी वेधशाला की स्थापना के लिये कुछ कार्यवाही की है ; जैसा कि खगोल विद्या सम्बन्धी स्थायी सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो वे विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं ; तथा

(ग) क्या केन्द्र द्वारा इस कार्य के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है या दी जाने की प्रस्थापना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। जहां तक सरकार को विदित है किसी भी विश्वविद्यालय ने खगोल विद्या सम्बन्धी वेधशाला की स्थापना के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ।

(ग) अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है । यदि कोई विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता के लिये आवेदन करेगा, तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या खगोल विद्या सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें विभिन्न विश्वविद्यालयों के पास भेजी गई थीं, और जब वे भेजी गई थीं तब विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रियाऐं हुई थीं ?

श्री राज बहादुर : खगोल विद्या संबंधी सलाहकार बोर्ड ने अप्रैल १९४९ और पुनः सितम्बर १९५१ में विश्वविद्यालयों के मुख्यालयों में खगोल विद्या सम्बन्धी वेधशालाओं की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया था, और वे सिफारिशें पुनः प्रेषित कर दी गई थीं और सम्बद्ध शिक्षा विभागों के पास पड़ी हुई हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों से यह पूछने का कष्ट करेगी कि क्या वे ऐसा करने की प्रस्थापना करते हैं ?

श्री राज बहादुर : शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों से बोर्ड की इस सिफारिश पर विचार करने के लिये निवेदन करता रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या किसी प्राईवेट संस्था ने अनुदान की मांग की है और क्या उन को अनुदान दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार को इस बात की खबर है कि दिल्ली की जन्तर मन्तर की आबज़र्वेटरी (वेधशाला) बुरी हालत में है और उस की रक्षा नहीं हो रही है ?

श्री राज बहादुर : उस का सम्बन्ध इस मंत्रालय से नहीं है, उस का भिन्न मंत्रालय से सम्बन्ध है ।

गठिया जैसे रोगों का आपात

*७०२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या गठिया जैसे रोगों के आपात को कम करने के लिये कोई विशिष्ट निरोधक उपायों को खोज निकालने के हेतु सरकार के कहने पर कोई गवेषणा कार्य किया जा रहा है, और यदि हां, तो किस संस्था द्वारा ; तथा

(ख) इन बीमारियों से होने वाली असमर्थता को रोकने के लिये क्या उपशमन करने वाले इलाज के अतिरिक्त कोई और इलाज भी खोज निकाला गया हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) जी, हां । भारत चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा ।

(ख) अभी तक कोई सन्तोषजनक इलाज मालूम नहीं किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने इस समय भारत की कार्यक्षमता को इस रोग के कारण होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी, नहीं । कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह कहा गया है कि यह रोग हृदय पर प्रभाव डालता है, क्या उन वास्तविक स्थितियों को, जिन के अधीन इस रोग का आपात अधिकाधिक हो रहा है, जानने के लिये विशेष रूप से कोई गवेषणा करने का आदेश दिया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : वह गवेषणा कार्य, जिस के लिये यह धन दिया गया था, लखनऊ और बम्बई में किया गया था, और कतिपय परिणाम निकाले गये थे, किन्तु जैसा कि मैं ने कहा है, कोई वास्तविक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ; और निस्सन्देह, यह सर्वविदित है कि यह रोग हृदय पर प्रभाव डालता है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि जैसा कि सरकार ने राजयक्षमा के सम्बन्ध में अनुमान लगाया है कि इस के आपात के कारण १० करोड़ काम के घण्टे नष्ट होते हैं, क्या सरकार गठिया जैसे रोगों के कारण होने वाली वास्तविक हानि को ज्ञात करने का विचार रखती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस समय सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं ह परन्तु मैं इस के लिये अवश्य ही प्रयत्न करूंगी कि क्या कुछ किया जा सकता है ।

रेलगाड़ी में विस्फोट

*७०३. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गोरखपुर के समीप चलती गाड़ी में ३१ मार्च, १९५४ को हुए विस्फोट के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों ने अपनी जांच समाप्त कर ली है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन की उपपत्तियां क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ; सरकारी रेलवे इन्स्पैक्टर द्वारा जांच पूरी कर ली गई है ।

(ख) उस की उपपत्ति यह है कि दुर्घटना गाड़ी के एक डिब्बे में ज़िला पुलिस के सिपाहियों द्वारा ले जाये जा रहे विस्फोटक पदार्थों के धड़ाके के कारण हुई थी ।

श्री डाभी : क्या इस विस्फोट के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : इस विस्फोट के लिये पुलिस के सिपाही उत्तरदायी थे, और वे धड़ाके में उड़ गये ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जान सकता हूं कि .....

अध्यक्ष महोदय : हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

श्री डाभी : एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : संसद का समय नष्ट करना उचित नहीं है ।

श्री डाभी : क्या कोई . . . . ,

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति यह जो कुछ भी है, एक अकेली घटना है, और ऐसी घटनायें हुआ ही करती हैं ।

श्री झूलन सिंह ।

खाद्य तथा कृषि संगठन

*७०५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्बन्ध में भारत में जिस दिनांक तक आंकड़े उपलब्ध हों तब तक कितना व्यय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भारत सरकार ने पत्री वर्षों १९४५ से १९५३ तक के लिये अपने वार्षिक अंशदान के लेखे में खाद्य तथा कृषि संगठन को ५४,९४,०६५ रुपये की धनराशि दी है ।

श्री झूलन सिंह : इस देश ने इस संस्था के अपने सहयोग पर जितनी धन-राशि व्यय की है क्या उसी के अनुरूप उस ने लाभ प्राप्त किया है ?

श्री किदवई : जब कभी भी आवश्यकता होती है हम उस से सहायता मांगते रहे हैं ।

श्री झूलन सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि क्या हमें उस पर हमारे द्वारा व्यय की गई राशि के अनुरूप सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री किदवई : सभी सदस्यों को समा-नपातिक सहायता नहीं मिल सकती है, लेकिन संभव है कि हमें अपने अंशदान की अपेक्षा अधिक सहायता प्राप्त हुई हो ।

श्री नानादास : हमें इस संगठन से किस प्रकार की सहायता मिली है ?

श्री किदवई : जिस प्रयोजन से इस संगठन की स्थापना हुई है उसी प्रकार की सहायता हमें प्राप्त होती है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का तात्पर्य यह है कि क्या वह प्राप्त हुई सहायता के क़िस्म का निर्देश कर सकते हैं ?

श्री किदवई : प्रत्येक वर्ष हमें कुछ सहायता प्राप्त होती है, और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उन्हें उन सब मदों की सूची भेज सकता हूं जिन के सम्बन्ध में हमें पहले सहायता मिल चुकी है तथा भविष्य में मिलेगी । (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम अगले प्रश्न को लेते है ।

अमेरिकन पर्यटक

*७०६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से जून १९५४ तक भारत आने वाले अमेरिकन पर्यटकों की क्या संख्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : यह संख्या ४,४६१ है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या इन पर्यटकों द्वारा रेलों तथा दर्शनीय स्थानों में पथ-प्रदर्शकों के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायत की गई थीं ?

श्री शाहनवाज खां : हमें इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या जब अमेरिकन तथा अन्य विदेशी पर्यटक काश्मीर तथा अन्य स्थानों के पूर्ण विस्तृत चित्र लेते हैं तो क्या वे परिवहन मंत्रालय से इस की अनुज्ञा प्राप्त करते हैं, और जब ऐसी अनुज्ञा दी जाती है तो क्या गृह मंत्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से परामर्श लिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : चित्र खींचने की अनुज्ञा देने से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

दीवान राघवेन्द्र राव : भारत के किन राज्यों ने अधिकांश पर्यटकों को आकर्षित किया है ?

श्री अलगेशन : यह तो सभी जानते ह ।

कुमारी एनी मस्करीन : वे पर्यटन के निमित्त भारत में कितने दिनों ठहरते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह व्यक्तिगत मामलों में भिन्न-भिन्न है ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या इन पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की कोई झांकी दिये जाने का भी प्रयत्न किया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : अवश्य, हम सांस्कृतिक पक्ष का भी खूब प्रचार करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न !

श्री बी० एस० मूर्ति : किन तरीकों का उपयोग किया जाता है ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, अगला प्रश्न ।

पूर्वी रेलों पर दावे

*७०७. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे पर बहुत से व्यापारियों के दावे बहुत समय से निलम्बित पड़े हुए है ;

(ख) ३१ मार्च, १९५४ तक ऐसे निलम्बित मामलों की संख्या ; तथा

(ग) सरकार इन दावों के शीघ्र निपटारे की क्या व्यवस्था कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) ३१-३-५४ को निलम्बित दावों के मामलों की कुल संख्या २२,०८१ थी, जिन में से १,४६५ मामले ६ महीने से अधिक पुराने थे ।

(ग) प्रत्येक मास दावों के निलम्बित मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाता है तथा पुराने मामलों के विशेष रूप से अन्तिम निर्णय किये जाने के लिये विशेष कार्यवाही की जाती है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या इन पुराने निलम्बित दावों के सम्बन्ध में पूर्वी रेलवे के बिलासपुर के प्रादेशिक केन्द्र के व्यापारियों द्वारा कोई प्रतिनिधान किया गया है, और यदि हां, तो इस पर क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे विशेष रूप से बिलासपुर के बारे में ज्ञात नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच नहीं है कि प्रमख लोगों के क्लेम्स का जल्दी से जल्दी तस्फ़िया हो जाता है और दूसरे लोगों के मामले में काफी देर होती है ?

श्री शाहनवाज खां : हर एक क्लेम का फ़ैसला उस क्लेम की नवैयत के मुताबिक़ होता है और हम कभी किसी क्लेम में कोई इम्त्याज़ नहीं करते हैं ।

हवाई अड्डा परामर्शक समिति

*७०८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हवाई अड्डा परामर्शक समिति की १९५४ में कितनी बैठकें हुईं ; तथा

(ख) समिति ने वायु यातायात सम्बन्धी समस्याओं को सुलझान में कितनी सहायता की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक ।

(ख) समिति ने असैनिक उड्डयन के महानिदेशक को वायु परिवहन में अपेक्षित सुविधाओं में सुधार करने की योजनायें बनाने तथा उड्डयन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों द्वारा अनुभव की गई ठोस कठिनाइयों का निवारण करने में आवश्यक कार्यवाही करने में सहायता दी है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : समिति द्वारा किस प्रकार की सलाह दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बता दिया गया है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*७०९. **श्री नानादास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत सरकार ने अपनी पड़ती भूमि के कृषिकरण के लिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के ट्रैक्टरों को काम में न लाने का निश्चय किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) कुछ समय पूर्व मध्य भारत सरकार ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सेवाओं का उपयोग न करने का निश्चय किया था किन्तु बाद को वह राज्य में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कार्यकरण को जारी रखने को राजी हो गई है ।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार कृषिकरण के कार्य को केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा ली जाने वाली लागत कृषकों को स्वीकार नहीं थी। उन्हों ने यह भी बताया कि यदि वे कृषकों से उन के द्वारा स्वीकृत लागत को लें, तो राज्य सरकार को भारी हानि होगी कृषकों को कृषिकरण की लागत को देने की अनिच्छा का कारण खाद्यान्नों के मूल्य में कमी हो जाना है ।

श्री नानादास: विभिन्न प्रकार के कृषिकरण के लिये प्रति एकड़ ली जाने वाली लागत क्या है ?

श्री किदवई: मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य ने इस लागत की किस लागत से तुलना की है ?

श्री नानादास: मैं कांस वाली भूमि की, जंगल साफ करने की तथा पड़ती भूमि के कृषिकरण की प्रति एकड़ लागत जानना चाहता हूं ।

श्री किदवई: विभिन्न प्रकार के कृषिकरण के लिये विभिन्न लागतें हैं। दो वर्ष पूर्व औसत लागत ५२ रुपये प्रति एकड़ अथवा प्रति घंटा थी। किन्तु जैसा कि कार्यकरण की लागत से प्रगट हुआ इस से हानि होती थी, इसलिये पीछे उसे बढ़ा कर ६२ रुपये अथवा ६३ रुपये कर दिया गया था—मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। फिर हमने इसे घटाने का प्रयत्न किया। पिछले वर्ष के कार्यकरण में उस के पूर्व के वर्ष के कार्यकरण की अपेक्षा सुधार हुआ। इसलिये पिछले वर्ष के कार्यकरण की लागत ५१ रुपये प्रति एकड़ अथवा प्रति घंटा रही। इस वर्ष हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यकरण में अग्रेतर सुधार होगा। तथा लागत ५० रुपये से कुछ कम ही होगी, तथा ५८ रुपये अथवा उस के आसपास होगी इस प्रत्याशा में हम ने दर ४५ रुपये नियत कर दी है। इस का अर्थ यह है कि यदि लागत ४५ रुपये से कुछ ऊपर हुई तो हमें कुछ राजकीय सहायता देनी पड़ेगी ।

श्री नानादास: क्या कोई निजी जमींदार केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक हैं ?

श्री किदवई: हम सदैव राज्य सरकारों के द्वारा कार्य करते हैं । हम सीधे ही कृषक से सम्बन्ध नहीं रखते हैं ।

श्री सैयद अहमद: क्या सरकार का विचार इन नई दरों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का है ?

श्री किदवई : नहीं ।

सर्पासिल औषधि

***७१०. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या अमेरिकन डाक्टरों ने सर्पासिल नाम की औषधि के, जोकि एक भारतीय जड़ी से बनाई जाती है, प्रयोग से मानसिक रोगियों की चिकित्सा में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करने का दावा किया है ; तथा

(ख) क्या इस जड़ी का प्रयोग भारतीय वैज्ञानिकों को भी ज्ञात है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, किन्तु एक संवाद कि अमेरिकन डाक्टर इस औषधि के प्रयोग से अच्छे परिणामों पर पहुंच रहे हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

(ख) हां ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि इस रिपोर्ट के प्रेस में प्रकाशित होने के पश्चात क्या यह जानने का कि यह जड़ी क्या है और यह कहां पैदा होती है कोई प्रयत्न किया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस जड़ी से हम भली भांति परिचित हैं। बहुत वर्षों से यह भारतीय औषधीय ग्रंथ में सम्मिलित है, और इस का भारत में विस्तृत पैमाने पर प्रयोग किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : भारत में इसे किन प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किया जाता है ?

राजकुमारी अमृतकौर : यह अतिशय मानसिक विकार के मामलों में काम में लाई जाती है ।

वायु दुर्घटनायें

***७११. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५४ तक कितनी वायुयान दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) क्या सरकार को इस अवधि में हुई तमाम वायु दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं ;

(ग) क्या रिपोर्टों के निरीक्षण से इन वायु दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी किसी सामान्य कारण का पता चला है ;

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मरे, कितने घायल हुए, और सरकार तथा जनता को इन के परिणामस्वरूप कितनी हानि उठानी पड़ी ; तथा

(ङ) इन दुर्घटनाओं के कारणों को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गय हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १२ ।

(ख) आठ दुर्घटनाओं की जांच की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं, अभी शेष चार दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है ।

(ग) जांच की गई आठ दुर्घटनाओं में पांच दुर्घटनायें तो उड्डयन क्लबों के प्रशिक्षण के लिये उड़ाये जा रहे वायुयानों की हुई

एक दुर्घटना उड्डयन क्लब के एक वायुयान को हुई, जिस में दिल बहलाने के लिये उड़ान की जा रही थी। एक दुर्घटना पूना ग्लाईडिंग केन्द्र के एक ग्लाईडर को हुई और आठवीं दुर्घटना एक व्यापारिक वायुयान को हुई जो कि अनुसूचित उड़ान पर उड़ रहा था। अधिकांश दुर्घटनाओं का यही कारण था कि चालक किसी भी आपद्कालीन आवश्यकता का, जिस का उसे सामना करना पड़ा, सामना करने में असमर्थ रहा था।

(घ) मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ङ) अभी तक जांच किये गये अधिक मामलों में, जैसा कि भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है, दुर्घटनायें उड्डयन क्लब के उन वायुयानों से सम्बन्धित थीं जिन्हें ऐसे व्यक्ति चला रहे थे, जो अभी प्रशिक्षणाधीन थे। फिर भी सरकार ने पूर्णरूपेण तथा सर्वाधिक जांच और निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था की है ताकि विशेषतया आपद्काल में और बुरे मौसमों में, चालकों की क्षमता का एक उच्च प्रमाप सुनिश्चित किया जा सके। चालकों की "ख" अनज्ञप्तियों के नवीकरण के समय इन जांच रिपोर्टों को काम में लाया जाता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : इन में कितनी दुर्घटनायें इंजन में बिगाड़ हो जाने के कारण हुई थीं ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से अभी तक इनमें से केवल एक दुर्घटना इंजन में बिगाड़ हो जाने के कारण हुई।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितना प्रतिकर दिया जा चुका है, और अभी तक कितने दावे लम्बित हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक उन दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है जिन के सम्बन्ध में जांच की जा चकी है, मैं ने निवेदन किया था कि उन में से अधिकांश दुर्घटनायें उड्डयन क्लबों के वायुयानों को हुईं। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में, जैसा कि सर्वविदित है, आन्तरिक एयर लाइन्स इन दुर्घटनाओं के लिये तब तक प्रतिकर देने के लिये उत्तरदायी नहीं हैं जब तक कि वह मामला किसी व्यक्ति को या उस की सम्पत्ति को हानि पहुंचने से सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत न आये।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या १९५३ की तुलना से १९५४ में दुर्घटनाओं में कमी हुई है अथवा वृद्धि ?

श्री राज बहादर : मेरे विचार में, भगवान की कृपा से कमी ही रही है।

श्री कर्णी सिंह जी : क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण चालकों द्वारा की गई ग़लती बताया जाता है, तो क्या सरकार सन्तुष्ट है कि चालकों पर लगाये गये चिकित्सकीय नियंत्रण सन्तोषजनक हैं ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य मेरे वक्तव्य में यह देखेंगे कि मैं ने पहले ही कह दिया है कि अधिकतर दुर्घटनायें प्रशिक्षणार्थियों को, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे हुई थीं। वास्तव में, प्रशिक्षण के समय कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाओं को पूर्णतया नियंत्रित नहीं कर सकता है।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

***७१२. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति कब तक अपना कार्य समाप्त कर के सरकार को प्रतिवेदन भेज देगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सरकार को पता चला है कि

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति अपने कार्य को अगले आय-व्ययक सत्र तक समाप्त कर लेने की आशा करती है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक : रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने अब तक कौन-कौन से स्थानों का दौरा किया है तथा अभी तक कितना कार्य समाप्त कर लिया है ?

श्री अलगेशन : अभी तक समिति नें कोई ५० बैठकें की हैं और दक्षिणी, पश्चिमी केन्द्रीय रेलवेज़ का तथा उत्तरी रेलवे के कुछ भागों का दौरा किया है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक : अगले आय-व्ययक सत्र से पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा कार्य की समाप्ति में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री अलगेशन : अभी उसे अपना काम पूरा करना है । वह मूल्यवान जानकारी एकत्रित कर रही है और जांचें भी कर रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

***७१३. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के श्रमिकों को कम से कम साल में 'दो सप्ताह की छुट्टी वेतन सहित' दिये जाने की सिफ़ारिश को मान लिया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सम्भवतः माननीय सदस्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून १९५४ में स्वीकृत वेतन सहित अवकाश सम्बन्धी सिफ़ारिश (संख्या ९८) की ओर निर्देश कर रही हैं । इस बात पर, कि क्या कार्यवाही की जाये, विचार करने के उद्देश्य से सरकार सिफ़ारिश के उपबन्धों के विस्तृत निरीक्षण में लगी हुई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सरकार को इस सिफ़ारिश के परीक्षण में कितना समय लगेगा ?

श्री आबिद अली : यह सिफ़ारिश अभी पिछले जून में ही की गई थी और हम अपना निर्णय शीघ्र ही कर लेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार उन कार्य घंटों का, जोकि इस प्रकार व्यर्थ जायेंगे और इस सिफ़ारिश के कार्यान्वित के परिणामस्वरूप होने वाली अतिरिक्त उत्पादन लागत का हिसाब लगा रही है ?

श्री आबिद अली : इन सब बातों पर विचार किया जायगा ।

आगरा स्टेशनों पर विश्राम के कमरे

***७१४. चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि आगरा के स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों को आवास स्थान के सम्बन्ध में बड़ी असुविधा का अनुभव करना पड़ता है ; तथा

(ख) क्या सरकार इन स्टेशनों पर विश्राम के कमरे बनाने की कोई प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख)। आगरा क्षेत्र में रेल गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये चार विश्राम के कमरे आगरा छावनी स्टेशन पर और चार आगरा फोर्ट स्टेशन पर बनाने की प्रस्थापना है ।

चौधरी रघुवीर सिंह : मैं जान सकता हूं कि उन के बनाने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस में से कुछ कार्य तो इस

वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा चुका है और कुछ अगले वर्ष के कार्यक्रम में।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अगर यह बात सच है कि आगरा में एक सेन्ट्रल स्टेशन बनाया जा रहा है तो क्या यह रिटायरिंग रूम्स उसी जगह बनाये जायेंगे या अब जहां स्टेशन है वहीं पर बनाये जायेंगे ?

रलवे तथा परिवहन मन्त्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ये दो जगहों पर बनाये जायेंगे। आगरा केंट में और आगरा फ़ोर्ट में। बड़ा स्टेशन तो राजा की मंडी में बनेगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि क्या यात्रियों के इस प्रकार के विश्राम के कमरे बड़े-बड़े मेलों के स्थानों पर जैसा कि सोनपुर का मेला है, बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

कृषि वस्तु विक्रय जांच कार्य

*७१५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कृषि वस्तु विक्रय जांच कार्य के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ; तथा

(ग) योजना की अभिपूर्ति किये जाने की कब तक प्रस्थापना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग)। विक्रय जांच कार्य केन्द्रीय सरकार के अधीन विक्रय निदेशालय का एक मुख्य कर्तव्य है और इसे राज्य सरकारों के साथ मिल कर किया जा रहा है। विभिन्न वस्तुओं के लिये उन की महत्ता और वास्तविकता के आधार पर विशिष्ट योजनायें बनाई गई हैं और एक या दो योजनायें तो सदैव ही कार्यान्वित होती रहती हैं। अतः जांच कार्य तो इस प्रकार से निरन्तर जारी रहने वाला काम है।

श्री विभूति मिश्र : इस स्कीम को किसानों के हित की दृष्टि से सरकार कितनी जल्दी काम में लायेगी ?

श्री किदवई : जब से यह स्कीम चली है, किसानों के हित के लिये ही चली है।

श्री विभूति मिश्र : सरकार इस को किसानों के हित के लिये कितनी जल्दी काम में लाना चाहती है ?

श्री किदवई : यह तो बहुत दिनों से चल रही है और बराबर बढ़ती जायगी।

श्री ए० एम० थामस : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार काजू, मिर्च, हल्दी और पश्चिमी घाटों के अन्य उत्पादनों के प्रमापों को 'एगमार्क' के आधार पर वर्गीकृत करने की किसी योजना को लागू करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री किदवई : यह विषय वस्तु समितियों के जोकि बना दी गई हैं विचाराधीन है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या हमें प्रश्न संख्या ७२० का उत्तर इसी के साथ मिल सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दें। वह क्या चाहते हैं ?

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि प्रश्न संख्या ७२० इसी से सम्बन्धित है अतः दोनों का एक साथ ही उत्तर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन कारखाना, दिल्ली

*७१६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के दिल्ली स्थित कारखाने पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ; तथा

(ख) क्या प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने उक्त कारखाने में हल्के ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के दिल्ली स्थित कारखाने पर किया गया व्यय इस प्रकार ह :—

वर्ष	रुपये
१९५०-५१	१८,५८,९३२
१९५१-५२	१५,२१,५७७
१९५२-५३	१७,१७,२७३

१९५३-५४—अभी तक लेखा संकलित हो रहा है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कार्यकरण के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की विभिन्न सिपारिशों की केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन और सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच की गई है। उन के द्वारा की गई कुछ प्रस्थापनायें इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं । कुछ सप्ताहों में कोई अन्तिम विनिश्चय किये जाने की आशा है । की गई तथा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा दिखाने वाला एक विस्तृत विवरण लोक-सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का दिल्ली में वर्कशाप

*७२०. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के दिल्ली स्थित वर्कशाप में १९५३-५४ में कोई अतिरिक्त भाग बनाये गये थे ;

(ख) उक्त अवधि में बनाये गये अतिरिक्त भागों की संख्या तथा मूल्य क्या है; तथा

(ग) क्या इस वर्कशाप में कोई अन्य निर्माण कार्य भी किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ८० विभिन्न क़िस्मों के भाग बनाये गये थे, सभी क़िस्मों के बनाये गये भागों की कुल संख्या १३,५४१ है । इन भागों का कुल मूल्य ३,४९,३४२ रुपये ७ आने है ।

(ग) अतिरिक्त भागों के बनाये जाने के अतिरिक्त, वर्कशाप द्वारा यह विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य और भी किये जाते हैं :—

(१) ट्रैक्टरों की सफ़ाई तथा मरम्मत,

(२) मोटर गाड़ियों की सफ़ाई तथा मरम्मत,

(३) मोटर गाड़ियों, ट्रैक्टरों तथा हलों के लिये औज़ारों तथा गाड़ियों का निर्माण,

(४) इन मशीनों पर रंग रौग़न करना,

(५) टायरों और ट्यूबों की मरम्मत,

(६) शक्तिनियंत्रण एककों, भूमि खोदने वाले यंत्रों, जड़ें उखाड़ने वाले यंत्रों जैसे अन्य उपकरणों की मरम्मत ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया था कि सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइज़ेशन के मातहत यह वर्कशाप जो दिल्ली में काम कर रहा है इस में आदमियों के लिये पूरे साल के लिये काम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस बाक़ी समय में काम के लिये इन्तज़ाम करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री किदवई : काम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि ट्रैक्टरों को दिल्ली मरम्मत के लिये लाने में उस से कहीं ज्यादा खर्चा हो जाता है जितना कि मरम्मत में ख़र्चा होता है ? अगर ऐसा है, तो क्या यह सोचा जा रहा है कि यह वर्कशाप यहां से हटा कर ऐसी जगह रखा जाय जो सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइज़ेशन के काम से ज्यादा दूर न हो ?

श्री किदवई : मगर सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइज़ेशन का काम जहां चलता है वहां से एक साल बाद दूसरी जगह खिसक जाता है। क्या आनरेबुल मेम्बर यह चाहते हैं कि इस वर्कशाप को भी उस के साथ हटाया जाता रहे ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली ऐसा स्थान है जहां से सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइज़ेशन का काम बहुत दूर पड़ता है ? क्या कोई एसा बीच का स्थान नहीं है जहां इस वर्कशाप को हटाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मेरे विचार से अब तर्क वितर्क किया जा रहा है।

श्री किदवई : जी हां, परन्तु इस का उत्तर मेरे पास है।

श्री एम० एल० द्विवदी : क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री **देवेश्वर सर्मा** : अपने उत्तर में, माननीय मंत्री ने प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों का निर्देश किया। मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में, कि प्राक्कलन समिति की किन सिफ़ारिशों को सरकार ने मान लिया है, किन को नहीं माना है, तथा न मानने के कारण क्या हैं, कोई वक्तव्य देने को तैयार हैं ?

श्री किदवई : प्राक्कलन समिति की किसी सिफ़ारिश के सरकार द्वारा माने जाने या रद्द कर दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्राक्कलन समिति ने किन्हीं अनियमितताओं की ओर निर्देश किया था। पहले हमें केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन से, जो अब उन अफ़सरों द्वारा नहीं, जोकि इन घटनाओं के समय कार्य कर रहे थे, अपितु नये अफ़सरों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उस रिपोर्ट में कुछ का समर्थन किया गया था और शेष के लिये स्पष्टीकरण दिया गया है। इस के पश्चात हम ने अपने मंत्रालय के एक सयुक्त सचिव को मामले की देख रेख करने के लिये नियुक्त किया और उस ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। कुछ मामलों का स्पष्टीकरण उस में दिया गया है और शेष के सम्बन्ध में कुछ गलतियां बताई हैं। अब यह मामला विचाराधीन है, और जैसा कि मैं ने निवेदन किया हम सदन के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिस में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाई गई है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : छोटे किस्म के ट्रैक्टर बनाने के लिये जो एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफ़ारिश की थी उस को सरकार

न क्यों रिजैक्ट कर दिया ? क्या किसी दूसरी जगह पर इस के लिये वर्कशाप बनाने की बात सोची जा रही है ?

श्री किदवई : बहुत सी चीज़ें, जैसा कि आनरेबुल मेम्बर कहते हैं हो सकता है कि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दीं या नहीं कर दीं, या बन सकती हैं या नहीं बन सकतीं। ग़ालिबन आनरेबुल मैम्बर ने पढ़ा होगा कि पंजाब में एक वर्कशाप में ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया गया है और अगर ज़रूरत होगी तो दूसरी जगह पर भी बनाने की कोशिश की जायगी लेकिन तजुर्बा आहिस्ता-आहिस्ता होगा ।

अध्यक्ष महोदय: मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । श्री राधारमण ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रश्न संख्या ७२० से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर दे दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि यह कहां तक सच है कि वर्कशाप में बेढ़ंगे तरीके से बनाये गये हल जिन के लिए वह बनाए गए हैं, काम में लाए जाने योग्य नहीं हैं और जिन किसानों ने उनको खरीदा था उन्हें उन को वापस करना पड़ा क्योंकि वे उपयुक्त नहीं पाये गये थे ?

श्री किदवई : यदि माननीय सदस्य किसी विशेष हल या औज़ार का तिर्देशकर रहे हैं, तो मैं जांच करूंगा। परन्तु यह एक बहुत ही व्यापक प्रकार का प्रश्न है ।

श्री बहादुर सिंह : प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि तीन हल बनाये गये थे और वे किसानों द्वारा खरीद लिये गए थे और उन्होंने उनको वापस कर दिया था क्योंकि वे उपयुक्त नहीं पाये गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : वह इन तीन विशिष्ट हलों के सम्बन्ध में जानकारी चहते हैं ।

श्री किदवई : प्रश्न में इस का निर्देश नहीं था और इसलिये मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

दिल्ली परिवहन सेवा

*७१७. **श्री राधारमण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस विशेष कार्य अधिकारी (परिवहन) से, जो कि सरकार को दिल्ली परिवहन सेवा में सुधार करने के प्रश्न पर परामर्श देने के लिये बम्बई से दिल्ली आया था, कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या मुख्य सुझाव दिये हैं ; तथा

(ग) किस सीमा तक उन को कार्यान्वित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). विशेष अधिकारी ने, जिस ने २३ अगस्त, १९५४ को अपना कार्य समाप्त किया, प्राधिकार को बहुत सी टिप्पणियां, जोकि अधिकांशतः दिन प्रतिदिन के व्यौरेवार कार्यसंचालन के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत की हैं और वह प्राधिकार के विचाराधीन हैं ।

श्री राधारमण : मैं जान सकता हूं कि इस अधिकारी को सरकार द्वारा क्या विशेष बातें निर्दिष्ट की गई थीं ?

श्री अलगेशन : उससे मितव्ययता करने तथा सेवाओं के संचालन में सुधार करने के प्रश्न की जांच करने को कहा गया था । उस ने सेवाओं के दिन प्रति दिन के कार्यकरण की जांच की और विभिन्न सिफारिशें कीं ।

श्री राधारमण : इस अधिकारी ने कितना समय इस कार्य पर लगाया और इस रिपोर्ट पर परिवहन मंत्रालय द्वारा कार्यवाही किये जाने की आशा है ?

श्री अलगेशन : इस रिपोर्ट को देने में उसे कोई चार मास का समय लगा और उस की सभी सिफ़ारिशों पर इस समय प्राधिकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री राधारमण : क्या इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में कुछ व्यय होगा और क्या इस सम्बन्ध म उस ने कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री अलगेशन : वित्तीय आलेपन क्या होंगे यह बताना मेरे लिये समय से बहुत पूर्व की बात है । परन्तु उन की प्राधिकार द्वारा सूक्ष्म जांच की जायेगी ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली यातायात सेवा सात और आठ टन की बसें चला रहा ह, क्या उन सिफ़ारिशों में बस को चलाने में होने वाले शारीरिक श्रम के अनुसार मजूरी का भगतान करने, कंडक्टरों और ड्राइवरों दोनों को, की किसी प्रस्थापना का समावेश किया गया है ?

श्री अलगेशन : इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

मलेरिया नियंत्रण प्रचार सप्ताह

*७२२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये जून १९५४ के पहले या दूसरे सप्ताह में मलेरिया नियंत्रण प्रचार सप्ताह मनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) मलेरिया नियंत्रण प्रचार सप्ताह जून १९५४ के दूसरे सप्ताह में मनाया गया था ।

(ख) एक विवरण, जिस में यह जानकारी दी हुई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८**]

श्री भागवत झा आजाद : इस प्रकार के प्रचार सप्ताह अथवा राष्ट्रीय नियंत्रण योजना से देश में मलेरिया की घटनाओं में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जहां कहीं कभी मलेरिया एककों ने कार्य किया है मलेरिया की घटनाओं में काफ़ी कमी हुई है । प्रचार के परिणाम को आंकना कठिन है ।

श्री भागवत झा आजाद : हमें जो विवरण दिया गया है उस में लिखा है कि आकाशवाणी तथा प्रैस और अन्य सभी साधनों द्वारा प्रचार किया गया था । ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आकाशवाणी और प्रचार पुस्तिकायें इत्यादि नहीं पहुंच सकतीं वहां अन्य साधनों द्वारा लोगों को शिक्षा देने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : जहां कहीं मलेरिया एकक कार्य कर रहे हैं वहां एककों में काम करने वाले व्यक्ति लोगों को सिखाने के लिये काफी प्रचार कर रहे हैं । इस के अतिरिक्त चलते-फिरते औषधालय भी जा कर लोगों को मलेरिया के बारे में बताते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उत्तरी बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी जहां इन दिनों मलेरिया के कारण बहुत लोग मर रहे हैं इस प्रकार के प्रचार सप्ताह मनाने का सरकार का विचार है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे इस में सन्देह नहीं कि बिहार भी इस विषय में काफी कुछ कर रहा है ।

श्री गिडवानी : इस देश में कितने लोगों को मलेरिया होता है । क्या इस विषय में कोई आंकड़े एकत्र किये गये हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन से प्रव्रजन

*७२४. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बहुत से परिवार देश के दूसरे भागों को प्रव्रजन करना चाहते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का योजना काल में इस उद्देश्य के लिये कोई उपनिवेश बसाने की योजना बनाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि कई भूमिहीन श्रमिक तथा उन के परिवार देश के दूसरे भागों में प्रव्रजन करने के लिये तैयार हैं । हाल ही में प्रयोगात्मक रूप से इन परिवारों में से १०० परिवारों को यंत्रों द्वारा खेती किये जाने वाले भोपाल स्थित केन्द्रीय फार्म में पुनःसंस्थापित करने के लिये चुना गया है ।

श्री अच्युतन : क्या त्रावनकोर-कोचीन के और बहुत से परिवारों को मध्य व उत्तरी भारत में बसाने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार की कोई योजना है ?

श्री किदवई : मैं ने बताया है कि हम ने प्रयोगात्मक रूप से १०० परिवार चुने हैं और हम उन्हें भोपाल में बसा रहे हैं । यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो हम उन्हें देश के दूसरे भागों में भी जहां कहीं भूमि उपलब्ध होगी बसाने का यत्न करेंगे ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को विदित है कि त्रावनकोर-कोचीन की जनसंख्या एक हजार प्रति वर्ग मील से भी अधिक घनी है । और शिक्षित वर्ग में बेकारों की संख्या बहुत अधिक है और क्या सरकार इस स्थिति पर गम्भीरता से ध्यान देगी अन्यथा ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री वेलायुधन ।

श्री वेलायुधन : अब जो १०० परिवार चुने जा रहे हैं क्या वे भूमिहीन श्रमिकों में से होंगे या केवल कृषकों में से ?

श्री किदवई : जैसा कि मैं ने बताया उन्हें कृषि फ़ार्म पर बसाया जा रहा है । अतः वे किसान हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या कोई परिवार अन्डेमान भेजे गये हैं ?

श्री किदवई : सम्भवतः कुछ समय हुआ कुछ परिवारों को भेजा जा रहा था, परन्तु मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है । मैं ने स्वयं यह सुझाव दिया है कि यदि अन्डेमान में हमें भूमि मिल सके तो हम इन में से कुछ लोगों को वहां बसाने का यत्न करें ।

सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

*७२५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी ने हाल ही में एक फ्रांसीसी नौ समवाय के साथ एक टैक्निकल करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय डाक-कार्यालय भवन

*७२७. श्री **नवल प्रभाकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय

डाक-कार्यालय-भवन बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक लगभग ४,०६,००० रुपये व्यय हो चुके हैं । २५,००० रुपये और व्यय होने की आशा है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है ?

श्री राज बहादुर : इस कार्यालय का भवन जैसे ही पूर्णतः तैयार हो जायेगा, उस के बाद जल्दी से जल्दी यह अपना कार्य शुरू कर देगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कार्यालय जिस भूमि पर बन रहा है, वह कितनी कीमत की है ?

श्री राज बहादुर : शुरू में इस की कीमत हम को सिर्फ ५८० रुपये बताई गई थी जबकि वह दी गई थी लेकिन अब, लैण्ड डेवेलपमैण्ट अफसर, देहली ने हम से उस के लिये छत्तीस हज़ार दो सौ रुपया मांगा है ।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

*७३०. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का रेलवे बोर्ड का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था के अन्तर्गत बोर्ड को यदि कोई अतिरिक्त शक्तियां देने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री ए० एम० थामस : पुनर्गठन किस आधार पर किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं माननीय सदस्य से थोड़े दिन ठहरने की प्रार्थना करूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वर्तमान रेलवे बोर्ड में एक और सदस्य लिये जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह सब विचाराधीन है ।

नौवहन समवाय

*७३१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय समवायों ने कितने विदेशी जहाज, जो इस समय भारतीय तट पर काम में लाये जा रहे हैं, किराये पर लिये हुए हैं और उन का वार्षिक किराया क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय नौवहन समवायों ने लगभग ५२,८०० पंजीकृत टन के ग्यारह विदेशी जहाज़ किराये पर लिये हुए हैं, जो इस समय भारतीय तट पर काम में लाये जा रहे हैं । इन जहाज़ों को लेने का वार्षिक किराया लगभग ८० लाख रुपये पड़ता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : अगर ८० लाख ० के सेकेन्ड हैण्ड शिप हम खरीदें, तो हर साल कितने शिप खरीदे जा सकते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह तो जहाज़ों की किस्म पर निर्भर करता है कि वह बड़ा जहाज़ है या छोटा जहाज है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि जो ८० लाख रु० हम फारेन कंट्रीज़ को दे रहे हैं, हायर के रूप में, अगर उस से हम ओल्ड शिप्स खरीदें तो कितने वर्ष में हमारा काम पूरा हो जायगा, क्योंकि हमें ११ शिपों की आवश्यकता है और एक शिप अगर ८ लाख रुपये में आता है, तो क्या एक वर्ष में हमारा काम पूरा हो जायगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह जहाज़ खरीदने का जो काम है वह हमारा नहीं है, यह तो जो प्राइवेट शिपिंग कम्पनीज़ हैं उन का काम है । वह जहाज खरीदती हैं और हम उन्हें मदद देने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि वे खरीदें । आपने देखा है कि पहले २२ जहाज चार्टर किये जाते थे, उन को घटाने की कोशिश हो रही है । वह अब ११ तक आ गये हैं और आगे और भी घटाने की कोशिश है ।

भूमि सुधार सम्बन्धी गवेषणा

*७३२ **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित उन संस्थाओं और शिक्षा-केन्द्रों के नाम, जिन को केन्द्रीय सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी गवेषणा करने के लिये वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) प्रत्येक संस्था को कितनी सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). भूमि सुधार के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य के लिये अब तक जिन संस्थाओं और शिक्षा केन्द्रों को वित्तीय सहायता दी गई है उन के नाम और प्रत्येक को दी गई राशि इस प्रकार है :—

संस्था अथवा शिक्षा केन्द्र का नाम	सहायता की राशि रुपयों में
१. भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समिति, बम्बई	२९,९००-०-०
२. गोखले संस्था, पूना	३०,०००-०-०
३. आंध्र विश्वविद्यालय	३४,५००-०-०
४. नागपुर विश्वविद्यालय	५,०००-०-०
५. एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा	७,०००-०-०
६. उस्मानिया विश्वविद्यालय	२१,०००-०-०

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जितना रुपया गवेषणा के लिये दिया गया उस से जिस काम के लिये वह दिया गया था उस में कौन सा नया तरीका भूमि सुधार के लिये निकला है ?

श्री किदवई : प्लैनिंग कमीशन का खयाल है कि शायद कुछ रिसर्च कराने से नये खयालात मिल सकें इसलिये उन्हों ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लिखा और अब तक जिन यूनिवर्सिटीज़ ने या इन्स्टिट्यूशन्स ने अपनी स्कीम भेजीं, उन को मंजूर किया । जब तक हम उन सब का नतीजा न देख लें, यह नहीं कह सकते कि कोई नई बात हम को मिलेगी या नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ये चार या पांच संस्थाये वस्तुतः किन विषयों पर गवेषणा कर रही हैं ?

श्री किदवई : भूमि सुधार ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहती थी कि ये संस्थायें किस विशेष प्रकार की गवेषणा कर रही हैं ?

श्री किदवई : जैसाकि में ने बताया यह भूमि सुधारों के सम्बन्ध में है । यह भूमि सुधार के किसी भी पहलू के सम्बन्ध में हो सकती है ; जमींदारी को हटाना चाहिये अथवा नहीं ; प्रतिकर देना चाहिये या नहीं ; वस्तुतः किसान भूस्वामी होना चाहिये अथवा वह सरकार का केवल पट्टेदार होना चाहिये, वे इन सब बातों पर विचार करेंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इन संस्थाओं से, जिन्हें अनुदान दिये जाते हैं, समय समय पर प्रतिवेदन देने को कहा जाता है ?

श्री किदवई : मुझे आशा है कि ऐसा होता है । मैं सभा को यह जानकारी दे रहा हूं, किन्तु इस विषय का सम्बन्ध योजना आयोग से है ।

बंगलौर में टैलीफोन का कारखाना

*७३३. **श्री अजित सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में टेलीफोन की सम्पूर्ण मांग बंगलौर स्थित टेलीफोन के कारखाने द्वारा पूरी हो जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जहां तक टेलीफोनों का सम्बन्ध है, बंगलौर के कारखाने में देश की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त उत्पादन होता है ; किन्तु टेलीफोन प्रणाली में विनिमय का सामान भी चाहिये । यह काफी परिमाण में आयात किया जाता है तथा बंगलौर के कारखाने में जोड़ा जाता है । इस सामान का लगभग १५ प्रतिशत कारखाने में तैयार किया जाता है । तैयार होने वाले सामान का यह प्रतिशत तेज़ी से बढ़ेगा ।

श्री अजित सिंह : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फ़ैक्ट्री में एक साल में कितने टैलीफोन बनाये जाते हैं और मुल्क की डिमान्ड क्या है ?

श्री राज बहादुर : १९५३-५४ में ४१,०४४ बनाये गये । इस साल ५०;००० के लगभग बनाये जायेंगे । यह जो फ़र्स्ट फाइव इअर प्लैन का टार्गेट है उस का ६० फीसदी है । बाकी अगले साल पूरा हो जायेगा । इस के मुकाबले में जो डिमान्ड है वह १९५३-५४ और १९५४-५५ दोनों सालों को मिला कर ६८,४४२ है । और जो सप्लाई हो चुके हैं उन की संख्या ६४,४४७ है ।

श्री अजित सिंह : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में भी बहुत से लोगों ने टेलीफोन लगवाने के लिये दरख्वास्तें दी थीं । वह लोग बेचारे इन्तज़ार ही करते रहे लेकिन उन के यहां चार पांच साल तक कोई टेलीफोन नहीं लग सका ?

श्री राज बहादुर : दिल्ली में जो टेलीफोन की डिमान्ड है उस को पूरा करने के वास्ते सिर्फ टेलिफोन के इन्स्ट्रूमेंट की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्सचेंज में कनेक्शन की ज़रूरत है, इन कनेक्शन्ज़ के कायम होने के पहले सारी डिमान्ड्स पूरी नहीं की जा सकती हैं । यह कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो तीस हज़ारी एक्सचेंज है उस की कपैसिटी को बढ़ाया जाय और साथ ही दूसरे एक्सचेंज भी कायम किये जायें जैसे करौलबाग और सेक्रेटेरियट में । उनके कायम होते ही दिल्ली की डिमान्ड हम पूरी कर देंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सच है कि स्विच, आदि कुछ पुर्ज़ों की, जो विस्तार के लिये आवश्यक हैं, कमी है और यदि हां, तो मांग पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं विस्तार के इस विशेष सामान के बारे में ठीक-ठीक नहीं बतला सकता ; यदि कहीं भी कमी की

किसी फरियाद की मुझे सूचना मिली त मैं निस्सन्देह उस को दूर करूंगा ।

माल-डिब्बा संभरण

*७३८. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि माल-डिब्बा-संभरण के कम होने के कारण सौराष्ट्र में **को**ले की बड़ी कमी है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोयले को पूर्णरूपेण रेल द्वारा सौराष्ट्र भेजने का प्रबन्ध, मांग पूरी करने के लिये अभी पर्याप्त नहीं है । अभाव-पूर्ति के लिये कोयला रेल तथा समुद्री मार्ग से भी भेजा जा सकता है ।

(ख) सुरेन्द्रनगर-राजकोट विभाग की लाइन बढ़ाने, साबरमती, वीरमगांव, सुरेन्द्र-नगर, राजकोट, जामनगर और आगरा ईस्ट बैंक यार्डस के रेलवे स्टेशनों का पुन-र्निर्माण करने तथा अतिरिक्त इंजिनों और मालडिब्बों का प्रबन्ध करने के काम विचाराधीन हैं ।

श्री जेठालाल जोशी : ज्ञात हुआ है कि माल-डिब्बों के अभाव से नित्य प्रति की साधारण मांग पूरी करना भी सम्भव नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष मूंगफली की फसल २,८०,००० टन के स्थान पर ४,००,००० टन हो जाने की आशा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने परिवहन की इस अतिरिक्त मांग को पूरी करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान्, प्रश्न का विशेष सम्बन्ध कोयले से है, किन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि मुख्य कठिनाई माल-डिब्बों के अभाव की नहीं है किन्तु गाड़ी बदलने के स्थान पर जहां बड़ी लाइन से छोटी लाइन बदलनी पड़ती है, कठिनाई उपस्थित होती है । यह मुख्य कठिनाई है जिसे हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री पी० सी० बोस : मैं जानना चाहता हूं कि कोयला क्षेत्रों से जहाज़ी मार्ग से कोयला भेजना संभव है या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : यह संभव है । इस का हम पता लगा रहे हैं किन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि परिवहन-मूल्य बढ़ गया है । रेल के बजाय जहाज़ से कोयला भेजना कहीं अधिक खर्चीला है ।

सहकारी कृषि

*७४०. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे सहकारी कृषि विकास के लिये योजनायें भेजें ;

(ख) जिन राज्यों ने अभी तक योजनायें भेजी हैं, उन के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक के बारे में कि ना धन लगा है ; और

(घ) इस विषय के लिये चालू वर्ष में कितना धन व्यय करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) मध्य भारत, हैदराबाद और मैसूर।

(ग) मध्य भारत : वार्षिक अनुदान १२०० रुपये तथा अण ३,२० ००० रुपये ।

हैदराबाद : वार्षिक अनुदान ७२,००० रुपये तथा ऋण ४,२०,००० रुपये ।

मैसूर : वार्षिक अनुदान १३३५ रुपये ।

(घ) चालू वर्ष के बजट में १५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के हेतु कृषि का मशीनीकरण होगा और प्रत्येक व्यक्तिगत योजना द्वारा क्या क्षेत्र की न्यूनतम सीमा निश्चित की जायेगी ?

श्री किदवई : जैसा मैं ने कहा है, कुछ राज्यों में सहकारी कृषि का प्रयोग किया जा रहा है । भारत-सरकार ने स्वयं दो मशीनी उपकरण की सहायता से चलाये जाने वाले फार्म खोले हैं । एक तो १२,००० एकड़ का जम्मू में है और दूसरा १०,००० एकड़ का भोपाल में । यद्यपि प्रारम्भ में जो लोग वहां बसाये जा रहे हैं वे वैतनिक आधार पर नौकर हैं किन्तु ऐसा विचार है कि दो तीन वर्ष में जब यह पता चलेगा कि कहां सफलता मिली और कहां नहीं मिली, तो वे क्षेत्र सहकारी या सामूहिक फार्मों में बदल दिये जायेंगे । उन का प्रबन्ध उन लोगों को सौंप दिया जायेगा जो वहां काम कर रहे हैं और सरकार उस कार्य से अवकाश ग्रहण कर लेगी ।

श्री तिम्मय्या : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह इरादा है कि अभी उस के पास जितनी प्राप्त भूमि है उसे इस सहकारी कृषि योजना के अन्तर्गत लाया जाय ?

श्री किदवई : जैसा मैं ने कहा है, कुछ राज्यों ने सहकारी कृषि का प्रयोग प्रारम्भ किया है । उन्हें प्रशिक्षित करने में समय लगेगा ।

श्री शिवतंजप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उन सहकारी फार्मों के कोई आंकड़े हैं जो इस देश में चल रहे हैं ?

श्री किदवई : मैं ने अभी बतलाया है कि इस कार्य का प्रयोग करने के लिये तीन चार राज्यों को अनुदान तथा ऋण दिये गये हैं ।

गन्ने तथा चारे पर गवेषणा

*७४१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गन्ने तथा चारे की वे किस्में जानने के लिये गवेषणा की है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार की बाढ़ों में भी नष्ट न हो सकें ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : केन्द्रीय गन्ना पालन संस्था द्वारा गन्ने की उन किस्मों को जानने के लिये गवेषणायें की जा रही हैं जो बाढ़ में भी नष्ट न हो सकें और ऐसी कुछ किस्मों का पता चला है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में बहुत बोया जाता है । चारे के लिये अभी ऐसी कोई गवेषणा प्रारम्भ नहीं की गई है ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस वर्ष उन क्षेत्रों में इस गवेषणा को लोकप्रिय बनाने तथा विकसित करने का विचार रखती है ?

श्री किदवई : यह बतला दिया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां के माननीय सदस्य निवासी हैं, तथा बिहार में पहले से ही इस का काफी प्रयोग किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिडवानी ।

श्री गिडवानी : प्रश्न संख्या ७४४ ।

श्री ए० एम० थामस : मेरा प्रश्न संख्या ७६२ भी इस के साथ ले लिया जाय ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : प्रश्न संख्या ७६२ प्रश्न संख्या ७४४ से मिलता जुलता है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, ये दोनों प्रश्न साथ-साथ ले लिये जायें ।

नर्सिंग सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

*७४४. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) नर्सों के उपबन्ध के लिये १९ मई, १९५४ को नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा नर्सिग सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की जो बैठक हुई, उसके क्या निर्णय हैं ; और

(ख) क्या समिति ने कोई अन्य निर्णय भी किये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख). नर्सिगसमिति की कोई बैठक १९ मई, १९५४ को नहीं हुई । २० अगस्त, १९५४ को एक बैठक बुलाई गई थी । समिति की बैठक शीघ्र ही फिर बुलाई जायेगी और वह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

नर्सिग समिति की सिफारिशें

*७६२. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा बनाई गई नर्सिग समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) समिति ने अभी तक सिफारिशें तुत नहीं की हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिडवानी : क्या माननीय मंत्री कुछ बता सकती हैं कि किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या-क्या सिफारिशें पेश हुई थीं ?

राजकुमारी अमृतकौर : निदेश-पद बहुत अधिक थे । उन्हें इन बातों का पर्यवेक्षण करना पड़ा : नर्सिगशिक्षा की वर्तमान सुविधायें ; नर्सों की कार्य-स्थिति, उन का वेतन, देश को उन की न्यूनतम आवश्यकता का निर्धारण सेवा की वर्तमान स्थिति तथा विभिन्न राज्यों में उन के वेतन की जांच ; तथा इस बात पर विचार कि सेवा में अधिक लड़कियां भरती करने के लिये क्या नर्सों को प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि सारे देश में नर्सों की स्थिति का क्या कोई पर्यवेक्षण किया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी हां । हमारे पास भारत के विभिन्न राज्यों में नर्सों की वर्तमान सेवा-स्थिति की यथेष्ट जानकारी है ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री देश की वर्तमान विविध नर्सिग संस्थाओं से नर्सों की शिक्षा तथा सेवा-स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में मत लेना चाहती हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : हम ने वह सब जानकारी मांगी है और उस जानकारी को दृष्टि में रख कर ही यह समिति बनाई गई है । उन की स्थिति को सुधारने के लिये ही इस समिति से सिफारिशें मांगी गई हैं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या मैं जान सकती हूं कि इस योजना में लिये जाने के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम आयु क्या रखी गई है और नर्सिग योजना में भर्ती

होने के लिये लड़कियों की न्यूनतम शिक्षा कितनी होनी चाहिये ?

राजकुमारी अमृतकौर : जहां तक मुझे ज्ञात है, नर्सों के लिये कोई आयु-सीमा नहीं है । कर्मचारी नर्सों के लिये न्यूनतम शिक्षा दसवीं कक्षा तक की होनी चाहिये । कालिजों के लिये जो प्रतिमान रखा गया है वह निस्सन्देह ऊंचा है । निम्न योग्यताओं के लिये निम्न प्रतिमान हैं ।

रेलवे सुविधा समिति

*७४५. **श्री गोहेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी रेलवे के पांडू महाखण्ड के लिये नियुक्त रेलवे सुविधा समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि समिति की नियक्ति के बाद भी यात्रियों की सुविधा अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ; और सरकार ने समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर अपने निर्णय सम्बद्ध रेलवे प्रशासन के पास पहले ही प्रेषित कर दिये हैं ।

(ख) समिति के प्रतिवेदन के विस्तृत परीक्षण के बाद आदेश जारी कर देने पर चालू वर्ष और उस के बाद के वर्षों में सुधार किये जाने की आशा है ।

(ग) चार वर्ष "१९५५-५६ से १९५८-५९" में ८८ लाख रुपये के अनुमानित व्यय की प्रयोगात्मक योजना पांडू प्रदेश के सभी स्टेशनों में सुधार करने के लिये तैयार की गई है और यात्री सुविधा समिति की मंत्रणा से उसे कार्यान्वित किया जायगा । चालू वर्ष में भी इस कार्य के लिये ५ लाख रुपये का एक विशेष अतिरिक्त आवंटन किया गया है ।

श्री गोहेन : क्या सरकार को मालूम है कि कतिपय रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है ?

श्री शाहनवाज खां : चारों ओर घूम कर स्थितियों में सुधार करने की सिफारिशें देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी और हमारी जानकारी में जो बातें लाई गई हैं उन में पीने का पानी भी है । इस अभाव को दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जायगा ।

श्री एस० सी० देव : क्या माननीय मंत्री बिजली के पंखों के समुचित संचालन और विशेष रूप से रात्रि को बिजली के प्रकाश की व्यवस्था पाखाने में पानी की अनुपस्थिति अथवा कीचड़ से सने पानी के स्थान पर अच्छे पानी के प्रबन्ध की सुविधाओं के सम्बन्ध में सुधार के लिये की गई कार्यवाहियां बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : कहीं कहीं पर बिजली के पंखे न चलने की कुछ शिकायतें हो सकती ह लेकिन सामान्यतया उन्हें चालू रखने के लिये उचित संख्या में कर्मचारी रहते हैं ।

पूर्वी रेलवे का यातायात लेखा कार्यालय

*७४६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय के ६०० कर्मचारी ३-कोयलाघाट स्ट्रीट कलकत्ता के अस्वच्छ गोदाम में काम करते हैं ;

(ख) क्या वहां काम करने वाले कर्मचारियों में क्षयरोग के मरीजों की संख्या

की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं। ये कर्मचारी गन्दे गोदाम में काम नहीं करते हैं प्रत्युत १४–स्ट्रैण्ड रोड पर कार्यालय की सीमा के अन्दर काम करते हैं।

(ख) इस भवन अर्थात् १४–स्ट्रैण्ड रोड में काम करने वाले कर्मचारियों में क्षय-रोग के कुछ मामलों की खबर मिली है। लेकिन उन के इस कार्यालय में काम करने और क्षयरोग से ग्रस्त होने का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई साक्षी नहीं है।

(ग) विशेष रूप से इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिर भी सामान्य रूप से पूर्वी रेलवे के मुख्य कार्यालय के लिये आवास की व्यवस्था के प्रश्न और कार्यालय के लिये स्थानाभाव पर रेलवे प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस का यही अर्थ है कि इन गोदामों में काम करने वाले उक्त कर्मचारियों द्वारा बार बार किये गये अभ्यावेदनों की प्राप्ति और उन के इस प्रतिनिधान से कि उन में (कर्म-चारियों में) क्षयरोग के १७ मामले हो चुके हैं सरकार इन्कार करती है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैं ने पहले कहा है यह गोदाम नहीं है अपितु भव्य क्षमता सम्पन्न भवन है। यह ३७५ फीट लम्बा और १७५ फीट चौड़ा है। यह सच है कि कर्मचारियों में क्षयरोग के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है। कुल मिला कर पिछले चार वर्षों में २२ मामलों का समाचार प्राप्त हुआ था जो पांच मामले प्रति वर्ष हुए। जैसा माननीय सदस्य को मालूम है यह बहुत अधिक आबादी वाला नगर है जहां क्षयरोग का अनुपात बहुत बढ़ा चढ़ा है ; और क्षय-रोग के इन मामलों का कारण कार्यालय की अपेक्षा उन के रहने की दशा तथा जिन क्वार्टर्स में वे रहते हैं उन से सम्बन्धित है।

श्री एच० एन० मुकर्जी खड़े हुए––

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उड़ीसा में अनावृष्टि

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९. श्री बी० सी० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में व्याप्त अनावृष्टि अवस्था सरकार की जानकारी में लाई गई है ;

(ख) यदि हां तो अति पीड़ित जिले कौन कौन से हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वहां खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं ;

(घ) सरकार इस मामले में क्या कार्य-वाही करने का विचार रखती है ; और

(ङ) इस समय उड़ीसा राज्य में खाद्यान्न की कितनी मात्रा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां। सरकार उड़ीसा राज्य में वर्षाभाव की स्थिति से अवगत है।

(ख) कटक और बालासोर जिलों के नहरों द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर महानदी के उत्तर में स्थित जिले और उन का परवर्ती दक्षिणी भाग।

(ग) नहीं। चावल की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हो गई थी ; राज्य सरकार द्वारा

फुटकर दुकानें खोल देने के बाद से यह पुनः सामान्य स्तर पर ही आ रही है ।

(घ) पिछले सप्ताह अनावृष्टि से त्रस्त जिलों में वर्षा होने से भविष्य जगमगा उठा है । अनावृष्टि के परिणामस्वरूप स्थिति गम्भीर होने के कोई आसार नहीं हैं ।

(ङ) उड़ीसा सरकार के पास ५ सितम्बर १९५४ को ८५,००० टन चावल का भांडार था ।

श्री बी० सी० दास : मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में हमें कितने खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी और क्या उस के लिये पर्याप्त भांडार होगा ?

श्री किदवई : जैसा मैं ने कहा है, उड़ीसा के पास अनावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर चावल सम्भरण करने के लिये ८५,००० टन चावल मौजूद है, और यदि यह मात्रा पर्याप्त सिद्ध नहीं होगी तो भारत सरकार उन्हें किसी भी परिमाण में चावल भेजने के लिये प्रस्तुत है ।

श्री बी० सी० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कंट्रोल हटा देने के पश्चात् गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न को निर्बंध रूप में उड़ीसा राज्य के बाहर निर्यात किया जाता है, और क्या सरकार उड़ीसा से निर्बाध रूप में खाद्यान्न बाहर भेजने पर नियंत्रण लागू करने का इरादा रखती है ।

श्री किदवई : नहीं, उड़ीसा से बाहर भेजने तथा बाहर से मंगाने पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाने का सरकार का विचार नहीं है ।

श्री बी० सी० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनावृष्टि के कारण कृषि-मजदूरों में व्यापक बेकारी फैल रही है और इसीलिये उन्हें प्रचलित कीमतों पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है ?

श्री किदवई : मैं ने उड़ीसा के खाद्य मंत्री से कलकत्ता में चर्चा की थी । लोगों को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में वे परीक्षण कार्य खोलने पर विचार कर रहे हैं ताकि उन्हें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने भर रोजगार मिल सके ।

श्री जयपाल सिंह : उड़ीसा राज्य से अनावृष्टि की अवस्था के समाचार के अतिरिक्त अन्य किन राज्यों ने अनावृष्टि की स्थिति की जानकारी दी है !

श्री किदवई : मेरा विश्वास है कि उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य ने कुछ क्षेत्रों में अनावृष्टि और कुछ अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की शिकायत की है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन का ध्यान दक्षिण बिहार और विशेष रूप से छोटा नागपुर की अनावृष्टि की अवस्था की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो वहां के लोगों में व्याप्त आपदा को निर्धारित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशंका है कि भारत भर के स्थानों के विषय में प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जायगी । यहां प्रश्न केवल उड़ीसा तक सीमित है ।

श्री जांगडे : क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा से लगे हुए विलासपुर और रायपुर जिलों में पानी की कमी है, और पानी की कमी के कारण वहां पर चावल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बी० सी० दास : अब जबकि आप जानते हैं कि शरद्काल की फसल बिगड़ गई है, इस वर्ष खाद्यान्न में कितनी कमी रहेगी ?

श्री किदवई : मुझे देश में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में किसी प्रकार की कमी की उम्मीद नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला कार्य करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केंद्रीय कृषि कालिज

*६९९. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति के सातवें प्रतिवेदन की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय कृषि कालिज को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सरकार केन्द्रीय कृषि कालिज के पुनर्संगठन पर विचार कर रही है, और वह भारतीय कृषि गवेषणा संस्था से पृथक् संस्था के रूप में इस का निर्वहन करेगी ।

अण्डा अनुर्वरीकरण संयन्त्र

*७०४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अण्डों को तैयार करने के लिये सरकार द्वारा कोई अण्डा अनुर्वरीकरण संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कितने प्रतिष्ठापित किये गय हैं ; और

(ग) किस लागत पर ऐसा किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) परीक्षण रूप में त्रावनकोर-कोचीन राज्य स्थित क्विलोन में एक संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया है ।

(ग) ७,५०० रुपये ।

उडीसा चाय मजदूर

*७१८. **श्री लक्ष्मीधर जेना** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसाम में चाय बागान के श्रमिकों में से लगभग चालीस प्रतिशत उड़ीसा से आते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय चाय बोर्ड में उड़ीसा का प्रतिनिधि लेने के लिये सुसंगत नियमों में कोई उपबन्ध क्यों नहीं रखा गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९४८-४९ से १९५२-५३ वर्षों की उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार आसाम में चाय बागान के श्रमिकों का लगभग ३२ प्रतिशत उड़ीसा से आता है ।

(ख) चाय नियम, १९५४ में चाय बोर्ड में श्रम के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात स्थानों के आवंटन का उपबन्ध है । देश के सर्वाधिक प्रतिनिधि मजदूर संगठनों की मंत्रणा से ही इन स्थानों की पूर्ति की जाती है ।

रेलों का पुनः वर्गीकरण

*७१९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इस बात का पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि रेलों के पुनः वर्गीकरण से कर्मचारियों में तथा व्यय में, पर्याप्त मितव्ययता होगी, तथा इस योजना के परिणामस्वरूप आय बढ़ जायेगी ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या यह आशायें फलीभूत हो चुकी हैं ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). मितव्ययता कई प्रकार से सोची जा सकती थी, परन्तु

उसका सही मूल्य आंकना कठिन हो गया है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन खाद्यान्नों के परिवहन में कमी, वेतन-क्रम में परिवर्तन तथा न्यायनिर्णायक पंचाट के लागू होने के कारण, आय तथा संचालन लागत में नई स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिन के परिणामस्वरूप एकीकरण से पहले तथा बाद के समय की तुलना यथार्थ नहीं रही है ।

रेलवे पास सुविधा का दुरुपयोग

*७२१. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा किये गये पास सुविधा के भयंकर दुरुपयोग की सूचना सरकार को दी गई है ;

(ख) सरकार ने ऐसे मामलों में तथा दक्षिण रेलवे के उस विशेष मामले में, जिस में त्रिचनापली तथा मैसूर के बीच में एक ड्यूटी पास तीन बार काम में लाया गया, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) ऐसे प्राधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया ; तथा

(घ) ऐसी घटनायें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, ऐसे कुछ मामलों की सूचना मिली है ।

(ख) तथा (ग). उपुयक्त अनुशासनीय कार्यवाही जैसे निन्दा एक विशेष अवधि के लिये तथा तरक्की पर रोक की गई हैं । मैसूर तथा त्रिचनापली के बीच यात्रा के लिये दिये गये ड्यूटी पास के दुरुपयोग के संबंध में जांच हो रही है ।

(घ) पास के दुरुपयोग के मामलों के लिये पर्याप्त दण्ड विहित तथा लागु किये गये हैं ।

प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र

*७२३. **श्री मगन लाल बागड़ी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) भाग 'ग' राज्यों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले इन केन्द्रों की संख्या को सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकता की दृष्टि में पर्याप्त समझती हैं ; तथा

(ग) यदि नहीं ; तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के पिछडे क्षेत्रों में प्रसूति तथा शिशु कल्याण सेवाओं को राज्य सरकारों में प्रोत्साहित करने के लिये यथासंभव बहुत बड़ी संख्या में प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की योजना बनाई है । इस योजना के अनुसार इस प्रकार की केन्द्रीय सहायता उपबन्धित हुई है :—

टैकनिकल सामग्री आदि पर समग्र अनावर्तक व्यय जिस की लागत अनुमानतः २,००० रुपये प्रति केन्द्र है ।

अनुमानतः प्रति केन्द्र आवर्तक व्यय १७,२७० रुपये होगा जोकि पहले छः मासों में शत प्रतिशत इस के बाद के १२ मासों में ६६⅔ प्रतिशत तथा शेष छः मासों में ५० प्रतिशत के आधार पर निकाला गया है ।

तत्पश्चात् इन केन्द्रों को चलाने का आर्थिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है ।

भारत सरकार ने १६ राज्य सरकारों को १४,६३,८९० रुपये का अनुदान देने की अनुमति दी है ।

इस योजना में भाग लेने की सहमति प्राप्त होने पर इसी प्रकार के अनुदान, अन्य राज्य सरकारों को भी दिये जायेंगे ।

त्रिपुरा में पुन्नयाहा पद्धति

*७२६. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में राजस्व इकट्ठा करने की पुन्नयाहा पद्धति इस वर्ष भी चालू रखी जायेगी ; तथा

(ख) क्या सरकार इस पद्धति को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

राज्यों की राज धानियों के साथ विमान-सम्पर्क

*७२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली को सभी राज्यों की राजधानियों के साथ विमान-सेवा द्वारा मिलाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) क्या उन राजधानियों की एक सूची पटल पर रखी जायगी जिन को इस वर्ष में विमान-सेवा द्वारा मिलाया जायगा ; तथा

(ग) इस विषय में चंडीगढ़ में कब तक कार्य आरम्भ होगा और उस पर कितना व्यय होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । भारत सरकार की प्रत्येक राज्य की राजधानियों को विमान-सेवा द्वारा मिलाने की नीति है परन्तु हवाई अड्डों के लिये पर्याप्त विमान-यातायात आशानुकूल तथा उपयुक्त क्षेत्र राजधानियों के निकट होने चाहियें ।

(ख) भारत के २७ राज्यों में से तो २० राज्यों की राजधानियों में हवाई अड्डे हैं । इन में से १६ विमान-सेवा से मिला दी गई हैं तथा पटल पर रखे जाने वाले विवरण के अनुसार और दो राजधानियां मिलाई जाने वाली हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) ज्यों ही अपेक्षित भूमि प्राप्त होगी कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । अनुमान है कि चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर ११ लाख रुपये की लागत आयेगी ।

त्रिपुरा में सिंचाई

*७२९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ मई १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में तब से कोई सिंचाई इंजीनियर नियुक्त हुआ है ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या त्रिपुरा सरकार ने कोई सिंचाई परियोजना प्रारम्भ की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) जी नहीं ।

कान्स्टिलेशन की परीक्षणात्मक उड़ान

*७३४. **श्री बंसल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि तोकियो तक कान्स्टिलेशन विमान

की परीक्षणात्मक उड़ान के लिये पत्रकारों के चुने जाने के सम्बन्ध में संचार मंत्रालय तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के अध्यक्ष की भिन्न-भिन्न सम्मति थी; तथा

(ख) यदि हां तो इस मामले के क्या तथ्य हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम भारत सरकार ने, जुलाई १९५४ में तोकियो तक परीक्षणात्मक उड़ान में भाग लेने के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल को सुझाये थे । एयर इंडिया इंटरनेशनल ने इन व्यक्तियों को आमंत्रित किया था । कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा, जोकि इस उड़ान में भाग लेने वाले थे, ने अपने निजी विचारों एवं प्रतिज्ञाओं के कारण उड़ान में भाग न लेने का निश्चय किया ।

माल-डिब्बों का नियतन

*७३५. **श्री एन० राचय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे से माल-डिब्बे न मिलने के कारण मैसूर राज्य में मई और जून १९५४ के महीनों में सीमेंट की कमी पड़ गई ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त महीनों में डिब्बे न दिये जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । सत्य तो यह है कि वर्ष के चतुर्थ भाग में——अप्रैल से जून १९५४ तक——मैसूर राज्य को २६,९७५ टन सीमेंट दिया गया जबकि उन्हों ने २६,४०० टन की मांग की थी । इस तरह उन्हें आवश्यकता से अधिक ५७५ टन दिये गये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सोवियत रूस की कृषि-प्रदर्शनी

*७३६. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूसी सरकार ने यहां के खाद्य तथा कृषि मंत्री को वहां की कृषि-प्रदर्शनी देखने का निमंत्रण भेजा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हां, श्रीमान ।

राजस्थान में अभ्रक खान श्रमिक

*७३७. **श्री केलप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान में बहुत सी अभ्रक खानों को बन्द किया गया है जिस के परिणाम-स्वरूप हज़ारों कामकर बेकार हो गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : अभ्रक बाज़ार में मन्दी, वर्षा ऋतु, आदि जैसे विधि कारणों से कुल २६४ खानों में से लगभग १३३ खानें बन्द हो गई हैं । इस से प्रभावित कामकरों में से बहुत से व्यक्ति कृषि के काम पर लौटे हैं या सिंचाई, भवन-निर्माण, सड़क-निर्माण, आदि कामों में लिये गये हैं ।

तेल तथा चावल की मिलें

*७३९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) योजना आयोग की इन सिफारिशों की दृष्टि में कि खाद्य तेल केवल घानी से पेरे जायं और चावल हाथ की कुटाई से ही साफ किया जाये, तेल और चावल की कितनी मिलों से उत्पादन बन्द कर देने को कहा गया है ;

(ख) कितनी मिलों ने वस्तुतः उत्पादन बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन सिफारिशों के होते हुए भी तेल पेरने और चावल कटने की नई मिलें खोली गई हैं और उन की सरकार द्वारा आवश्यक अनुज्ञा और अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो प्रत्येक राज्य में ऐसी मिलों की संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). भारत सरकार ने चावल अथवा तेल की मिलों को बन्द करने के अनुदेश जारी नहीं किये हैं। सरकार इस प्रकार की स्थापना करना चाहती है :—

(१) एक चावल समिति जो चावल की मिलों और हाथ की कुटाई के उद्योगों के काम का अध्ययन कर के सरकार को इस बात का परामर्श दे कि मशीनों से धान कूटने के उद्योग के मुकाबले में हाथ की कुटाई के उद्योग को प्रोत्साहन देने में सरकार की भावी नीति किस प्रकार की होनी चाहिये।

(२) एक विशारद समिति, जो तेल पेरने के उद्योग के समग्र प्रश्न पर विचार करे, यानी मशीनों में पेरे जाने के मुकाबले में तिलहन को घानियों में पेरा जाये, और सरकार के पास इस बात की सिफारिश करे कि भारत में तेल उद्योग का विकास किस पद्धति पर होना चाहिये।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और पटल पर रखी जायेगी।

बांस को अग्निसह बनाने का कारखाना

*७४२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बांस आदि के ऊपर कुछ रसायनों की पालिश कर के उन को अग्निसह बनाने के लिये दक्षिण भारत में कोई कारखाना स्थापित किया गया है ; तथा

(ख) सरकारी कारखानों में अब तक लकड़ी के बुरादे और छीलन को किस काम में लाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है। इमारती लकड़ी, बांस तथा सिरकियों की अग्निसहिष्णुता बढ़ाने के लिये उचित रसायन का विकास करने का कार्य वन गवेषणा संस्था बहुत समय से करती रही है, और इसे मकानों के आन्तरिक भागों को अग्निसह बनाने में सफलता मिली है। अभी उन की इस विधि को वाणिज्यिक स्तर पर नहीं पहुंचाया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के कारखाने नहीं हैं जहां लकड़ी के बुरादे और छीलन को काम में लाया जाता हो। यों तो वन गवेषणा संस्था ने एक ऐसी विधि का विकास किया है जिस से कृत्रिम बेरोज़े को काम में न ला कर सस्ते और सुलभ रसायनों की सहायता से बुरादे के तख्ते बनाये जा सकते हैं। इस विधि का एकस्वीकरण हुआ है और आशा की जाती है कि शीघ्र से इस से लाभ उठाया जायेगा।

बाढ़-पीडित क्षेत्रों में परिवहन की सुविधायें

*७४३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी बिहार के बाढ़-पीड़ित लोगों को धान की पौध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परिवहन की क्या सुविधायें दी गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : यात्री गाड़ियों के सामान के डिब्बों में इसे जगह दिये जाने के अतिरिक्त इस के लिये उन स्थानों पर

भी यात्री गाड़ियों में विशेष माल-डिब्बे जोड़े गये जहां धान की पौध के लाने ले जाने की अधिक चहल पहल थी, और जहां अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता थी ।

उड़ीसा में केन्द्रीय गोदाम

*७४७. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या केन्द्रीय खाद्य भंडार के लिये उड़ीसा में गोदाम बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना पूजी-व्यय होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) तथा (ग). कुल १.५ लाख टन की क्षमता वाले रक्षित गोदामों को बनाने के लिय उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण एवं चयन का कार्य आजकल चल रहा है । इस प्रकार के गोदामों के निर्माण मल्य का प्रारंभिक प्राक्कलन लगभग एक करोड़ रुपये का है ।

रेल के माल-डिब्बे

*७४८. **श्री वाघमारे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(क) कि जनवरी से जून १९५४ तक निर्माण करने वाली फर्मों से नये बने हुए कुल कितने माल-डिब्बे मिले है ;

(ख) इस काल में इस प्रकार के माल-डिब्बों के कारण कुल कितनी दुर्घटनायें अथवा यातायात में गड़बड़ हुई है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इन नये बने माल-डिब्बों की पूर्णरूपेण जांच किये बिना ही उन्हें चालू कर दिया गया था ; और

(घ) इस काल में इस प्रकार की दुर्घटनाओं तथा यातायात में हुई गड़बड़ के फलस्वरूप सरकार को कुल कितनी धन राशि की हानि हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५२३५ ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) नहीं । सभी नये डिब्बों की जांच उन के निर्माण काल में तथा निर्माताओं के यहां से चलने से पूर्व अन्तिम रूप से, निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के निरीक्षकों द्वारा की जाती है । उन का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित रेलवे के जांच कर्मचारियों द्वारा भी उन की जांच की जाती है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सलेम-बंगलौर रेल-सम्पर्क

*७४९. **श्री सी० आर० नरसिंहम :**
श्री एस० वी० रामस्वामी :

क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने सलेम-बंगलौर छोटी लाइन को बनाने के बारे में निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के यातायात तथा इंजोनियरिंग सर्वेक्षण का आदेश कब दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) तथा (ख). अभी नहीं । इस प्रस्ताव पर जांच की जा रही है और इस प्रयोजन के लिये यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति बहुत शीघ्र देने का विचार है ।

उत्तर बिहार में फसलों को हानि

*७५०. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बिहार में अभी हाल की बाढ़ के फलस्वरूप भदई की फस्लों को कितनी क्षति तथा हानि (टनों में) हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : उत्तर बिहार में भदई फस्ल की हानि का अनुमान लगभग ५.२७ लाख टन है ।

जाली सिक्के तथा नोट

*७५१. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

(क) कि १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में रेलवे स्टेशन मास्टरों के व्यक्तिगत खातों में जाली सिक्के तथा नोटों के कारण कितनी धन राशि उन के नाम लिखी गई ; और

(ख) क्या सरकार ने इन रेलवे कर्मचारियों को, जाली नोटों तथा जाली सिक्कों की, जो उन्हें दिये जायें, पहचान करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) टिकट बाबू तथा माल बाबू सहित स्टेशन मास्टरों के नाम लिखी गई धन राशि निम्न है :

	रु०	आ०	पा०
१९५१-५२	२,८५,५८१	७	०
१९५२-५३	२,२२,२४७	९	०
१९५३-५४	१,७०,३७७	३	०

टिप्पणी : उपरोक्त आंकड़ों में भूतपूर्व आसाम रेलवे के आंकड़े सम्मिलित नहीं क्योंकि इस रेलवे पर पटरी के टूटने के कारण जानकारी सुलभ नहीं है ।

(ख) नकदी का काम करने वाले उत्तरदायी रेलवे कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करने के लिय रेलवे द्वारा प्रकाशित अनुदेश पत्रिका में जाली अथवा बनावटी सिक्कों अथवा नोटों की पहचान करने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश दे दिये गये हैं । इस के अतिरिक्त "साप्ताहिक सूचना पत्रों" द्वारा भी समय-समय पर अनुदेश दिये जाते हैं जिन के द्वारा रेलवे कर्मचारियों का ध्यान विशेष प्रकार के उन नोटों अथवा सिक्कों की ओर आकर्षित किया जाता है जिन को विधि-ग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

दक्षिण बिहार में अनावृष्टि

*७५२. **श्री जी० पी० सिन्हा** :
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :
श्री इब्राहीम :
श्री एस० एन० दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि दक्षिण बिहार के छोटा-नागपुर में, विशषत: पालामन, सिंगभूम, तथा हज़ारीबाग जिलों में, अनावृष्टि के फलस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या सरकार को उस के विषय में कोई समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में धान रोपने पर सामान्यत: इस का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) किसानों की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार का कितनी धन राशि की आर्थिक सहायता देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में धान रोपने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई सहायता नहीं मांगी है ।

दुग्ध परिरक्षण

*७५३. **श्री बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि बंगलौर अनुसन्धान शाला में दूध को ज्यों का त्यों बनाये रखने के लिये 'हाइड्रोजन परओक्साइड" के द्वारा जो प्रयोग किये हैं क्या उन में सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०**].

रेल की टक्कर

*७५४. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि बोचासन स्टेशन के निकट फाटक पर १५ अप्रैल, १९५४ को अथवा उस के आस पास पश्चिम रेलवे की छोटी लाइन पर पेतलाद-भद्रान के बीच चलने वाली ७८७ डाउन रेलगाड़ी तथा बोरसद और काम्बे के बीच चलने वाली यात्री बस में टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां तो क्या बस से यात्रा करने वाला कोई यात्री घायल हुआ था ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह रेल का फाटक ऐसे स्थान पर तथा ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि इंजिन ड्राइवर तथा बस का ड्राइवर एक दूसरे को नहीं देख सकते ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । १५ अप्रैल १९५४ के दिन को १२ बज कर ३५ मिनट के लगभग पश्चिम रेलवे की पेतलाद- भद्रान के बीच की छोटी लाइन पर बोचासन तथा झारोला स्टेशनों के बीच ७८७ डाउन गाड़ी रेल के फाटक नं० २६ से, जिस पर कोई कर्मचारी नहीं होता, गुज़र रही थी, तो उस के इंजिन की टक्कर एक मोटर बस के आगे वाले हिस्से से हो गई। मोटर बस ने उसी समय, जब कि गाड़ी आ रही थी, रेल की पटरी को पार करने का प्रयत्न किया था ।

(ख) जी हां ; १० व्यक्ति घायल हुए ।

(ग) नहीं, कुछ दूरी रह जाने पर वे एक दूसरे को देख सकते हैं ।

सहकारी समितियां

*७५५. **श्री एस० एम० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि राष्ट्रीय विकास-परिषद् न अक्तूबर १९५३ की अपनी बैठक में सह-कारी समितियों के बारे में जो सुझाव दिय थे उन के आधार पर समितियों सम्बन्धी विधि में आवश्यक परिवर्तन करने के लिय अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अपन सुझाव भेज दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन सुझावों में किन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) । राज्य सरकारों से अब तक जो उत्तर मिले हैं उन से यही ज्ञात

होता है कि यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

वस्तु भाड़े की दरें

*७५६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री तटीय तथा अन्तर्देशीय परिवहन का विशेष विवरण देते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय तथा अभारतीय जहाज़ी समवायों के बीच वस्तु भाड़े सम्बन्धी प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति अब कैसी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल्गेशन) : भारतीय तथा अभारतीय जलयानों द्वारा लिये जाने वाले भाड़े की दरों में लगभग कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है । तटीय व्यापार में भाड़ा भारतीय तटीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लिया जाता है । समुद्र पार व्यापार में भारतीय तथा अभारतीय दोनों प्रकार के जहाज़ी समवायों को सम्मेलन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भाड़ा लेना पड़ता है क्योंकि वे सभी उस सम्मेलन के सदस्य हैं ।

जहां तक अन्तर्देशीय परिवहन का सम्बन्ध है आसाम तथा बिहार का अधिकांश परिवहन दो बहुत पुराने अभारतीय समवायों द्वारा किया जाता है । इन समवायों को संयुक्त स्टीमर समवाय कहते हैं जिन के पास इस क्षेत्र में चलने वाले सब से बड़े बेड़े हैं ; इसलिये इन की अन्य स्टीमर समवायों के साथ वस्तुतः कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है ।

रेलों में भ्रष्टाचार

*७५७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इलाहाबाद के पिछले कुम्भ मेले के अवसर पर भ्रष्टाचार इत्यादि के कोई मामले पकड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) । पांच मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है ।

रेलगाड़ियों का देर से आना

*७५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पूर्वोत्तर रेलवे लाइन पर, विशेषतः मुज़फ़्फ़रपुर-नरकटियागंज सेकशन में, गाड़ियां देर से पहुंचती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ; और

(ग) गाड़ियों का देर से आना बन्द करने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) । जलाई १९५४ तक पूर्वोत्तर रेलवे पर सवारी गाड़ियों के समय से आने जाने के सम्बन्ध में सामान्य स्थिति १९५३ की इसी समय की स्थिति की तुलना में सन्तोषजनक है । जनवरी तथा मई १९५४ में मज़फ़्फ़रपुर-नरकटियागंज सेक्शन में स्थिति, कुम्भ मेले के अवसर पर तथा महालगों में प्रधान रूप से रेलों में बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण, कुछ खराब हो गई थी ।

(ग) इस बात का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है कि रेलें ठीक समय पर चलें । हाल में सभी रेलवे लाइनों में समय निष्ठता आन्दोलन चलाये गये हैं तथा जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता ये आन्दोलन जारी रखे जायेंगें तथा इन को अधिक तीव्र बनाया जायगा ।

कामेट बसें

*७५९. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में एक अंग्रेज़ी फ़र्म को 'कामेट ९०' बसों का एक आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस फ़र्म का नाम क्या है जिस को यह आर्डर दिया गया है ; और

(ग) इन बसों के खरीदने में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी ने मेसर्स अशोक मोटर्स लिमिटड, मद्रास को १४० लेलैण्ड 'कामेट ९०' चैसीज़ का आर्डर दिया है जिस की लागत का अनुमान ३५,३३,००० रुपय का है ।

स्वतंत्रता-पूर्व के डाक टिकट

*७६०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता-पूर्व के डाक-टिकटों को वापस लेने तथा उन के स्थान पर नये टिकट चलाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक तय्यार हो जाने की तथा कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). सरकार ने अब यह विनिश्चय कर लिया है कि १ अक्तूबर १९५४ से स्वतंत्रतापूर्व के सारे डाक-टिकट वापस ले लिये जायेंगे । इस विषय में जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति लोक-सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१**].

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

*७६१. **श्री अजित सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कोई ऐसी सिफ़ारिश प्राप्त हुई है जिस में उन्हों ने अमरीकन 'कोनवेअर्स' विमान के स्थान पर अंग्रेज़ी 'वाइकाउन्ट' विमान के पक्ष में अपना अधिमान प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अधिमान किस आधार पर प्रकट किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) तथा (ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने १७ जलाई १९५४ की अपनी बैठक में विनिश्चय किया था कि सरकार के पास सिफ़ारिश भेजी जाये कि पांच वाईकाउन्ट विमान क्रय किये जायें । कारपोरेशन ने कोनवेअर्स की अपेक्षा वाईकाउन्ट को इसलिये पसन्द किया कि वाईकाउन्ट विमान अधिक अच्छा काम देता है तथा इस लिये भी कि वह चार इंजन वाला विमान है तथा नवीनतर टर्बो प्राप्त पावर प्लांट से सुसज्जित है ।

भारत का आहार पोषण स्तर

*७६३. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि होने पर भी भारत के आहार पोषण स्तर के अधः सामान्य होने के कारण क्या हैं ;

(ख) एक औसत भारतीय का संतुलित आहार क्या है ; और

(ग) वर्तमान स्थिति के अनुमान के अनुसार देश को संतुलित आहार का उद्देश्य प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) देश के अधः सामान्य आहार पोषण स्तर के बराबर बने रहने के कारण ये हैं : पर्याप्त मात्रा में संरक्षक खाद्यों का उपलब्ध न होना तथा क्रय-शक्ति का अभाव ।

(ख) अच्छे स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये आदर्श सन्तुलित आहार निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिये :—

	आउंस
अनाज	१४
दालें	३
हरे पत्ते वाले साग	४
मूल वाले साग	३
अन्य साग	३
फल	३
दूध	*
चीनी तथा गुड़	२
वनस्पति तेल, घी इत्यादि	२
मछली तथा गोश्त	३
अण्डे	१ अण्डा

अपनी वर्तमान आर्थिक दशा पर ध्यान देते हुए एक व्यक्ति को कम से कम निम्नलिखित आहार अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये :

निरामिष भोजन	आउंस
अनाज	१४
दालें	३
साग सब्ज़ी	६
दूध	१४
चीनी	२
घी, मक्खन या तेल	३
मौसम के फल	३

आमिष भोजन	आउंस
अनाज	१४
दालें	२
साग सब्ज़ी	६
दूध	८
घी, मक्खन या तेल	२
चीनी	२
मांस वाले खाद्य या अंडे	३ २अण्डे

(ग) जनसाधारण के अलग-अलग खाद्य-स्वभावों, विभिन्न आर्थिक कारणों तथा अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा कोई अनुमान लगाना कठिन है ।

पेट्रोल ले जाने वाले मालगाड़ी के 'टी० पी० आर०' डिब्बे

***७६४. श्री वाघमारे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि पेट्रोल ले जाने वाले मालगाड़ी के कुछ टी० पी० आर० डिब्बों के नीचे के ढांचे, निर्माण करने वाले कारखानों से आने के पश्चात, बहुत थोड़े समय के अन्दर खराब हो गये हैं तथा उन की टंकियों में दरारें पड़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ;

(ग) ऐसे डिब्बों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) इन दोषों के कारण सरकार को कितनी क्षति पहुंची है ?

रलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) बड़ी लाइन के पेट्रोल ले जाने वाले कुछ डिब्बों की टंकियों में दरारें पड़ गई हैं । डिब्बों के नीचे के ढांचों में कोई दोष उत्पन्न नहीं हुए हैं।

---

*१० आउंस आमिषाशी व्यक्तियों के लिये तथा १४ आउंस निरामिषाशी व्यक्तियों के लिये ।

(ख) देखा यह गया है कि जिस वस्तु पर टंकियों का भार रखा रहता है वह आजकल के कार्य के योग्य नहीं हैं ।

(ग) इस डिज़ाइन के कुल १२८० डिब्बे काम में लाये जा रहे हैं ।

(घ) सरकार को वही क्षति उठाना पड़ रही है जोकि इन डिब्बों की धन कमाने की क्षमता में कमी हो जाने के कारण हो रही है । इन की मरम्मत रेलवे के वर्कशापों में हो रही है जिस का कोई विशेष हिसाब किताब नहीं रखा गया है ।

खाद्यान्नों पर प्रतिबन्ध

*७६५. **श्री डाभी :**
श्री ए० एम० थामस :
कुमारी एनी नैस्करीन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि १३ अप्रैल १९५४ को बम्बई के एक स्वागत समारोह में बोलते हुए उन्हों ने कहा था कि खाद्यों पर लगाये गये शेष सभी प्रतिबन्ध शीघ्र ही हटा लिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों तथा नियंत्रणों के कब तक हटाये जाने की आशा की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, यह कहा गया था कि यदि देश की खाद्य स्थिति सुधरती रही, तो खाद्यान्नों पर लगाये गये शेष प्रतिबन्ध हटा लिये जायेंगे ।

(ख) जब यह बात कही गई थी उस समय से खाद्यों पर लगाये जाने वाले शेष प्रतिबन्ध लगभग हटा लिये गये हैं और अब जो मुख्य प्रतिबन्ध लागू हैं वह गेहूं के एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाने के सम्बन्ध में हैं । इस के सम्बन्ध में भी कई कई राज्यों के दो स्वतंत्र क्षेत्र बना दिये गये हैं, जिन क्षेत्रों के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य को गेहूं ले जाया जा सकता है ।

दक्षिण भारत के लिये जल परिवहन बोर्ड

*७६६. **श्री एस० एन० दास :**
श्री अच्युतन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या दक्षिण भारत के लिये एक जल परिवहन बोर्ड के बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम विनिश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह बोर्ड बना दिया गया है तथा कार्य कर रहा है ; और

(ग) क्या काम की कोई योजना बना ली गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

गन्ने की उत्पादन लागत

*७६७. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री शिवनंजप्पा :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२४० के प्रति दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने भारत में गन्ने की वास्तविक उत्पादन लागत का निश्चय करने के लिये कोई जांच करवाई है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो वे राज्य कौन कौन से हैं जिन में ऐसी जांच करवाई गई है और अब तक कितना कार्य किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां । भारत में गन्ने की उत्पादन

लागत का निर्धारण करने के लिये एक तृवर्षीय योजना जुलाई, १९५४ से लागू कर दी गई है ।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पेप्सू तथा आन्ध्र में इस योजना को स्वीकार कर लिया है । बम्बई तथा मद्रास के भी इस योजना में सम्मिलित होने की संभावना है ।

सम्बन्धित राज्यों ने बाहरी काम करने वाले कर्मचारियों का चुनाव कर लिया है जिन को विशेष प्रकार के प्रपत्र में विशिष्ट सवक्षणों को प्रविष्ट करने की प्रशिक्षा दी जा रही है ।

विमान यात्रा खतरे का बीमा

*७६८. **ठा० लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने विमान निगम पदाधिकारियों के परामर्श से विमान द्वारा यात्रा करने वालों का अनिवार्य रूप से बीमा करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के नियम तथा विनियम क्या हैं ; और

(ग) यदि उपर्यक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो तो उस के कारण क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). यह प्रस्ताव, कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को एक ऐसी योजना जारी करनी चाहिये जिस के अन्तर्गत विमान से यात्रा करने वालों का टिकट के साथ कुछ अतिरिक्त राशि देने से स्वतः ही बीमा हो जाया करेगा, निगम के विचाराधीन है । निगम इस समय ऐसी योजना की विधिक तथा वित्तीय उपलक्षणों की जांच कर रहा है ।

खाद्य स्थिति

*७६९. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे बनाई गई योजनायें किस प्रकार की हैं जिन से भारत की खाद्य उत्पादन स्थिति दीर्घकाल के आधार पर सन्तोषजनक बनी रहेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : खाद्य उत्पादन पंचवर्षीय योजना का अंग है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी बना रहेगा । योजना में दीर्घकालिक आधार पर खाद्य उत्पादन के लिये विभिन्न उपायों की व्यवस्था की गई है जैसे नदी घाटी परियोजनायें, बड़ी व छोटी सिंचाई की स्थायी योजनायें एवं भूमि सुधार, उर्वरकों का अधिकाधिक व्यवहार, अच्छी किस्म के बीज तथा पौधा संरक्षण उपाय आदि ।

रांची में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

*७७०. **श्री झुलन सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची (बिहार) के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में अध्यापकों की छंटनी के कारण क्या हैं ; और

(ख) इस छंटनी नीति का बिहार के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापकवर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तीन प्रशिक्षकों की छंटनी, जिन व्यवसायों में वे प्रशिक्षक नियुक्त किये गये थे उन के समाप्त हो जाने के कारण की गई है ।

(ख) बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी दो और प्रशिक्षकों की छंटनी इसी कारण से की गई है ।

अखिल भारतीय फ़सल प्रतियोगिता योजना

*७७१. **श्री बर्मन** : **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'धान की पैदावार में वृद्धि' प्रतियोगिता में अखिल भारतीय पुरस्कार विजेताओं की १९४९-५० से लेकर वर्षवार सूची ;

(ख) प्रतियोगिता में उत्पादकों को अपने नाम सूचीबद्ध करवाने के लिये प्रोत्साहित करने व परिणाम का अनुमान लगाने के बारे में किस प्रक्रिया का पालन किया गया है ; और

(ग) १९५३-५४ में कोई भी पुरस्कार न दिये जाने के कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अखिल भारतीय धान फसल प्रतियोगिता में विजेताओं के वर्षवार नाम निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	अखिल भारतीय पुरस्कार विजेता का नाम
१९४९-५०—	१. श्री जे० सी० पानी (पश्चिमी बंगाल) ।
१९५०-५१—	२. श्री के० वेलैय्या गाउन्डर (मद्रास) ।
१९५१-५२—	३. श्री जे० सी० संगय्या (कुर्ग) ।

(ख) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२].**

(ग) अखिल भारतीय प्रतियोगिता को चलाने वाली प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के कारण १९५२-५३ में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता नहीं रखी गई थी । अतः १९५३-५४ में कोई पुरस्कार नहीं दिये जा सके ।

चीनी उद्योग

३२७. **श्री वी० पी० नायर** : 'क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री मार्च, १९५४ की उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के पृष्ठ ३२४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चीनी उद्योग द्वारा दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक अर्जित सर्कल तथा शुद्ध कुल लाभ कितना है ;

(ख) कारखानों द्वारा १९५३ में क्रय किये गये गन्ने का कुल मूल्य ; और

(ग) १९५२ की तुलना में १९५३ में चीनी उद्योग के मज़दूरी विपन्नों में क्या कोई वृद्धि हुई है तथा १९५३ में मज़दूरी के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ग) । मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) चीनी कारखानों द्वारा १९५२-५३ तथा १९५३-५४ की फसलों में (नवम्बर से ले कर अक्तूबर तक) क्रय किये गये गन्ने का मल्य क्रमशः ४४.६ करोड़ तथा ३६.८ करोड़ रुपये के लगभग आता है ।

राजस्थान में सड़कों का विकास

३२८. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य को १९४९-५० से ले कर १९५३-५४ तक सड़कों के विकास के लिये केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि म से स्वीकृत की गई राशि क्या है ;

(ख) क्या इस प्रकार आवंटित राशि का पूरा उपयोग राजस्थान सरकार ने प्रत्येक वर्ष में कर लिया था ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रति वर्ष कितनी राशि का उपयोग किया गया था ; और

(घ) उन विभिन्न प्रकार के कार्यों के नाम क्या हैं जिन में इस निधि का उपयोग किया गया तथा इन कार्यों में से प्रत्येक के लिये कितना धन आवंटित किया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १६.२३ लाख रुपया केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) रिज़र्व द्वारा तथा ७० लाख रुपया केन्द्रीय सड़क निधि (विशेष) रिज़र्व द्वारा पेश किया गया था ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सड़क निधि रिज़र्व से न तो अनुदान वार्षिक आधार पर पेश किये जाते हैं, और न जिस वर्ष वे पेश किये जाते हैं उस के अन्त में समाप्त ही कर दिये जाते हैं । उन का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि वे योजनायें जिन के लिये वे अनुदान दिये गये हैं, पूरी न हो जाय । राजस्थान सरकार ने वास्तव में १९४९-५० से १९५३-५४ तक केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) रिज़र्व में से २.७ लाख रुपये का और केन्द्रीय सड़क निधि (विशेष रिज़र्व में से ४०.३५ लाख रुपये का कुल उपयोग किया था ।

(घ) केन्द्रीय सड़क निधि रिज़र्व से जिन कार्यों के लिये अनदान पेश किये गये उन को बताने वाला एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३].**

छात्रों की सामुहिक ट्युबरकुलिन जांच

३२९. श्री वी० पी० नायर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि कितने प्रतिशत भारतीय छात्रों की सामूहिक रेडियोग्राफी तथा ट्यूबरकुलिन जांच हो गई है ; और

(ख) कितने प्रतिशत छात्रों को क्षय-रोग हो जाने की सम्भावना पाई गई है तथा वे छात्र कितने प्रतिशत हैं जिन्हें क्षय रोग होगया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तथा (ख) बी० सी० जी० आन्दोलन के सिलसिले में देश के विभिन्न भागों में कुछ वयस वर्गों की सामूहिक रेडियोग्राफी तथा ट्यूबरकुलिन जांच की जा चुकी है । माननीय सदस्य द्वारा केवल छात्रों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिमी रेलवे पर यात्री सुविधायें

३३०. श्री डाभी : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे पर १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में यात्रियों की सुविधाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में ३१ अगस्त १९५४ तक प्रति वर्ष वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) उन में से प्रत्येक वर्ष में नये स्टेशनों के निर्माण अथवा पुराने स्टेशनों को आधुनिक ढंग के बनाने पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(हजारों में)

(क)	१९५२-५३	३६,४२
	१९५३-५४	५०,००
	१९५४-५५	६५,४६
(ख)	१९५२-५३	३७,९६
	१९५३-५४	३९,०८

१९५४-५५—अगस्त १९५४ तक के व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं

(ग)

नए स्टेशनों का निर्माण	पुराने स्टेशनों को नए ढंग का बनवाना
१९५२–५३ सूचना एकत्रित की जा रही हैं	२१,४१
१९५३–५४ और सभा पटल	१८,३४
१९५४–५५ पर रख दी जायगी।	अगस्त १९५४ तक होने वाले व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

रेलवे कुली

३३१. श्री एन० ए० बोरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि रेलवे के लाइसेन्स प्राप्त कुलियों की स्थिति कैसी है ;

(ख) क्या रेलवे द्वारा उन्हें कुछ मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार लाइसेन्स प्राप्त कुलियों के एक मजदूर संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने कौन सी मशीनरी का निर्माण किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लाइसेन्स प्राप्त कुली रेलवे कर्मचारी नहीं है किन्तु उन्हें केवल यात्रियों के सामान को रेलवे की सीमा के अन्दर ढोने का ही लाइसेन्स मिला है। इस कार्य के लिये उन्हें यात्रियों से केवल उतना पैसा ही मिलता है जितना रेलवे द्वारा अधिकृत है ।

(ख) नहीं ।

(ग) यदि वे चाहें तो अपना संघ बना सकते हैं किन्तु चूंकि लाइसेन्स प्राप्त कुली रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, इस कारण रेलवे कर्मचारियों के संघों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं वे इन्हें नहीं दिये जा सकते ।

(घ) रेलवे को ऐसे अनुदेश प्राप्त हैं कि प्रत्येक रेलवे के दो या तीन बड़े-बड़े स्टेशनों पर समितियां बनाने की योजना बना कर देख सकते हैं, जिस के अन्तर्गत लाइसेन्सप्राप्त कुलियों के प्रतिनिधि मास में एक बार स्टेशन सुपरिनटेंन्डेंट से उन विषयों पर चर्चा करने के लिये भेंट कर सकते हैं जिन को तय करना हो ।

रेल की पटरी आदि सामानों की चोरी

३३२. श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में रेलवे से रेल की पटरी आदि सामानों की कुल कितने की चोरी हुई ;

(ख) क्या किसी भी चोरी में अपराधी पकड़े गये हैं ; और

(ग) ऐसे अपराधियों को साधारणतः क्या दण्ड दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४].**

कार्यालय टाईपराइटर

३३३. श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५०-५१ और १९५२ में केन्द्रीय और पूर्वी रेलवे के कार्यालयों से कितने टाइपराइटर चोरी हुए ; और

(ख) क्या किन्हीं मामलों में चोर पकड़े गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

रलवे

(क) वर्ष	केन्द्रीय	पूर्वी	योग
१९५०	४	१	५
१९५१	६	—	६
१९५२	३	३	६
योग	१३	४	१७

(ख) केन्द्रीय रेलवे में चोरी के मामलों में कोई चोर नहीं पकड़ा गया था । तथापि पुलिस की जांच के बाद दो टाइपराइटर रेलवे को लौटा दिये गये थे । पूर्वी रेलवे के सम्बन्ध में, १९५० में केवल एक मामले में चोर पकड़ा गया था और उसे ६ मास कैद सख्त और १०० रुपये जुर्माने का दण्ड दिया गया था ।

शिक्षकों के लिए कोनी कैम्प केन्द्र

३३४. श्री एन० ए० बोरकर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने मध्य प्रदेश के शिक्षक कैम्प केन्द्र को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

नागपुर का काम-दिलाऊ दफतर

३३५. श्री एन० ए० बोरकर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में नागपुर के काम दिलाऊ दफ़तर में कुल कितने बेकार व्यक्ति रजिस्टर किये गये थे ?

श्रम **उपमंत्री (श्री आबिद अली)**। २१,५५४ ।

काम दिलाऊ दफ़तर

३३६. एन० ए० बोरकर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति के उम्मेदवारों को नौकरी देते समय काम दिलाऊ दफ़तर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सुरक्षा को बनाये रखते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). जी नहीं, सुरक्षण बनाये रखने का उत्तरदायित्व नियोजक स्थापनाओं पर है । तथापि, जब अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना दी जाती है, तो नौकरी दफ़तर केवल इन जातियों के उम्मेदवारों के नाम भजते हैं ।

नये डाकखाने

३३७. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में होशियारपुर, कांगड़ा और गुर्दासपुर के जिलों में कितने शाखा डाकखानों को उपडाकखानों म परिवर्तित किया गया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : १९५३-५४ में इन तीन जिलों में ७ शाखा डाकखानों को उपडाकखानों में परिवर्ति किया गया था ।

सड़क निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान

३३८. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **परिवहन** मंत्री १३ मई, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब राज्य ने पंचवर्षीय योजना के

अधीन ग्रामों तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा दी गई सारी राशि का उपयोग कर लिया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ३१ मार्च, १९५४ तक पंजाब ने ४१,४०० रुपये का उपयोग किया था ।

श्रमिकों सम्बन्धी झगड़े

३३९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, १ जनवरी से अगस्त, १९५४ के अन्त तक श्रम और उद्योग के बीच कितने झगड़े समझौता अधिकारियों को सौंपे गये थे ;

(ख) समझौता अधिकारियों ने इस प्रकार के कितने झगड़ों को निबटाया; और

(ग) कितने मामले न्यायाधिकारियों को भेजे गये थे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २,९०९

(ख) १,८१५

(ग) २१।

तार घर

३४०. **सेठ गोविंद दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन सरकार को निःशुल्क दिये गये तारघरों आदि का प्राक्कलित मूल्य कितना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : चीनी सरकार को दी जाने वाली डाक और तार की आस्तियों की कुल लागत ३३,८१६ रुपये है । इस में ग्योटसे कार्यालय की आस्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं है, जोकि हाल की बाढ़ में बह गया था ।

माल के डिब्बों का आवंटन

३४१. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सत्य है कि फेडूसर पहाड़ियों में जोधपुर जिले के कुछ पत्थर के व्यापारियों ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उन्हें माल के डिब्बे नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) उन की शिकायतें दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) फेडूसर स्टेशन पर किसी भी समय पत्थर के लिये रजिस्ट्रेशन की अधिकतम सीमा १२० माल के डिब्बे निश्चित की गई है । किन्तु किसी समय १२० माल के डिब्बों के रजिस्ट्रेशन की अधिकतम सीमा के अन्दर यथासम्भव अधिक से अधिक माल भेजने वाले को माल के डिब्बे मिल सकें, इस बात का ध्यान रखने के लिये, फेडूसर के पत्थर के व्यापारियों ने २३-६-४५ से आपस में यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक माल भेजने वाला दो डिब्बों से अधिक रजिस्टर न कराये । यह प्रक्रिया सन्तोषजनक रूप से चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि आगे और कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं ।

वात रोगों का प्रभाव

३४२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि क्या भारत सरकार के कहने पर भारत में पुराने वात रोगों से उत्पन्न

स्वास्थ्य में स्थायी विगाड़ के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) वात रोगों से अनुमानतया किस हद तक दीर्घकालीन असमर्थता पैदा होती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) भारत सरकार के कहने पर ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया ।

(ख) इस बात का सामान्य अनुमान लगाना संभव नहीं है । प्रत्येक मामले में असमर्थता रोगी की आयु, उस के रहन-सहन की परिस्थितियों, उस के इलाज के तरीके, और कुछ एक अन्य बातों पर निर्भर है ।

रेलवे वाच ऐंड वार्ड

३४३. श्री झूलन सिंह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि रेलवे में वर्तमान वाच ऐंड वार्ड प्रणाली कब शरू की गई थी ; और

(ख) उक्त प्रणाली के शुरू करने के एक वर्ष पूर्व और १९५२-५३ और १९५३-५४ में उत्तरपूर्वी रेलवे में चोरी की कितनी घटनायें हुईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५]

(ख) एक अलग वाच ऐंड वार्ड विभाग स्थापित करने के एक वर्ष पूर्व उत्तरपूर्वी रेलवे में होने वाली चोरियों की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है । पिछले दो वर्षों के आंकड़े निम्न हैं :

१९५२-५३	४३८
१९५३-५४	२६१

संयुक्त राज्य अमरीका को बन्दरों का निर्यात

३४४. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५३—५४ में संयुक्त राज्य अमरीका को कितने बन्दरों का निर्यात किया गया ; और

(ख) इस अवधि में इस निर्यात के द्वारा कितने डालर प्राप्त हुए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १३,२२९ बन्दर ।

(ख) २,३९,००० रु०

हिन्दी में तार

३४५. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि कितने केन्द्रों पर भारतीय भाषाओं की तार सेवा देवनागरी लिपि में आरम्भ कर दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों में हिन्दी में तार द्वारा मनी आर्डर सेवा आरंभ की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५९९ ।

(ख) जी हां, इस सेवा का विस्तारण कर के इस को पंजाब और दिल्ली राज्यों के उन केन्द्रों में चालू कर दिया गया है जिन का वर्णन संलग्न सूची में है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सं० ५६]**

दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर

३४६. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या जबलपुर में एक नवीन दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में उपकरण कब लगाया जायगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भवन लगभग तैयार हो गया है । कुछ छोटे छोटे काम शेष रह गये हैं जिन के चालू वर्ष में पूरे हो जाने की आशा है ।

(ख) नवीन भवन में उपकरण के ले जाने का काम संभवतः जनवरी, १९५५ से प्रारम्भ होगा और मार्च, १९५५ तक पूरा हो जायगा ।

बिमान निगम के लिये विमान

३४७. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५३ में तथा मई, १९५४ तक दोनों विमान निगमों के लिये कितने विमान आयात किये गये तथा वे किस प्रकार के थे और उन की धारिता क्या थी ; और

(ख) ये विमान कितने मूल्य के थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख) । १९५३ में अथवा मई, १९५४ तक विमान निगमों द्वारा कोई विमान नहीं मंगाया गया ।

उत्तर पूर्वी रेलवे पर विस्फोट

३४८. **पंडित डी० एन० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि मई, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में राजपट्टी और जनकपुर रोड के स्टेशनों के बीच में एक बरात के द्वारा एक पटाके के प्रयोग किये जाने पर ३३२ डाऊन (उत्तर पूर्वी रेलवे) में आग लग गई ;

(ख) क्या भय के कारण कितने ही व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से कूद पड़े और बुरी तरह जख्मी हुए ; और

(ग) यदि हां, तो उस से कितने व्यक्ति जख्मी हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक जलती हुई बीड़ी अथवा दियासलाई के असावधानीपूर्वक पटाकों वाली टोकरी में फैंके जाने से आग लग गई ।

(ख) और (ग) । तीन व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से कूद पड़े और उन के साधारण सी चोटें आईं ।

रेलवे टिकट घर

३४९. चौ० रघुवीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों ने यह पता चलाने के लिये कि टिकटघर ठीक समय पर खल जाते हैं अथवा नहीं १९५३-५४ में स्टेशनों और टिकट घरों की आकस्मिक जांचें कीं और इस सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न किये ;

(ख) यदि हां, तो उत्तरी खंड के किन-किन स्टेशनों पर इस प्रकार की आकस्मिक जांचें की गईं ; और

(ग) नियम भंग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एसी जांचें की गईं ।

(ग) जिन कर्मचारियों की गलती पाई गई उन के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की गई ।

फ़ीरोजाबाद रेलवे स्टेशन

३५०. चौ० रघुवीर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने फीरोज़ाबाद स्टेशन (उत्तरी रेलवे) पर

कर्मचारियों के वास्ते क्वार्टर बनवाने के लिये कुछ भूमि ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनवाने का विचार है और निर्माण कार्य के किस तिथि मे प्रारम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) इन क्वार्टरों के बनवाने में कितना व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) । आगामी कुछ वर्षों में २५ और २७ के बीच में क्वार्टर बनवाये जायेंगे जिन में अनुमानत: एक लाख रुपये से अधिक व्यय होगा ।

नल-कूप

३५१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि भारत में नल-कूपों के निर्माण हेतु भारत-यू० एस० ए० प्राविधिक सहकारी सहायता के अन्तर्गत यू० एस० ए० द्वारा अभी तक कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) अभी तक कितने नल-कूप बन चुके हैं और कितने बनने शेष हैं (राज्यवार) ; और

(घ) नलकूप बनवाने के लिये राज्यों को किन शर्तों पर सहायता दी जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) २ करोड़ ४० लाख डालर ।

(ख) इस धनराशि का उपयोग नल-कूपों के वास्ते आयातित सामग्री की प्राप्ति के लिये होता है तथा इस को राज्यवार वितरित नहीं किया जाता । नलकूपों पर डालरों और रुपयों में जो व्यय होता है उस की पूर्ति के लिये भारत सरकार राज्य सरकारों को ऋण दे रही है ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध सं० ५७]**.

(घ) केवल वही राज्य प्राविधिक सहकारी सहायता कार्यक्रमों में सम्मिलित किये गये हैं जिन के बारे में यह विश्वास है कि वहां की भूमि सिंचाई के नल-कूपों के निर्माण हेतु उपयुक्त है । इन राज्यों के लिये नियत हुई नल-कूपों की संख्या तथा उन की अनुमानित लागत के आधार पर डालरों और रुपयों में होने वाले व्यय की पूर्ति करने वाले ऋण दिये जाते हैं ।

रेलवे आय

३५२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५१-५२ (पुनर्वर्गीकरण से पहले का वर्ष) तथा १९५२-५३ (पुनर्वर्गीकरण के बाद का वर्ष) में भारतीय रेलों की कुल आय, निर्माण व्यय तथा वास्तविक आय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय रेलों के आंकड़े अधोलिखित रूप में हैं :—

(रुपये लाखों में)

	१९५१-५२	१९५२-५३
कुल आय	२,११,५९	२,६१,७१
	—१६,३१*	
	२,७५,२८	
निर्माण व्यय	२,२५,६१	२,१७,९९
	—१५,०१*	
	२,१०,६०	
वास्तविक आय	६४,६८	५१,८०

भारतीय रेलें

(ख)	१९५१-५२	१९५२-५३
	९१३,०२९	९१६,२१०

डाक तथा तार शिकायत संबन्धी संघठन

३५३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई १९५४ को डाक तथा तार निदेशालय के शिकायत संबंधी विशिष्ट संघठन के पास कितनी शिकायतें विचार हेतु पड़ी हुई थीं ;

(ख) १ जनवरी और ३१ जुलाई १९५४ के बीच कितनी शिकायतों का निर्णय हुआ ; और

(ग) इस अवधि में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पक्षपात, भ्रष्टाचार तथा अवपीड़न के कितने मामलों की जांच हुई और जो दोषी पाये गये उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) १००४ ।

(ख) १३३० ।

(ग) ५४ ।

३५ मामलों की जांच पूरी हो गई है परन्तु उन के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सके । १९ मामलों की अब भी जांच हो रही है ।

त्रिपुरा के कृषकों के लिये ऋण

३५४. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार त्रिपुरा के कृषकों के लिये १९५४-५५ में कृषि-ऋण देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार प्रत्येक कुटुम्ब के लिये न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी धनराशि देने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) और (ख) । हां श्रीमान् । सामान्यतः मामले के गुणावगुण के आधार पर ही ५० रु० से ले कर ५००० रु० तक ऋण दिया जायेगा ।

त्रिपुरा में श्रम-विवाद

३५५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के श्रमिकों ने केवल १९५३-५४ के काल में मजूरी का भुगतान न होने की कितनी याचिकायें श्रम अधिकारी को प्रस्तुत कीं ; और

---

*रेलवे भण्डारों तथा ईंधन इत्यादि पर भाड़े का खर्चा जोकि १९५२-५३ के वित्तीय लेखे में दर्ज होना बन्द हो गया के सम्बन्ध में समायोजन ।

(ख) अब तक कितने विवादों का निर्णय हो गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) पैंसठ ।

(ख) चालीस ।

जूमिया आदिमजातियां (त्रिपुरा)

३५६. **श्री दशरथ देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की तहसील कमलसागर की कितनी जूमिया आदिमजातियों ने सरकार से भूमि बन्दोबस्त (दी जाने) के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) उन में कितनों को बसने के लिये भूमि दे दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). छः परिवारों ने प्रार्थना की है । परन्तु बसाने की कार्यवाही केवल एक पक्ष के सम्बन्ध में की जा रही है । शेष पांच परिवारों के मामले प्रार्थियों के उपस्थित न होने के कारण अनिश्चित पड़े हैं ।

मलेरिया विरोधी आन्दोलन

३५७. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि इस वर्ष मलेरिया की रोक थाम करने के लिये विभिन्न राज्यों में डी० डी० टी० छिड़कने वाली टुकड़ियां किन सिद्धान्तों के अनुसार भेजी गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : विभिन्न राज्यों में डी० डी० टी० छिड़कने वाली टुकड़ियों को ऐसे विचारों के अनुसार भेजा गया है जैसे कि राज्य का आकार, राज्य में वह जनसंख्या जो मलेरिया के खतरे में हो और मलेरिया विरोधी कार्यवाहियों के लिये राज्यों में प्राप्य वित्त । वे क्षेत्र जहां टुकड़ियां कार्य कर रही हैं स्वयं राज्य सरकारों ने निर्धारित किये हैं ।

रेल के डिब्बे बनाने का पेराम्बूर स्थित कारखाना

३५८. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बूर स्थित रेल के डिब्बे बनाने वाले कारखाने के कर्मचारियों के निवास का प्रबन्ध किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ; तथा

(ग) इन निवास-स्थानों में क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) लगभग ४०० ।

(ग) अन्दर का नल, रसोई घर, धुलने वाला शौचालय, फव्वारेदार स्नानगृह और बिजली के प्रकाश की सुविधा इन निवास-स्थानों में दी जा रही है ।

रेल के सवारी डिब्बे

३५९. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कारखाने में निर्मित रेल के सवारी डिब्बे विदेश में बने सवारी डिब्बों की तुलना में कैसे हैं ; तथा

(ख) क्या देश में बने सवारी डिब्बे मूल्य में अपेक्षतया सस्ते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उन की तुलना करना कठिन है क्योंकि उन के बनावट के ढंग एक ही प्रकार के नहीं हैं । फिर भी कुछ और

वर्षों तक प्रयोग करने पर उन की तुलनात्मक दृढ़ता का अनुमान लगाया जा सकेगा ।

(ख) भारत में निर्माण किये गये सवारी गाड़ी के डिब्बे आयात किये गये डिब्बों की अपेक्षा साधारणतया सस्ते होते हैं ।

रेल के माल-डिब्बे

३६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों पर माल उतारने के समय से ले कर माल लादने के समय तक एक माल-डिब्बा औसतन कितने समय बेकार रहता है ; तथा

(ख) वर्ष १९४४-४५ में यह औसत कितना था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

डाक पहुंचाने के लिए हेलीकाप्टर

३६१. **ठा० लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या **संचार** मंत्री १३ मई १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के उन भागों में जहां प्रवेश करना सरल नहीं है वहां हेलीकाप्टर द्वारा डाक पहुंचाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : देश के सुदूर क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां प्रवेश करना सरल नहीं है, हेलीकाप्टर द्वारा डाक पहुंचाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है । कुछ गैरसरकारी समवायों ने इस कार्य के लिये हेलीकाप्टर सेवा देने का सुझाव किया है पर सवारी की जो दर उन्होंने बताई है वह वर्तमान समय में डाक ले जाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उस के चारगुने से भी अधिक है ।

स्वास्थ्य वर्धक स्थानों के लिए रियायती टिकट

३६२. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई १९५४ से जून १९५४ तक कितने व्यक्तियों ने विभिन्न स्वास्थ्य वर्धक स्थानों के लिये रियायती टिकट क्रय करने की सुविधा उठाई ; और

(ख) इसी अवधि में विभिन्न मेलों और उत्सवों के अवसरों पर भिन्न-भिन्न रेलवे ने कितनी विशेष रेलें चलाईं और उन रेलों के द्वारा कितने लोगों ने यात्रा की ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). सूचना संग्रहीत की जा रही है और ज्यों ही उपलब्ध हो जायेगी सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

उर्वरक

३६३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी में निर्मित उर्वरकों का विभिन्न राज्यों के लिये कोटा सरकार किस सिद्धान्त पर निश्चित करती है ; और

(ख) उर्वरक उधार प्रणाली या नकद भुगतान की प्रणाली पर दिये जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस समय सिन्दरी में केवल अमोनियम सल्फेट उत्पन्न होता है । राज्य सरकारों के लिये इस के उर्वरकों का कोटा उन की वार्षिक मांग के आधार पर निश्चित किया जाता है ।

(ख) उधार प्रणाली पर दिये जाते हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन में डाकखाने

३६४. **श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में त्रावनकोर-कोचीन में कितने डाकखाने और कितने उपडाकखाने खोले गये हैं ; और

(ख) क्या ऐसे भी स्थान हैं जिन की जनसंख्या २,००० तक है पर उन में कोई डाकखाना नहीं है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में १९५३-५४ में ३९ गैरविभागीय शाखा कार्यालय, एक गैरविभागीय उपकार्यालय और दो विभागीय उपकार्यालय खोले गये हैं ।

(ख) हां, २००० या अधिक जनसंख्या वाले ५३ गांव हैं जहां पर कोई डाक खाने नहीं हैं क्योंकि इन गांवों से तीन मील की दूरी के भीतर ही डाकखाने स्थित हैं ।

रेलवे दर न्यायाधिकरण, मद्रास

३६५. **श्री एन० आर० मुनि स्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के रेलवे दर न्यायाधिकरण के न्यायालय में उस के स्थापित होने के पिछले ६ वर्षों में कितने मुकदमे दायर किये गये ;

(ख) प्रति वर्ष अधिवक्ताओं को कितना शुल्क दिया गया ; और

(ग) उस के स्थापन में कितना वार्षिक व्यय होता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) पूछी गई सूचना बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८]**.

पीलीभीत में भूमि को कृषियोग्य बनाने की योजना

३६६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में भूमि को कृषियोग्य बनाने की योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के बीच अभी हाल में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) क्या निश्चय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) अपनी योजना को १०,००० एकड़ तक मर्यादित रखने तथा उस पर भूमिहीन श्रमिक कृषकों को ही बसाने तक सीमित रखने वाले संशोधन के औचित्य पर विचार करने के लिये राज्य सरकार सहमत हो गई है ।

अमरावती रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल

३६७. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **रेलवे** मंत्री १३ मई १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५४९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरावती रेलवे स्टेशन के निकट लाइन के ऊपर एक पुल बनवाने के मामले में कोई अन्तिम निश्चय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो संभवतः कब निश्चय किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उमंपत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं, श्रीमान्

(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा भेजे गये दो वैकल्पिक सुझावों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक अपना निश्चय नहीं भेजा है । ज्यों ही एक निश्चित उत्तर मिलेगा रेलवे अपना निश्चय करेगी ।

कांडला में विमान क्षेत्र

३६८. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांडला पत्तन के निकट विमानक्षेत्र बनाने का काम कब प्रारम्भ होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : १९५४ के अन्त तक ।

नमक के माल-डिब्बों से माल का उतारा जाना

३६९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर २० टन नमक से लदे दो माल डिब्बे दो वर्षों से लदे पड़े थे ; तथा

(ख) यदि सच है, तो उक्त माल डिब्बे वहां कब आये थे और उन के वहां पड़े रहने का कारण क्या था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). यह सच है कि इस रेलवे के एक स्टेशन पर नमक से लदे दो डिब्बे गत दो वर्षों से पड़े हुये हैं। यह डिब्बे किसी काम के नहीं थे जिन में १८ टन (१९४ बोरे) नमक स्टेशन के गोदाम में जगह न होने के कारण हटा कर भर दिया गया था ताकि जिन डिब्बों में यह सामान आया था उन्हें प्रयोग के लिये खाली कर दिया जाय । पर इस सामान के इसी प्रकार पड़े रहने का कारण यह है कि इस सामान का कोई लेने वाला नहीं है और न तो इसे गोरखपुर के 'खोयी सम्पत्ति कार्यालय' में ही रखा जा सका क्योंकि वहां भी स्थानाभाव था ।

इम्फाल डाकखाना

३७०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल डाकखाना अभी असरकारी भवन में अस्थायी रूप से रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो डाकखाने के लिये कब नवीन भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(ग) नये भवन के निर्माण के लिये कितना धन सुरक्षित कर दिया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) ज्यों ही केन्द्रीय जन कार्य विभाग द्वारा अनुमान और नकशों का निश्चय हो जायगा, भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(ग) १९५४-५५ के आयव्ययक वर्ष में इस कार्य के लिये ३५,००० रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । आगे आगामी वर्ष में व्यवस्था की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में नलकूप

३७१. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के एटा और फर्रुखाबाद जिलों में नलकूप खोदने में ब्योरेवार क्या व्यय हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९५२ के टी० सी० एम० कार्यक्रम के अन्तर्गत मैनपुरी क्षेत्र में बनाये गये ३०० फीट गहरे प्रतिमान नलकूपों का औसत व्यय नल आदि को जोड़ कर २९,०००

रुपया है । निम्न कारणों से मूल्यों में कमी और वृद्धि भी हो सकती है :—

(क) गहराई की कमी या वृद्धि

(ख) मिट्टी की किस्म ;

(ग) कुप में प्रयुक्त मोटर और ट्रांस-फार्मर्स का मुल्य ।

टी० सी० एम० नलकूपों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में बने अन्य नलकूपों के मूल्य के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है ।

विशेष हवाई डाक सेवा

३७२. ठा० युगल किशोर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी बिहार के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में विशेष हवाई डाक सेवा की व्यवस्था करने में अनुमानित व्यय कितना हुआ और कितनी क्षति हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : इस समय उत्तरी बिहार के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की डाक वायुयानों के द्वारा नहीं लाई और ले जाई जा रही है क्योंकि इस प्रकार की कोई सेवा उपलब्ध नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों को अनाज की दूकानों की सुविधायें

३७३. श्री के० सी० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आरम्भ में १९५१ में कुल कितने रेलवे कर्मचारियों ने अनाज की दुकानों की सुविधाओं को पसन्द किया था ;

(ख) इस समय कुल कितने व्यक्तियों को ये सुविधायें प्राप्त हैं ;

(ग) सुविधायें लेने से इन्कार करने के क्या कारण थे ; और

(घ) अनाज की दुकानों की सुविधा और उस के स्थान पर दिये जाने वाले नकद भत्ते में लगभग कितना अन्तर है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आरम्भ में जनवरी १९४९ में कुल ४,८२,३८७ रेलवे कर्मचारियों ने अनाज की दुकानों की सुविधाओं को पसन्द किया था । जनवरी १९५१ में इन की संख्या २,४२,१९० थी ।

(ख) १-८-१९५४ को इन की संख्या १,४३५,१७ थी ।

(ग) इस के कारण ये हैं :—

(१) कर्मचारि-वृन्द २५० रु० या इस से अधिक वेतन हो जाने के कारण अनाज की दुकानों की सुविधा के लिये अपात्र हो जाते हैं ;

(२) सेवा निवृत्ति के कारण साधारण हानि , इत्यादि ;

(३) अनाज के बाजार-भाव कम हो जाने से अनाज की दुकान की रियायतों का मूल्य कम हो गया इस लिये कर्मचारी-वृन्द नकद महंगाई भत्ता प्राप्त करने के पक्ष में हो गये ।

(४) ग्राहकों की संख्या कम हो जाने से अनाज की कुछ दूकानें बन्द कर दी गईं ।

(घ) क्योंकि अन्तर कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की संख्या उस के वेतन और उस के निवास-क्षेत्र पर निर्भर करता है, अतः यह प्रत्येक कर्मचारी के लिये अलग अलग होता है । जन १९५४ में ५ सदस्यों के परिवार वाले, भिन्न भिन्न स्थानों पर काम करने वाले विभिन्न वेतन वर्गों के कर्मचारियों के लिये यह अन्तर प्रति मास लगभग ४ रुपये की हानि और १५ रुपये के लाभ के बीच था ।

बाढ़

३७४. { **श्री डामर** :
श्री एच० एस० प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत आठ वर्षों में प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा लगभग कितनी कीमत की फसल नष्ट हुई ;

(ख) इस प्रकार कितने एकड़ जमीन पर प्रभाव पड़ा ; तथा

(ग) इस प्रकार की भीषण बाढ़ को रोकने के लिये कार्यवाही करने में लगभग कितना खर्च पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). यह अनुभव किया जाता है कि यह जानकारी एकत्र करने में जो श्रम लगेगा वह फल के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) ३ सितम्बर, १९५४ को लोक-सभा में योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री श्री गुलज़ारी लाल नन्दा द्वारा बाढ़ के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

भद्राचलम् रोड से कोयला खानों को रेल द्वारा मिलाना

३७५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भद्राचलम् रोड से कोयला खानों के साइडिंग तक बढ़ाई जाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) १९५४-५५ के आय-व्ययक में इस के लिये एक लाख रुपये की राशि का जो उपबन्ध किया गया है उस में से जुलाई १९५४ की समाप्ति तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भद्राचलम् में कोयला खानों के साइडिंग तक रेलवे लाइन के विस्तार का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि प्रार्थियों ने अभी तक अनुमानित व्यय में से न तो अपना भाग देना स्वीकार किया है और न ही वह राशि रेलवे प्रशासन के पास जमा करवाई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे सेवा आयोग

३७६. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद के अध्यक्ष और सदस्यों को कितना वेतन और भत्ते दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि उन्हें निवास सम्बन्धी अथवा कोई अन्य सुविधायें दी जाती हैं, तो वे क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अध्यक्ष तथा सदस्य का वेतन क्रमशः २,००० रु० और १,५०० रु० प्र० मा० है । इस के अतिरिक्त उन्हें ५० रु० प्रति मास महंगाई भत्ता मिलता है, जो १-६-५५ से बन्द हो जायगा ।

(ख) उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है ।

उत्तर रेलवे के दूकानदार

३७७. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर रेलवे के उन दुकानदारों की संख्या कितनी है जिन के ठेके की अनु-

ज्ञप्तियों का १९५४ में नवीकरण किया गया है ; और

(ख) नये ठेकेदारों को दी गई अनुज्ञप्तियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ४०९.

(ख) २८.

अन्नपूर्णा जलपान-गृह

३७८. श्री गणपति राम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे की कितनी गाड़ियों में अन्नपूर्णा जलपान-गृहों की व्यवस्था है ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस समय किसी में नहीं ।

त्रिपुरा में धान का मूल्य

३७९. श्री एन० बी० चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा राज्य में अगस्त, १९५४ में धान का अधिकतम और निम्नतम मूल्य क्या था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : त्रिपुरा राज्य में अगस्त, १९५४ में खुले बाजार में धान का अधिकतम और निम्नतम मूल्य क्रमशः ८ रु० ८ आ० तथा ३ रु० प्रति मन था ।

लोक-सभा

शुक्रवार,
१० सितम्बर, १९५४

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
मवार २३ अगस्त, १९५४	
। सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
टल पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

स्तम्भ

सदस्य द्वारा पदत्याग २१
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—
अस्माप्त . . . . २२—९६

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य। . . . . ९७—१०४
पटल पर रखे गये पत्र—
अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर . . १०४
हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा . . . १०४
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार . १०४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि १०४-१०५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . १०५—१८८

बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना १८९
संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३ १८९-१९०
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन . १९०
परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश १९०-१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश १९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण १९१-१९२
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार १९२
सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें . . . १९२
प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में:
विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना . १९२
वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन १९२
सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन . . . १९२
"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना १९३-१९४
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १९३-२०७
तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . २०७-२०८
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . २०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२६

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२७

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४२७

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५९

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५९—५१३

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १४ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्मेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—— स्तम्भ
विचार करने का प्रस्ताव——असमाप्त . . . ८५१–८५।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव——
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना .
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन .
पटल पर रखे गये पत्र——
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित . . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प——स्वीकृत . ८५९——
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प——स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक——
खंडवार विचार——असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र ——
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन——
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००
सभा का कार्य——बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२——१००५
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . . १००६——१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०–५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . . १०६९-१०७०

स्तम्भ

्तीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . .	१०७०
ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . .	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
िय पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४ . .	१०७१
ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ .	१०७१
ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ .	१०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ . . .	१०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७९—१११८
ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
ंकिर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८

ुवार ११ सितम्बर, १९५४

न पर रखे गये पत्र—	
ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें .	११६९
मा. सदस्य की दोष-सिद्धि	११६९—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त .	११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य .	१२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	१२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२९२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक सभा

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०५ म० प०

पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) आदि ।

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अधीन इन पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (भाग २) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२९८/५४]

(२) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२९९/५४]

अखिल भारतीय सेवाओं संबंधी नियम

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन इन नियमों में प्रत्येक की प्रति पटल पर रखता हूं :—

१. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–३००/५४]

(२) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । दखिये संख्या एस—३०१/५४]

(३) भारतीय प्रशासन सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखियै संख्या एस–३०२/५४]

(४) भारतीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–३०३/५४]

(५) भारतीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—३०४/५४]

[श्री दातार]

(६) भारतीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एस–३०५/५४]

(७) भारतीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३०६/५४]

(८) भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३०७/५४]

(९) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३०८/५४]

अजमेर के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के विषय

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मैं अजमेर काश्तकारी तथा भू अभिलेख अधिनियम १९५० की धारा २०३ की उपधारा (४) के अधीन, अजमेर राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियमों की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस–३०९/५४]

समय नियतन सबधी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को सूचित करता हूं कि सरकारी विधान और अन्य कार्यों के लिये समय नियतन के लिये, ६ और ८ सितम्बर १९५४ को कार्य मंत्रणा समिति की बैठकें हुई थीं। समिति ने इस समय नियतन को स्वीकार किया है :—

विधयक का नाम और अन्य कार्य	नियत किया गया समय
१. विशेष विवाह विधेयक।	३७ घण्टे। (चालू सत्र में १७ घंटे और ३४ मिनट अब तक इस पर खर्च हो चुके हैं। शेष समय में से १६ घंटे और २६ मिनट शेष खण्डों पर चर्चा के लिये और तीन घण्टे तृतीय वाचन के लिये)
२. संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक।	१० घण्टे। (संयक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव के लिये ४ घंटे और संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों पर चर्चा तथा विधेयक पर विचार करने एवं पारित करने के लिये छः घण्टे)।

मैं यहां बताना चाहता हूं कि विभिन्न खण्डों तथा खण्डों की अनसूचियों के लिये समय नियतन का निर्णय करने के हेतु कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज ४ बजे होगी।

३.	भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ।	६ घण्टे ।
४.	केन्द्रीय उत्पादन शल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक ।	३ घण्टे ।
५.	भारतीय शुल्क (संशोधन) विधेयक ।	२ घंटे ।
६.	विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास) विधेयक ।	६ घण्टे ।
७.	निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ।	४ घण्टे ।
८.	चन्द्रनगर विलय विधेयक ।	२ घण्टे ।
९.	करारोपण विधियां (जम्मू और काश्मीर तक विस्तार) विधेयक ।	१ घण्टा ।
१०.	भारतीय प्रशल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।	७ घण्टे ।
११.	मध्य भारत आय-करारोपण (मान्यीकरण) विधेयक ।	१ घण्टा ।
१२.	अनुदानों की अनुपूरक मांगें ।	६ घण्टे ।
१३.	वैदेशिक कार्य पर वाद-विवाद ।	८ घंण्टे ।
१४.	बाढ़ समस्या पर चर्चा	४ घण्टे ।

यह अधिसूचित किया जा चुका है कि चाल सत्र ३० सितम्बर को समाप्त होगा, इसलिये समस्त आवश्यक कार्य को निपटाने के लिये समिति ने १८ और २५ सितम्बर को सभा की बैठक समवेत करने तथा इन दिनों में प्रश्नों के लिये घण्टा न दिये जाने की सिफारिश की है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यदि समय मिले तो इन विधयकों पर भी विचार किया जाये :—

१. हिन्दु अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

२. सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक ।

३. काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

अब मैं संसद् कार्य मंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहूंगा ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : क्या अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर भी इस सभा में विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस सूची में सम्मिलित नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : क्या यह सूची हम को परिचालित की जायेगी और क्या विधेयकों पर इसी क्रम से विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जिस क्रम से मैं ने विधेयकों के नाम पढ़े हैं, उसी क्रम से इन का उपस्थापन अनिवार्य नहीं है, किन्तु सदस्यों को प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों की पर्याप्त सूचना दी जायेगी ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : आपने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें पढ़ कर

[श्री राघवाचारी]

सुनाई ह । यदि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, तो अधिक उत्तम होगा ।

अध्यक्ष महोदय: इस समिति ने, जो सब दलों की प्रतिनिधि है, यह निर्णय किया है, इसलिये इसे स्वीकार कर लेना ही ठीक है; अन्यथा और अनेक अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मझे स्पष्टतः मालूम नहीं है कि यद्यपि यह समिति सब दलों का प्रतिनिधित्व करती है, किन्तु क्या इस के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में संशोधन करने का इस सभा को कोई अवसर मिलता है, उदाहरणार्थ कुछ सैकिण्ड पहले अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा किये जाने की सम्भावना का एक सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया था । क्या इस प्रतिवेदन को स्वयमेव स्वीकार कर लेने हमारे द्वारा रखे गये संशोधनों के विषय म इस सभा की सम्मति पूर्णतया नियम विरुद्ध ठहरा दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय: यदि वैधानिक दृष्टिकोण अपनाया जाये, तो प्रत्येक प्रस्ताव में संशोधन की गुंजाइश हो सकती है, किन्तु यदि समय का सदुपयोग करते हुये अच्छी प्रथायें विकसित की जायें, तो सर्वोत्तम प्रथा यह होगी कि पर्याप्त विचार और परीक्षण के बाद इस समिति द्वारा बनाये गये कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप के द्वारा बनाये गये प्रक्रिया नियमों के नियम ३७ में, जिसके अनसार सभा आवश्यक सिफारिश के साथ प्रस्ताव को समिति को वापिस भेज सकती है, संशोधन किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी नियम का विरोध नहीं करता हूं, किन्तु यदि वह संशोधन करते रहे तो समय आवंटन व्यर्थ हो जायेगा, अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार के औपचारिक प्रस्ताव में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

श्री वैलायुधन के प्रश्न के उत्तर में मैं कहूंगा कि समिति ने अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार किया था और इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये, इस निर्णय पर पहुंच कर उस ने इसे आगामी सत्र के लिये रख लिया है । संविधान संशोधन विधेयक आदि कई आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विधान है, और कुछ वित्तीय प्रस्थापनायें भी हैं, जिन के सम्बन्ध में विलम्ब नहीं किया जा सकता है । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो इस विषय पर चर्चा के लिये समिति तक या दो घंटे आवंटित कर सकती थी, परन्तु यह अनुभव किया गया इसे नवम्बर में होने वाले आगामी सत्र तक निलम्बित रखा जा सकता है । अतः इन व्यर्थ की चर्चाओं में समय खोना उचित नहीं है । उस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि थे, इसलिये व्यक्तिगत सदस्यों के मत को मान्यता देना सम्भव नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु) : क्या उस समिति में कोई हरिजन सदस्य भी है ?

अध्यक्ष महोदय: यह हरिजन या गैर-हरिजन का मामला न होकर सभा के समस्त कार्यक्रम का प्रश्न है । समिति ने चर्चा का अधिक उत्तम अवसर देने और अधिक विचार पूर्ण दृष्टि से इस विषय को निलम्बित करने की सिफारिश की है । मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि केवल हरिजन सदस्य ही हरिजनों के हितों का रक्षण कर सकता है । हम में से प्रत्येक सदस्य हरिजनों की भलाई

चाहता है । माननीय सदस्य को इस विषय में तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह : मैं समिति के प्रतिवेदन के स्वयमेव स्वीकृत किये जाने से सहमत होते हुये यह सुझाव देता हूं कि ऐसी बातों को प्रस्तुत करने से पूर्व यदि हमें अवसर दिया जाता तो हम आप से या संसद् कार्य मंत्री से मिलकर कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान दिला सकते थे, जिन को वैसे ही छोड़ दिया गया है । उक्त आयक्त के प्रतिवेदन पर प्रति वर्ष चर्चा होती है, किन्तु इस वर्ष उसे आगामी सत्र तक के लिये उठा रखा गया है । इस प्रकार दो वर्ष का विलम्ब हो जायेगा, और १९५० के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में आयुक्त या सरकार के लिये हमारे सुझावों का कोई मूल्य नहीं रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिये ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सभा के सामने सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के सम्बन्ध में प्रस्थापित समय नियतन से, जिसकी घोषणा अध्यक्ष ने आज की है, सहमत है ।"

श्री एस० एस० मोरे : मैं ने नियम ३७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था । मैं अपनी धारणा के अनुसार देश के हितों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूं । इस की स्वीकृति देने के लिये चाहे आधा घंटा ही की चर्चा हो, परन्तु समय नियतन क्रम को पारित करना सभा का अलंघनीय अधिकार है, इसलिये यह चर्चा हुये बिना इसे पारित नहीं समझा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जो बातें सामान्यतया स्वीकार की गई ह, उन पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । सदस्यों का बोलने का अधिकार स्थायी है । मेरा निवेदन केवल इतना है कि जब समिति ने इस प्रस्ताव को बनाया है, तब इस पर चर्चा करने के लिये व्यर्थ समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये, और समय का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : इस बारे में मैं आपसे सहमत हूं, किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि कार्य की अब इतनी लम्बी सूची हमें दी गई है । यदि समिति का प्रतिवेदन हमें पहले ही दे दिया जाता, तो हम अपनी तैयारी कर सकते थे । देश के धन का पूर्ण उपयोग हो, इस दृष्टि से हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिये, और हमें समस्याओं को अच्छी प्रकार समझ कर तब उन पर विचार करना और अधिनियम बनाना चाहिये, अन्यथा शीघ्रता करने से देश का अहित होने की सम्भावना रहती है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि हमारे पास समय होता तो इस प्रस्ताव को सदस्यों में परिचालित किये जाने के उपरान्त कल लिया जा सकता था । परन्तु विशेष विवाह विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् इस प्रस्ताव के स्वीकृति सम्बन्धी प्रश्न के स्थगित करने से सभा के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो जायेगी । अतः इस चर्चा को सीमित करने के लिये यह आवश्यक है कि अब सभा द्वारा यह प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाये ।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सभा के सामने सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के सम्बन्ध में प्रस्थापित समय नियतन से, जिसकी घोषणा अध्यक्ष ने आज की है, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५४

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को सदनों के ३६ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये ; जिसमें यह २४ सदस्य इस सभा के हों : श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री रफी अहमद किदवई, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री वी० बी० गांधी, श्री कोठा रघुरामैया, श्री नरहरि विष्णु गाडगील, श्री टेक चन्द, श्री ए० एम० थामस, श्री एस० सिन्हा, श्री सी० डी० पांडे, श्री रघुवीर सहाय, श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, श्री आर० वेंकटारमन, श्री नमी चन्द्र कासलीवाल, श्री राघवेन्द्र राव, श्री निवास राव दीवान, श्री लीलाधर जोशी, श्री रणवीरसिंह चौधरी, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री भवानी सिंह, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री एन० सी० चटर्जी, डा० डी० रामचन्द्र, डा० ए० कृष्णस्वामी और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, और १२ सदस्य राज्य सभा से हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा की १७ सितम्बर, १९५४ तक प्रतिवेदन देगी ।

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे, जो कि अध्यक्ष करें ; तथा

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि उक्त सभा संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को संसूचित करे ।"

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुये]

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये, मैं इस सभा को इस विधेयक की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका उद्गम हमें अनुच्छेद ३६९ के उपबन्धों में दिखाई देगा । स्थिति को स्पष्ट करने के लिये, म सभा से इस अनुच्छेद को पढ़ने की अनुमति मांगता हूं । अनुच्छेद ३६९ इस प्रकार है :

"इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित विषयों के बारे में, विधि बनाने की संसद् को इस प्रकार शक्ति होगी, मानों कि ये समवर्ती सूची में प्रगणित हैं, अर्थात् (क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रूई (जिसके अन्तर्गत धुनी हुई रुई या कपास हैं), बिनौले, क़ाग़ज़ (जिस के अन्तर्गत समाचार पत्र का कागज है), खाद्यपदार्थ (जिसके अन्तर्गत, खाद्य तिलहन और तेल हैं), ढोरों के चारे (जिसके अन्तर्गत खली और अन्य सारकृत चारे ह) कोयले (जिसके अंदर कोक और पत्थर-कोयला—अन्य पदार्थ हैं), लोहे,

इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण ;

(ख) वास्तव में इस का कोई सम्बन्ध नहीं है—

"किन्तु संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद् सक्षम न होती, उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक, उसकी समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ी गई बातों से सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेगी ।"

अनुच्छेद ३६९ के अधीन केन्द्र में निहित शक्तियां २५ जनवरी, १९५५ को व्ययगत हो जायेंगी, और उसके साथ ही इस अनच्छेद द्वारा सभा को दी गई विधायिनी शक्तियों के अधीन पारित विधियां भी व्ययगत हो जायेंगी ।

परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद् के पास अनुच्छेद ३६९ में दी गई बहुत सी वस्तुओं के बारे में विधि बनाने के लिये आवश्यक प्राधिकार नहीं है । अनुसूची ७ की सूची १ की मद ५२ के अधीन, जिन उद्योगों को संसद् विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे वह संसदीय विधान के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, और अनुसूची ७ की सूची ३ की मद ३३ का उपबन्ध, जो कि इस समय संशोधन का विषय है, सूची १ की मद ५२ में उल्लिखित उद्योगों के उत्पादनों के व्यापार, वाणिज्य और वितरण के सम्बन्ध में संसद् को विधि बनाने की अनुज्ञा देता है ।

यह शक्ति, अर्थात् सूची ३ की मद ३३ के अधीन एक ऐसी शक्ति ह, जो संसद् और राज्य विधान सभाओं दोनों के पास भी है । वास्तव में मद ३३ और ३४ जिस का सम्बन्ध मूल्य नियंत्रण से है, राज्यों को आन्तरिक कार्यों के सम्बन्ध में विधि बनाने की आज्ञा देती है और साथ ही मद ५२ में दी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में और उन सब वस्तुओं की क़ीमतों के सम्बन्ध में, चाहे वह सूची १ की मद ५२ या सूची २ की मद २६ और २७ में आती हों या न आती हों संसद को भी विधि बनाने की आज्ञा देती है । अनुच्छेद ३६९ द्वारा संसद् को दी गई शक्तियों के अतिरिक्त, इस समय यह अवस्था है । जैसा कि मैं ने आरम्भ में कहा था कि सभा के सामने यह अवस्था इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि उसमें प्रगणित शेष मदों के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३६९ के अधीन दी गई शक्तियां, २५ जनवरी, १९५५, के पश्चात् संसद् के क्षेत्राधिकार और विधान नियंत्रण से बाहर हो जायेंगी ।

अब मैं सभा को इन उपबन्धों पर संविधान सभा में की गई चर्चा का इतिहास बताना चाहूंगा । उस समय भी, जब कि वर्तमान अनुच्छेद ३६९, अर्थात् उस समय के प्रारूप संविधान का अनच्छेद ३०६, संविधान सभा में विचाराधीन था, कुछ लोगों की यह राय थी कि खाद्यान्नों और कृषि उत्पादनों जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में, संसदीय क्षेत्राधिकार को पांच वर्ष के लिये सीमित करके दूरदर्शिता से काम नहीं लिया जा रहा था । इस विनिश्चय के आधार को प्रारूप समिति के सभापति द्वारा संविधान सभा के प्रधान को लिखे गये पत्र की कंडिका १४ को पढ़ने से समझा जा सकता है । उस पत्र में सभापति ने कहा था :

"इस समय की असाधारण परिस्थिति का ध्यान रखते हुय . . . जिसमें अत्यावश्यक वस्तुओं पर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

नियंत्रण होना आवश्यक है, समिति ने यह उपबन्ध किया है, कि इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि तक, कतिपय अन्यावश्यक वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य और उनका उत्पादन, संभरण और वितरण और विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास कार्य भी उसी आधार पर रखे जायेंगे जैसे कि ये समवर्ती सूची के विषय हैं । इस मार्ग को अपनाने में, समिति ने भारत (केन्द्रीय सरकार और विधान मण्डल) अधिनियम, १९४६ के उपबन्धों का अनुसरण किया है ।"

मैं सभापति के इस पत्र की ओर निर्देश इसलिये कर रहा हूं, ताकि यह ज्ञात हो जाये कि संविधान सभा के प्रधान को की गई इस सिफारिश का आधार एक पूर्व अधिनियम, अर्थात् भारत (केन्द्रीय सरकार और विधान मण्डल) अधिनियम, १९४६ था, जिसने युद्ध विधि के समाप्त हो जाने पर, इन विषयों में केन्द्रीय विधान मण्डल द्वारा प्रयोग किये गये अधिकारों के सम्बन्ध में अग्रेतर अवधि दी थी ।

ऐसा प्रायः नहीं होता कि यह देखा जाये कि जब संविधान सभा इस पर विचार कर रही थी उस समय स्थिति क्या थी । परन्तु मुझे ये जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे एक मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने, जो इस समय इस सभा के सदस्य भी हैं, उस समय भी, जब कि प्रारूप संविधान का अनुच्छेद ३०६ विचाराधीन था, यह कहा था कि उस अनुच्छेद के उपबन्धों को पांच वर्ष की बजाय कम से कम १५ वर्ष तक के लिये बैध किया जाये । वास्तव में, उस समय श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने यह राय प्रकट की थी कि खाद्यान्नों और खनिजों आदि के विषय में केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ज्यों की त्यों रखी जायें । किन्तु उस समय संविधान सभा ने श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के सुझाव को स्वीकार नहीं किया था ।

इस अनुच्छेद विशेष के सम्बन्ध में संविधान सभा में चर्चा किये जाने से पूर्व भी, बहुत सी उन चर्चाओं में, जो केन्द्र तथा राज्यों में अधिकार वितरण के सम्बन्ध में हुई थीं, यह कहा गया था कि सूची १ की मद ५२ और सूची ३ की मद ३३ में प्रकटतः दी गई वस्तुओं के अतिरिक्त अत्यावश्यक वस्तुओं पर भी संसदीय नियंत्रण का उपबन्ध होना चाहिये । मुझे प्रारूप समिति और राज्यों के मुख्य मंत्रियों व केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के मध्य हुई चर्चा का भी स्मरण है, और मझे याद है कि स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने, जो उस समय उद्योग तथा रसद मंत्री थे, यह कहा था कि संसद् का नियंत्रण औद्योगिक उत्पादनों के व्यापार तथा वाणिज्य के अतिरिक्त, जो कि संसद् की विधायिनी शक्ति के अन्तर्गत है, अन्य उन वस्तुओं पर भी रहना चाहिये जिनके नियंत्रण को संसद् विधि द्वारा लोक हित के लिये वांछनीय घोषित करे । इस का आशय यह है, कि उन्होंने अनुभव किया था कि अनुसूची ७ की सूची १ की मद ५२ में दी गई वस्तुओं के अतिरिक्त संसद् को अन्य वस्तुओं पर भी नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिये । उस समय इस विषय के सम्बन्ध में राज्यों के मख्य मंत्रियों से पर्याप्त विचार विमर्श किया गया था और उसके पश्चात् यह निश्चय किया गया था कि अनुसूची ७ की सूची ३ की मद ३३ के समान एक अन्य मद का उपबन्ध किया जाये जो इस के लिये पर्याप्त

सिद्ध हो सके। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि इन में से कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्र के पास विधायिनी शक्तियां हैं, किन्तु यह शक्तियां केवल एक अपर्याप्त विधि बनाने के लिये प्रयुक्त की जाती रही हैं और शेष बातें राज्यों पर छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि राज्य ही नियम बनाते हैं और उन मामलों में भी, जहां पर मुख्य विधायिनी शक्तियां केन्द्र के पास हैं, राज्यों को नियम बनाने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। उस बैठक में उन वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिन्हें किसी समय संसद् राष्ट्रीय महत्व का समझे, संसद् के अधिकारों को बढ़ाने के बारे में कोई निश्चय नहीं हो सका था।

कृषि विकास, जिसके अन्तर्गत पशुपालन, वन और मीन क्षेत्र आते हैं, और अन्त के संभरण व वितरण के सम्बन्ध में केन्द्र के अधिकारों के विस्तार का विचार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई एक विमति टिप्पणी के तुरन्त पश्चात् ३१ अगस्त, १९४९ को श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया था। उसी तिथि को श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने सूची १ की मद ५२ के अतिरिक्त एक और मद के बढ़ाये जाने का सुझाव दिया था, जिसके अन्तर्गत केवल उन उद्योगों के उत्पादन ही नहीं आ जाते, जिनका विनियमन केन्द्र के नियंत्रण के अधीन, विधि द्वारा, आवश्यक और लोक हित के लिये वांछनीय है, किन्तु बहुत सी अन्य वस्तुयें भी आ जातीं जिनका विनियमन इसी प्रकार से संसद् विधि द्वारा आवश्यक और लोक हित के लिये वांछनीय घोषित कर दे और इसका अर्थ स्वर्गीय डॉ० श्यामा प्रसाद मुकर्जी के सुझाव का अनुसरण करना है। यह सच है कि उस संशोधन के लिये उस समय उद्योग तथा रसद मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विमति टिप्पणी से ही स्फूर्ति मिली थी। प्रारूप समिति के सभापति ने श्री शिब्बन लाल सक्सेना को पत्र द्वारा सूचित किया था कि उनके संशोधन का पहला भाग सूची ३ की मद ३३ अर्थात् समवर्ती सूची में रखा जा रहा था और दूसरे भाग पर अभी प्रारूप समिति और अन्य सम्बद्ध हितों में विचार होना शेष था। कोई निर्णय नहीं किया जा सका था, इसलिये प्रारूप समिति के सभापति श्री शिब्बन लाल सक्सेना के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सके थे।

मैं यह सब केवल यह संकेत करने के लिये बता रहा हूं कि संविधान के निर्माता उन वस्तुओं के महत्व के सम्बन्ध में, जिनका महत्व राज्यान्तर्गत क्षेत्र में ही सीमित नहीं है। किन्तु अन्तर्राज्यों तक विस्तृत है, तथा वह अखिल भारतीय महत्व का मामला हो सकता है, संसदीय वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता की ओर से आंखें मूंदे हुये नहीं थे।

इस मामले की दूसरी स्थिति वह थी जब कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने वस्तु नियंत्रण समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन के ३६ से ४४ तक की कंडिकाओं में केन्द्रीय सरकार की रक्षित शक्तियों की तथा उन्हें किसी भी वस्तु पर किसी दिये हुये समय में नियंत्रण लागू करने के समूचे प्रश्न पर चर्चा की गई थी। मेरा यह नम्र सुझाव है कि इन कंडिकाओं का एक पाठन अधिक लाभकारी होगा। इस समिति ने कहा है कि समवर्ती सूची की मद ३३ में समस्या का केवल आंशिक हल दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सी वस्तुयें जैसे कि खाद्य वस्तुएं, शामिल नहीं हैं। उसने अग्रेतर कहा है कि संविधान के वर्तमान

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

उपबन्धों में संसद् को सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी स्थायी तथा पूर्ण नियंत्रण विधि को अधिनियम करने की अनज्ञा नहीं है किन्तु उसकी राय में ऐसी विधि की नितान्त तथा अत्यधिक आवश्यकता थी, तथा समिति ने सावधानी से सभी दृष्टियों से विचार करने के पश्चात निर्णयता से यह सिफारिश की थी कि संविधान में उपयक्त संशोधन किये जायें जिससे कि संसद् को आवश्यक विधायिनी शक्तियां मिल सकें; क्योंकि उसके द्वारा यह अनुभव किया गया था कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण अखिल भारतीय आधार पर ही विनियमित हो।

इसलिये उन्होंने यह सिफारिश की थी कि राज्य सूची की मदों २६ और २७ को समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया जाए। उन्होंने अग्रेतर यह बताया कि यदि किसी कारण से मदों २६ और २७ का समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानान्तरण संभव तथा व्यावहारिक न हो तो वह इस के विकल्प के रूप में सुझाव यह देंगे कि संविधान में कम से कम इतना संशोधन किया जाए जो कि संसद् को खाद्य पदार्थों, पशुओं के चारे, कच्चे कपास, बिनौले तथा अन्य खेती की उपज के सम्बन्ध में वैधानिक शक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक हो।

तत्पश्चात्, भारत सरकार ने विभिन्न सम्बन्धित राज्य सरकारों को १२ सितम्बर, १९५३ को भेजे गये पत्र में, वस्तु नियंत्रण समिति की सिफारिशों पर उन का दृष्टिकोण जानने के लिये निमंत्रित किया। कुछ राज्य सरकारों ने अपने उत्तर भेज दिये। आसाम, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, पेप्सू, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने उस चिट्ठी का समय कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तु एक बाद के पत्र में जो कि पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान के द्वारा इस वर्ष अगस्त में भेजा गया था, वे इस प्रस्ताव पर राजी हो गये थे कि संसद् स्थायी आधार पर संशोधित विधेयक के द्वारा सुझाई गई शक्तियों को ले ले। हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, उड़ीसा, सौराष्ट्र तथा त्रावनकोर-कोचीन ने भारत सरकार के १२ सितम्बर, १९५३— के पत्र का उत्तर हां में दिया था। बिहार सरकार ने यह सुझाव दिया था कि संविधान के अनुच्छेद ३६९ में उपयुक्त संशोधन करके तथा इसे २५ जनवरी, १९५५ से अगले पांच वर्षों तक बढ़ा कर अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि के लिये शक्ति ले ली जाये। मंत्रालय के १२ सितम्बर, १९५३ के पत्र के उत्तर में बम्बई सरकार ने उस समय परामर्श देने की इच्छा प्रगट की जब केन्द्र अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में उक्त शक्तियां लेने के लिये विधान बनाये, किन्तु मंत्रालय को २० अगस्त, १९५४ को भेजे गये अग्रेतर पत्र में बम्बई सरकार ने उल्लेख किया कि वे प्रस्तावित विधान के विरुद्ध थी।

आंध्र, मद्रास और मध्य भारत ने लिखा था कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं किन्तु उन्होंने अभी अन्तिम रूप से अपनी प्रतिक्रिया प्रगट नहीं की है।

संक्षेप में हैदराबाद, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, सौराष्ट्र त्रावनकोर-कोचीन तथा पश्चिम बंगाल ने प्रस्तावित उपायों के उपबन्धों को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की है। बम्बई निश्चित रूप से इसके विरुद्ध है। बिहार अगले पांच वर्षों तक के लिये अधिकार के बढ़ाये जाने का समर्थन करता है। आंध्र, मद्रास और मध्य भारत मामले पर विचार कर रहे हैं। दूसरी सरकारों को कोई राय नहीं देनी है।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा।

विधेयक में एक महत्वपूर्ण संशोधन जो अनुसूची ७ सूची ३ मद ३३ के उपबन्धों से भी आगे बढ़ता है अनु कंडिका (क) में कुछ शब्दों का जोड़ना है। अब मैं शब्दों को उद्धृत करता हूं:—

"उसी प्रकार की आयात की हुई वस्तुऐं जैसी कि उत्पाद हों"

अर्थात् विधेयक की पंक्ति १२ और १३। मेरे विचार से इन शब्दों के जोड़े जाने के कारण की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। भारत में निर्मित बहुत सी वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिन पर नियंत्रण लागू करने को कहा गया है, भारतीय उत्पादन हमारी कुल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं तथा उस प्रकार की वस्तुओं के कुछ परिणाम का आयात करना पड़ता है। इसलिये भारत में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों तथा उनके वितरण पर नियंत्रण करना तब तक असम्भव है जब तक कि इसी श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाली वस्तुयें अर्थात् आयात की हुई वस्तुयें, सरकारी विनियमन के आधीन न आयें। मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं उस प्रकार की वस्तुओं की गणना करूं जो इस मद के अन्तर्गत आयेंगी, क्योंकि यह संख्या देश की आवश्यकताओं के विकास के अनुसार विभिन्न होगी। इस कारण यह अनुभव किया गया कि मद ३३ की कंडिका (क) में यह जोड़ दिया जाए।

दूसरी मदों के सम्बन्ध में, सर्वप्रथम मैं मद (ड़) को लूंगा, अर्थात् अन्तिम मद कच्चा जूट। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने जूट आयोग का प्रतिवेदन पढ़ लिया है, जिससे देश के जूट उद्योग की स्थिति का सिंहावलोकन होता है। हम जूट उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल के एक अंश का ही उत्पादन करते हैं; दूसरा भाग हमें पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है। यह उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे हम अर्थ शास्त्र के शब्दों में "अस्थिर संतुलन वाला उद्योग" कहेंगे। क्योंकि यह अपने उत्पादन की वस्तुओं के लिये एक सीमा तक विदेशी बाजार पर निर्भर है इस कारण यह समझौता किया गया था कि इस उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन पर नियंत्रण केन्द्र के समूचे उद्योग पर नियंत्रण का ही एक आवश्यकीय सहवर्ती भाग होगा। मैं आशा करता हूं कि सूची ३ की मद ३३ में इस मद के जोड़े जाने पर अधिक विवाद नहीं होगा।

उपखंड (ङ), तथा कच्ची रूई, बिनौले वाली अथवा बिनौले निकाली हुई तथा बिनौले के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह कच्चे जूट के सम्बन्ध में जो स्थिति है न्यूनाधिक वैसी ही है। वस्त्र उद्योग अखिल भारतीय उद्योग है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे लिये किस सीमा तक नियंत्रण करना आवश्यक हो गया था। केवल इसी उद्योग के लिये नहीं किन्तु अन्य सहायक उद्योगों यथा हाथ करघा उद्योग पर, जिसका वस्त्र उद्योग के विकास पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है, किसी न किसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण रखना, कम से कम न्यूनतम मूल्यों को स्थिर रखने की सीमा तक, रूई पैदा करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है। किसी न किसी रूप में समय समय पर जब कभी रूई के वितरण की अव्यवस्था के संकेत मिलते हैं तो वितरण सम्बन्धी नियंत्रण का प्रयोग करना पड़ता है, किन्तु इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि उपभोक्ता उद्योग किन्हीं विशेष क्षेत्रों में स्थित हैं तथा ये क्षेत्र सदैव उन क्षेत्रों से नहीं मिलते हैं जहां रूई का उत्पादन होता है। हमारी वस्तुओं सम्बन्धी योजना में रूई के संभरण अथवा वस्त्र उद्योग के

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

विकास से सम्बन्धित अन्तर्प्रान्तीय विद्वेषों को नहीं फैलने दिया जायेगा । यहां भी मैं आशा करता हूं कि सभा को यह मानने में कठिनाई नहीं होगी कि इस सत्य को दृष्टि म रखते हुये, कि वस्त्र उद्योग को अनसूची ७ की सूची १ की मद ५२ के अन्तर्गत उद्योग घोषित किया गया है इसलिये उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल को आवश्यक सीमा तक केन्द्र द्वारा नियंत्रित करना पड़ेगा ।

मद (ख) और (ग) एक श्रेणी में आती हैं । मैं सभा को केवल उस विद्वतापूर्ण तथा विस्तृत चर्चा का स्मरण दिलाना चाहता हूं जो कुछ दिन पूर्व इस सभा में चावल तथा मूंगफली के तेल पर निर्यात प्रशल्क लगाने के प्रश्न पर हुई थी । चर्चा में भाग लेने वाले सदन के विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में इन वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध में तनिक भी मतभेद नहीं था; और यदि मैं अनुच्छेद ३६९ के अधीन इन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप्त अधिकारों के जारी रखे जाने की आवश्यकता के कारणों को गिनाने का प्रयत्न करूं तो मेरा यह कार्य यह धर्म परिवर्तित लोगों को उपदेश देने के समान होगा ।

श्रीमान्, यह संशोधन विधेयक के समर्थन के सारे तर्कों को संचित कर देता है ।

मेरे माननीय मित्र श्री शर्मा ने कहा कि बम्बई सरकार ने प्रस्तावित उपाय को क्यों अस्वीकार कर दिया ? नियंत्रित वस्तुओं के उपनिवेशक के हस्ताक्षरों सहित जो पत्र हमें मिला था उसमें यह संकेत था कि बम्बई सरकार यह अनुभव करती थी कि ये मामले विनियमन के लिये राज्य सरकारों पर छोड़ दिये जायें क्योंकि इस सम्बन्ध में किन्हीं अखिल भारतीय विनियमन की आवश्यकता नहीं थी । हमारे पास समय समय पर दूसरे और पत्र भी आये हैं । वास्तव में उन में से एक पत्र में यह संकेत था कि वे रूई, बिनौले वाली तथा बिनौले निकाली हुई, तथा कपास पर कोई अखिल भारतीय विनियमन किये जाने के प्रश्न पर विचार करने को इच्छुक हैं । यह एक पहिले अवसर पर हुआ था । जहां तक इस पत्र का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल स्पष्ट है यद्यपि यह उतना विस्तृत नहीं है ।

मुझे आशा है कि मैं ने वह सब बातें बता दी हैं जिनके कारण सभा के समझ में यह बात आ गई होगी कि इस विधेयक में उल्लिखित वस्तुओं के सम्बन्ध में जो अधिकार संसद् को प्राप्त हैं वे २५ जनवरी, १९५५ के पश्चात् व्यपगत न होने देने चाहिये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : क्या माननीय मंत्री.....

सभापति महोदय: मुझे पहले प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत कर लेने दीजिये । प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

बहुत से संशोधनों की सूचना दी गई है । श्री साधन गुप्त का संशोधन तो स्पष्टतः ही नियम विरुद्ध ह । उस की विषय वस्तु उस उद्देश्य से जिससे कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है बिल्कुल भिन्न है । इसलिये मैं इस संशोधन को नियम विरुद्ध घोषित करता हूं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व): क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? इस सभा की यह प्रथा रही है कि वह प्रवर समिति को संशोधनों के क्षेत्र को विस्तृत

करने के आदेश देती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में भी यही हुआ था। उसकी कुछ धाराओं को एक विधेयक के द्वारा संशोधित किया जाना अभीष्ट था, परन्तु संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किये जाते समय एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया गया जो संयुक्त समिति को समस्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में संशोधनों का सुझाव देने का अधिकार देता था, और उक्त संशोधन सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। संयुक्त समिति ने यह निर्णय किया कि बिना राज्य सरकारों की सम्मति जाने ऐसे संशोधनों का सुझाव नहीं दिया जा सकता था। परन्तु विषय वस्तु यह है कि इस सभा ने प्रवर समिति को अन्य धाराओं के संशोधन के प्रश्न पर भी, जिन का मूल विधेयक में कोई उल्लेख नहीं था, विचार करने का अधिकार दिया था। और बिल्कुल यही बात मेरे संशोधन में है।

सभापति महोदय: विधेयकों के क्षेत्राधिकार के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में पहले कितनी ही बार चर्चा हो चुकी है, और अधिकांश मामलों में यही निश्चय किया गया था कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। परन्तु यह विधेयक किसी अधिनियम को नहीं अपितु संविधान में संशोधन करता है, और यही महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण माननीय सदस्य का संशोधन नियमविरुद्ध है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि सभा चाहे तो उसे अस्वीकृत कर सकती है, परन्तु जहां तक इस के नियमविरुद्ध होने अथवा न होने का प्रश्न है इसके अनेकों पूर्व उदाहरण हैं। निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ था। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के आदेश प्रवर समिति को दिये गये थे।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्य के तर्क के बल को समझता हूं। जिन विधेयकों का निर्देश किया गया है उन का मामला बिल्कुल ही भिन्न था। निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होते समय प्रश्न यह था कि क्या उक्त विधान के सम्बन्ध में अन्य संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते थे या नहीं, और उस मामले में क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया था। यही बात दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में हुई थी। क्योंकि सामान्य विधेयकों में जब अधिनियम के किसी भाग को संशोधित किया जाता है तो अन्य खण्डों को भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई विचालितायें उत्पन्न न हो जायें। परन्तु जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है यह तो केवल सातवीं अनुसूची की सूची संख्या ३ की प्रविष्टि ३३ के विषय में है। माननीय सदस्य के संशोधन की विषय वस्तु प्रविष्टि संख्या ३३ से तनिक भी संगत नहीं है। यदि हम सिद्धान्तः इसे स्वीकार कर लें तो सारे संविधान को संशोधित किये जाने की अनमति देनी होगी।

श्री एस० एस० मोरे: तो आपका विनिदश यह है कि यह नियम विरुद्ध है ?

सभापति महोदय: हां। इस सम्बन्ध में मुझे तनिक भी संशय नहीं है। दो संशोधन और हैं, एक श्री वल्लाथरास के नाम में है और दूसरा श्री बोगावत के नाम में है। क्या माननीय सदस्य उन को प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पर राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय: एक और संशोधन है जो श्री बोगावत के नाम में है। क्या वह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री बोगावत: हां। मैं अपने संशोधन द्वारा इस विधेयक को केवल इस सदन की एक प्रवर समिति को, जिसमें वही चौबीस सदस्य हों, सौंपना चाहता हूं।

सभापति महोदय: वह इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री बोगावत द्वारा विधेयक को केवल लोक-सभा की एक प्रवर समिति को सौंपने विषयक संशोधन प्रस्तुत किया गया।

श्री राघवाचारी : इस विधेयक के प्रभारी माननीय मत्री से एक प्रार्थना करने के लिये मैं पहिले खड़ा हुआ था। मैं चाहता था कि वह हमें यह बतायें कि तिलहनों को सम्मिलित करने के बारे में, क्या वह समझते हैं कि खाद्यपदार्थों सम्बन्धी साधारण विचार इन पर भी लागू होते हैं, या वह इस सम्बन्ध में कोई विशेष विचार व्यक्त करना चाहते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिस समय हम निर्यात शुल्कों को लगाने पर विचार कर रहे थे तब स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। जो कुछ खाद्यपदार्थों पर लागू होता है वह तिलहनों पर भी लागू होता है। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि यह बात संविधान के अनुच्छेद ३६९ से बाहर निकाल ली गई है। यह महसूस किया जाता है कि इन वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार बना रहे।

श्री वल्लाथरास: किसी काम को कर लेने की व्यवहारिक इच्छा का होना एक बात है, परन्तु उस काम को करने का ढंग सर्वथा एक भिन्न बात है। संविधान बनाने वालों ने उस समय की परिस्थिति पर विचार किया था, आगामी कुछ वर्षों के लिये उसी परिस्थिति का पूर्वानुमान लगाया था, और उस आधार पर कुछ स्थायी तथा कुछ अस्थायी उपबन्ध किये थे। स्वभावतः उन अस्थायी उपबन्धों में से कुछ ऐसे मामलों के बारे में भी थे जिन में से केन्द्रीय सरकार को कुछ अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो ससद उन मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक विधान पारित कर सकती है। यह होते हुये भी, सविधान ने अस्थायी अधिकारों को स्थायी अधिकारों से पृथक् कर दिया है।

१ म० प०

मैं चाहता हूं कि यह सदन समूचे संविधान तथा राष्ट्र की योजना व ढांचे को समझे। सम्पूर्ण राष्ट्र के खेल दो हित हैं अर्थात् औद्योगिक हित तथा कृषि हित। जहां तक अन्तर्देशीय प्रशासन तथा इस राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का संबंध है, हमारा सम्बन्ध केवल इन दो बातों से है। अनुदानों का नियतन भी इस विशेष आधार पर होता है। कृषि को प्राथमिकता दी गई है और फिर उद्योग आते हैं। उद्योगों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ ऐसी वस्तुओं पर, जिनका उत्पादन राष्ट्र के हित की दृष्टि से उद्योगों में होना आवश्यक है, नियन्त्रण करने के लिये कुछ अधिक महत्व दिया गया है। यह अन्तर स्वयं संविधान की योजना में ही स्पष्ट कर दिया गया है, और वह योजना किसी तरह संविधान द्वारा कार्यान्वित होनी है। यदि इस विषय पर नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तब ही नीति पर पुनर्विचार करने तथा नीति सम्बन्धी उपबन्धों में हस्तक्षेप करने की परिस्थिति उत्पन्न होती है।

माननीय मंत्री ने विधान सभा की उस समय की, जब कि वह संविधान के प्रारूप पर विचार कर रही थी, कार्यवाही के वृत्तान्तों

के कुछ उद्धरणों का उल्लेख किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने पांच वर्ष के काल को अपर्याप्त समझा। परन्तु वहां यह सुनिश्चित मत था कि नियन्त्रण अवश्य ही अन्तरिम तथा अस्थायी हो और इसे स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिये। अतः उस समय कुछ सदस्यों ने यह मत प्रकट किया था कि काल की अवधि पांच वर्ष से अधिक रखी जाये। इस लिये मैं इस माननीय सभा के समक्ष यह मत व्यक्त करता हूं कि संविधान के प्रारूप पर विचार करते समय यह निश्चित हुआ था कि खाद्य पदार्थों, तिलहनों आदि जैसी वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार को कोई स्थायी अधिकार नहीं दिया जायेगा।

अब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति में यह आशा करने का सरकार के लिये कोई औचित्य नहीं है कि वह अस्थायी नियन्त्रण किसी प्रकार स्थायी बना दिया जाये। वर्तमान विधेयक अनुच्छेद ३६९ का प्रत्यक्ष रूप में विचार करने की बजाये, उस उपबन्ध का सर्वथा उपेक्षा करता है और एक स्थायी आधार चाहता है। और इस स्थायी आधार की प्राप्ति के लिये यह अनुसूची सात की सूची ३ में पद ३३ का उल्लेख करके एक छलपूर्ण नीति स्वीकार करता है। इस सभा में तथा अन्य सभा में यह कई बार कहा जा चुका है कि इस समय संविधान के उपबन्धों में हस्तक्षेप करने का विचारशून्य प्रयास न किया जाये। संविधान की पवित्रता को स्थिर रखा जाये और जब तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई सामयिक आवश्यकता उत्पन्न न हो तब तक उसमें कोई संशोधन आदि न किया जाये। क्या यह परिस्थिति इतनी आवश्यक है कि इस में अनुच्छद ३६९ के अधीन काल में वृद्धि करने या सातवीं अनुसूची के पद ३३ में स्थायी नियन्त्रण देने का औचित्य सिद्ध होता है? मैं निस्संकोच भाव से यह कह सकता हूं कि केन्द्र बहुत ही स्वार्थी है और अधिकारों का केन्द्रीकरण करना चाहता है जिससे राज्यों का प्राधिकार कम हो जायेगा और समय आने पर समाप्त हो जायेगा।

राज्यों का अपना व्यक्तित्व है। राज्यों के अधिकारों का निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है जिनमें केन्द्र हस्ताक्षेप नहीं कर सकता। केन्द्र राज्यों के कुछ मामलों में हस्ताक्षेप कर सकता है परन्तु आकस्मिक आवश्यकता के समय तथा संविधान के उपबन्धों के अनुसार। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण के प्रथम पैरा में यह स्वीकार किया गया है कि राज्य में व्यापार तथा वाणिज्य और साधारण रूप में वस्तुओं का उत्पादन प्राप्ति तथा उनका वितरण राज्यों के क्षेत्राधिकार में है, परन्तु संसद सूची ३ की दृष्टि से संघ नियन्त्रण के अधीन घोषित उद्योगों के उत्पादनों के सम्बन्ध में विधान बना सकती है। अतः साधारण रूप में उद्योगों तथा कृषि के नियन्त्रण का अधिकार राज्यों को है और कृषि उत्पादनों पर राज्यों को पूर्ण अधिकार है। केन्द्र को इस सम्बन्ध में जो अस्थायी अधिकार दिये गये थे उनका अभिप्राय यह था कि केन्द्र राज्यों को अपनी स्थिति संभालने तथा सुदृढ़ बनाने में सहायता करे, परन्तु अब केन्द्र उनके अधिकारों को छीनना चाहता है। जब हम अधिकारों तथा इस राष्ट्र की २८ संवैधानिक इकाइयों की बात करते हैं, तो हमें वह भाव समझना है जिससे वर्तमान विधेयक राज्यों के विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहता है। सम्भव है कि कुछ मत भेद हो। परन्तु मेरी राय में, संविधान की दृष्टि से यह विधेयक पूर्णतया असंवैधानिक है।

[श्री वल्लाथरास]

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के दूसरे पैराग्राफ से मेरे इस मत की पुष्टि होती है कि आजकल खाद्य पदार्थों तथा पशुओं के चारे की स्थिति काफी अच्छी है । परन्तु यह कहा जाता है कि "उनके उत्पादन को नियन्त्रित करने के सारे वैधानिक अधिकारों को छोड़ देना केन्द्र के लिये उचित न होगा ।" हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा करना उचित क्यों नहीं समझा जाता । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह नहीं बताया गया है कि सारे वैधानिक अधिकारों को छोड़ना केन्द्र के लिये उचित क्यों नहीं है । केन्द्र के लिये यह निराशा बहुत ही खेदनीय है । खाद्य एक ऐसा विषय है जिसमें केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखना चाहिये । प्रत्येक राज्य खाद्यपदार्थों के उत्पादन के लिये उत्तरदायी है । खाद्यपदार्थों का एक राज्य से दूसरे राज्य को जाना, एक भिन्न विषय है । फिर अनुच्छेद २६३ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों में समान रुचि के मामलों में, राष्ट्रपति को एक परिषद नियुक्त करने का अधिकार है जो मामले की जांच करेगी । जब कभी राज्यों में कोई झगड़ा हो या कोई बात उत्पन्न हो, उस समय इस प्रकार का प्रयत्न क्यों न किया जाये । जब अवसर हो तब मामले पर विचार करना चाहिये । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के आधार पर इस विधेयक के औचित्य को सिद्ध करने का कोई कारण नहीं बताया गया है ।

सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची में पद ३३ स्थायी प्रकार का है । इसमें कोई भी बात सम्मिलित की जा सकती है । मान लीजिये कि कपास तथा जूट पर नियन्त्रण रखना आवश्यक समझा जाता है, तो व सूची में सम्मिलित किये जा सकते हैं । परन्तु दूसरी ओर, जब कि संविधान में निश्चित रूप से यह कहा गया है कि राज्यों को पूर्णतया अपने प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के लिये कुछ अधिकार या कुछ क्षेत्र देने चाहिये और समान रुचि के मामलों में संविधान में विशेष उपबन्ध हैं, तो अनुच्छेद ३६९ या अनुच्छेद २६३ के उपबन्धों को धोका देने की कहां आवश्यकता है । अतः जिस ढंग से आप संविधान में बातों को समाविष्ट करना चाहते हैं, मैं उसकी पूर्णरुप से निन्दा करता हूं, क्योंकि संविधान ऐसी वस्तु नहीं है जिसका उपहास किया जाये । गुणावगुणों की दृष्टि से, इस विधेयक की तनिक भी आवश्यकता नहीं है । मैं कहता हूं कि केन्द्र के लिये यह उचित है कि वह खाद्यपदार्थों के उत्पादन, प्राप्ति तथा वितरण सम्बन्धी इन सारे वैधानिक अधिकारों को छोड़ दे । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है कि केन्द्र के अधिकार को पद ३३ में विद्यमान प्रविष्ठि तक सीमित रखा जाये । विद्यमान बातों को विद्यमान परिस्थितियों में कुछ विस्तार की आवश्यकता होती क्योंकि हो सकता है कि उन पर नियन्त्रण आदि रखना पड़े ।

जब मैं ने देखा कि माननीय मंत्री ने प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तो मैं ने सोचा कि उन्होंने संविधान के संशोधन के महत्व को महसूस किया है । क्योंकि विधेयक पर विचार करने का प्रत्यक्ष प्रस्ताव रखने के बजाय, उन्होंने संयुक्त समिति को सौंपनें का प्रस्ताव रखा था ।

मेरे विचार से संवैधानिक अपेक्षाओं पर विचार करने की आवश्यकता है और आम तौर पर जब वे किसी अन्य रूप से

समायोजित किये जा सकते हों, तो फिर किसी भी हालत में संशोधन का मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिये । मैं यह मानता हूं कि ऐसे मामले में हमारे विचारों का महत्व अवश्य है क्योंकि हम इस सदन में जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं, परन्तु फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हम लोगों को हर पहलू से और प्रत्येक परिस्थिति में लोकमत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार के मामलों में यह आवश्यक है कि हम जनता को भी इस बात से अवगत करायें कि आजकल हम क्या कर रहे हैं । आजकल संविधान में संशोधनों की भरमार सी है, और जनता को उनके बारे में मालूम होना चाहिये । केवल जनता को ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों को भी इन प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सारी बातें मालूम होनी चाहिये । माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा, उससे मालूम होता है कि बिहार ने इसका स्पष्ट विरोध किया है, और अन्य बहुत सी राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं प्रकट किये हैं । २४ राज्यों में से कम से कम १० राज्यों में तो इस विधेयक का समर्थन किया होता, तब हम इस पर उचित रूप से विचार कर सकते थे ।

केन्द्रीय मंत्रीगण प्रायः प्रत्येक बात में राज्यों से परामर्श के महत्व पर अत्यधिक जोर देते हैं । इस मामले में भी उसी दृष्टिकोण का रखा जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खाद्य पदार्थों से ९८ प्रतिशत व्यक्ति प्रभावित होते हैं और अमीर लोग कालाबाजारी करते हैं । यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है । बिना खाद्य पदार्थों के कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक पर पर्याप्त संख्या में, राज्यों ने अपने मत नहीं प्रकट किये हैं । राज्यों के मत की प्रतीक्षा की जानी चाहिये थी, और उनको जान लेने के बाद ही यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाना चाहिये था ।

सरकार को इस बात की जल्दी पड़ी हुई है कि पांच वर्ष की समय सीमा २३ जनवरी, १९५५ को समाप्त होने जा रही है । मेरी समझ से यह जल्दबाजी ठीक नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि अनेक राज्यों में इस विधेयक के प्रति लोगों के क्या विचार हैं । यदि २८ राज्यों में से २३ राज्यों ने इस के सम्बन्ध में कोई विचार प्रकट नहीं किये हैं, तो फिर केन्द्रीय सरकार यह कैसे मान सकती है कि वह सभी सम्बन्धित सरकारों द्वारा स्वीकार किया जायेगा और वह उचित रूप से लागू किया जायेगा ? इसका तो केवल यही अर्थ होगा कि हम जबरदस्ती अपनी बात को राज्यों पर लादना चाहते हैं । अतः मैं समझता हूं कि खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित ऐसे महत्वपूर्ण मामले में लोकमत जानने का काम पूरी तौर से राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाना जाहिये . . .

श्री ए० एम० थामस: उन स्थायी रूप से कमी वाले राज्यों का क्या होगा, जिनकी संख्या कम होगी ।

श्री बल्लाथरास: ऐसे किसी भी राज्य ने अपने विचार नहीं भेजे हैं । पता नहीं वे चुप क्यों बैठे हैं । यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा पूछे जाने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो फिर उनकी वकालत करना व्यर्थ है । यदि कोई सरकार अपने विचार प्रकट नहीं करती है, तो वैधानिक एवं नैतिक रूप से हमें यही समझना होगा कि वह सरकार विद्यमान दशा के ही पक्ष में है ।

किसी भी सार्वजनिक कल्याण की सफलता राज्यों के रुख और उनके सहयोग पर

[श्री वल्लाथरास]

निर्भर करता है। आजकल विभिन्न राज्यों की आर्थिक दशा भिन्न भिन्न है। वर्तमान परिस्थितियों में हमें प्रत्येक राज्य के विचार से सम्पर्क बनाये रखना चाहिये। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि राज्यों को स्थिति का ज्ञान कराया जाना चाहिये और उन की सहमति भी प्राप्त की जानी चाहिये। अन्यथा बाद में झगड़े झंझट पैदा हो सकते हैं। अतः इस मामले में हमें बहुत सतर्कता से आगे बढ़ना है।

एक बात मैं ने यह भी देखी है कि विभिन्न मंत्रालयों में सामंजस्य का सर्वथा अभाव है। वे पिछले चार वर्षों से काम कर रहे हैं, परन्तु फिर भी वे संविधान की ऐसी चीजों की एक सूची नहीं तैयार कर सके हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। इस दिशा में मंत्रालयों द्वारा कोई भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इन में से किसी भी मंत्रालय अथवा राज्य ने संविधान के अनुच्छेद २६३ से लाभ उठाने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। रोजमर्रा की व्यवहारिक कठिनाइयों के आधार पर यदि उक्त सूची तैयार की जाती तो हमारा काम सरल हो जाता है।

संविधान सभा में अनुच्छेद ३०६ को प्रस्तुत करते हुये डा० अम्बेडकर ने कहा था कि केन्द्र द्वारा नियंत्रण के लिये उन्होंने पांच वर्ष के काल के लिये ये मामले रखे हैं जिनके बारे में प्रारूप समिति का विचार था कि उन पर केन्द्रीय नियंत्रण आवश्यक है। इस काल को बाद में बढ़ाने के विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया था और अन्त में सभा इस परिणाम पर पहुंची कि अस्थायी रूप पांच वर्ष का काल ही रखा जाये। किसी अन्य रूप से इसे स्थायी बनाने का प्रयत्न करना उचित नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसे लोकमत संग्रह के लिये परिचालित किया जाना चाहिये और सभी राज्यों के मत आमंत्रित किय जाने चाहिये। वास्तविक लोक मत संग्रह की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। राज्य के किसी मंत्री या सचिव का व्यक्तिगत विचार लोकमत का द्योतक नहीं होता इसके लिये तो ज़िलाधीशों, सार्वजनिक संस्थाओं आदि से पूछा जाना चाहिये, और दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह मालूम होना चाहिये कि हो क्या रहा है। राष्ट्रीय हितों और महत्वपूर्ण खाद्यपदार्थों से सम्बन्धित किसी भी विधान में बिना सम्बन्धित राज्य सरकारों की अनुमति के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन यह प्रस्ताव स्वीकार करे कि इस विधेयक पर लोकमत जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा --रक्षित--अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक में खाद्यपदार्थों तथा ढोर के चारे को भी सम्मिलित किया गया है, परन्तु माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। क्या आप कृपा कर के उनसे उपस्थित रहने के लिये कहेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह आवश्यक नहीं है और यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उत्तर दे सकता हूं। कैबिनेट का मिला जुला उत्तरदायित्व होता है, और यदि यहां पर एक भी मंत्री उपस्थित हो, तो वह काफी है।

सभापति महोदय : इस विधेयक के भारसाधक मंत्री महोदय खाद्य-पदार्थों के सम्बन्ध में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री बोगावत : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं। ऐसा मैं ने इसलिये किया क्योंकि मैं समझता हूं कि इस सभा के सदस्य लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और वे विभिन्न राज्यों एव निर्वाचन क्षेत्रों को भली प्रकार जानते हैं। संविधान के संशोधन जैसे मामलों में एक ऐसी समिति का होना आवश्यक है, जो पहले प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करे। उस समिति में केवल इस सदन के सदस्य होने चाहिये क्योंकि यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जहां तक संविधान के संशोधन पर विचार प्रकट करने का प्रश्न है, यह विशेषाधिकार सर्वप्रथम इसी सदन को प्राप्त है। यह संशोधन अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में है और खाद्य पदार्थों तथा वस्तुओं से सम्बन्धित संशोधन पर आपत्ति करने के लिये मैं बम्बई सरकार को बधाई देता हूं। बम्बई एक कमी वाला राज्य है और वहां पर सैकड़ों कपड़ा मिलें हैं और उनके लिये रुई का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक खाद्य पदार्थों, भोज्य तिलहन और तेलों के उत्पादन और संभरण का प्रश्न है, यदि किसी राज्य को कोई आपत्ति हो, तो उसे स्वयं अपना विधान बनाने दिया जाना चाहिये और यह उचित नहीं है कि केन्द्र ऐसे राज्य पर ऐसा कोई विधान लागू करे।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया गया है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का कारण यह है कि अनुच्छेद ३६९ के अनुसार, यह विधान २५ जनवरी, १९५५ के बाद व्यपगत हो जायेगा। मेरी समझ से यह कोई उचित कारण नहीं है, क्योंकि यह सदन किसी भी समय संविधान में संशोधन कर सकता है। जहां तक बम्बई राज्य का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि ढोरों के चारे, बिनौलों आदि को भी राज्य पर छोड़ दिया जाना चाहिये। इन वस्तुओं को वर्तमान सूची में रखने से गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

मैं अपने पूर्व वक्ता की कुछ बातों से सहमत हूं। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जिन राज्यों को आपत्ति हो, उन्हें पूरा अवसर दिया जाना चाहिये और जहां तक इन अत्यावश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनके मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जानी चाहिये।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : संविधान का संशोधन एक अत्यन्त गम्भीर विषय है, और उस पर भली प्रकार सोच विचार होना चाहिये। यह संशोधन सप्तम अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में रूपभेद करना चाहता है। इसमें यदि कोई रूपभेद होता है, तो उसका सूची २ की प्रविष्टि २७ पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यह दिखाने का प्रयत्न किया जा सकता है कि यह संशोधन मामूली सा है, परन्तु वस्तुतः यह हमारे संविधान के मूल तक प्रभाव डालता है। यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया गया है क्योंकि अनुच्छेद ३६९ व्यपगत हो जायेगा और तब संघ सरकार का उन विषयों पर कोई अधिकार नहीं रह जायेगा जिनका उल्लेख उस अनुच्छेद में किया गया है। इस शक्ति का कुछ भाग पहले ही संघ सरकार के पास है, क्योंकि जहां तक संगठित उद्योगों का सम्बन्ध है, वे आजकल सूची १ की प्रविष्टि ५२ के अधीन हैं।

इस संशोधन पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसके फलस्वरूप संविधान में शक्तियों के वितरण की योजना में परिवर्तन होने की सम्भावना है। उत्पादन, वितरण, व्यापार विनिमय के सम्बन्ध में राज्यों को विभिन्न शक्तियां दी गई हैं। केवल कुछ थोड़ी सी शक्तियां ही उन से ले ली गई हैं, जो संघ

[श्री अशोक मेहता]

सरकार के पास हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि यह समझा जाता है कि संगठित उद्योगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अधिक प्रभावोत्पादक निदेश तथा नियंत्रण की व्यवस्था कर सकती है।

परन्तु जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, यदि हमारे संविधान को संघीय संविधान के रूप में रहना है, तो संघ में मिलने वाली इकाइयों को अधिकतम शक्ति देना आवश्यक है।

एक लोक हितकारी राज्य के निर्माण के लिये दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—एक तो यह कि कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में धन जमा न हो और दूसरे यह कि शक्ति भी किसी एक स्थान पर केन्द्रित न हो। यही कारण था कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में नेताओं ने हमें यह सिखाया कि शक्ति का संतुलन बनाये रखना और उसका विकेन्द्रीकरण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। परन्तु हम देखते हैं कि आजकल व्यावहारिक रूप में यह चीज़ हो नहीं रही है। आज कल तो केन्द्रीकरण की ही प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। हमें इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये।

यह तर्क किया जा सकता है कि ये शक्तियां केवल समवर्ती रूप से ली जा रही हैं। परन्तु चूंकि इनकी मांग की जा रही है इसी से स्पष्ट है कि उनको केवल समवर्ती शक्तियों के रूप में ही नहीं माना जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर उसका अन्यथा प्रयोग भी किया जा सकता है।

अनेक कारणों से मैं संविधान में परिवर्तन करने के ऐसे प्रयत्न पर आपत्ति करता हूं। अनुच्छेद ३६९ में ग्यारह मदें दी हुई हैं। उनमें से छै के सम्बन्ध में तो पहले ही विधान बन चुके हैं। जहां तक औद्योगिक माल का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में भी अभी तक कई विधान पारित हो चुके हैं और सरकार को उनके नियंत्रण और निदेश के सम्बन्ध में आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं।

शेष पांच में से केवल चार इस संशोधन में आये हैं। अभ्रक को निकाल कर जूट को जोड़ लिया गया है। क्या मैं यह समझूं कि जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय अभ्रक को केन्द्रीय नियंत्रण में रखना आवश्यक समझा गया और जूट को नहीं। आज जूट को आवश्यक समझा जा रहा है। पांच वर्ष बाद जूट के स्थान पर मैंगनीज़ को आवश्यक समझा जायेगा। इस प्रकार बदल कर हम अपने संविधान को नष्ट कर रहे हैं। मैं आप का अभिप्राय समझ सकता यदि आप कहते कि देश, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग आदि के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालने वाली सभी वस्तुयें समवर्ती सूची में रखी जावें। मेरा तात्पर्य यह है कि संविधान के साथ इस प्रकार का ओछा व्यवहार करना अवांछनीय है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या मैं माननीय मित्र की सहायता कर सकता हूं। हमें परामर्श दिया गया था कि सूची १ के पद ५४ के अन्तर्गत अभ्रक का समावेश हो गया है।

श्री अशोक मेहता : प्रस्तावक ने अपने भाषण में बताया है कि संविधान के बनाने वालों ने उस के सभी पक्षों पर भली प्रकार विचार कर लिया था और उन्होंने इन अधिकारों के बढ़ाये जा सकने की भी बात कही थी। समष्टि रूप से देखने पर विदित होगा कि अस्थायी और अन्तर्कालीन उपबन्धों की प्रकृति अनिवार्यतः संक्रान्तिकालीन है। उदाहरणस्वरूप भाग ख राज्यों के [illegible] में राष्ट्रपति को १० वर्ष

कुछ विशेष अधिकार होते हैं । उन को या उस की अवधि को परिवर्तित करने का अर्थ होगा सारे संविधान में परिवर्तन करना यही बात सातवीं अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के परिवर्तन करने में हमें विधान की प्रकृति संतुलन और शक्ति वितरण प्रणाली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा । ऐसा कहा जाता है कि इस संशोधन की आवश्यकता है पर आश्चर्य यह है कि संशोधन में कहीं भी किसी उपरिदर्शी मामले को सामने नहीं रखा गया है । अभी आज प्रातःकाल भी हमारे खाद्य मंत्री ने हमें विश्वास दिलाया है कि बाढ़ों और विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के अभाव के होने पर भी हमें खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

पिछले वर्षों में जब खाद्यों का बहुत अभाव था तब किसी को पद ३३ में परिवर्तन करने की बात नहीं सूझी अब जब सभी दिशाओं में परिस्थितियों में सरलता उत्पन्न हो गई है तो आज यह सोचा गया है कि संघ सरकार को असाधारण अधिकार प्रदान किया जावे । मैं समझने में असमर्थ हूं कि क्यों इस प्रकार का एक विधेयक जिस में बात तो हल्के से परिवर्तन की की गई है पर जिस से सम्पूर्ण संविधान के परिवर्तन की आशंका है को स्वीकार किया जाये । इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

मेरे विचार से यह विधेयक आवश्यक नहीं है । सरकार के पास अधिकार हैं और अन्य अधिकारों की प्राप्ति के लिये भी विधान में व्यवस्था है । अनेक पदों को जिस प्रकार एक के बाद एक उपस्थित किया जा रहा है वह प्रणाली अनुचित है अतः इस विधेयक को स्वीकार करना अनुचित होगा ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : इस विधान के सम्बन्ध में सब से अधिक महत्वपूर्ण बात जो विचारणीय है वह यह है कि पिछले दिनों में हम ने देखा है कि उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करने और उत्पादन करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । हमारे माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया है कि किस कारण कुछ विशेष वस्तुओं को सूची ३ की प्रविष्टि संख्या ३३ में सम्मिलित किया जाये । यह एक ऐसा मामला नहीं है जिस से सम्पूर्ण आर्थिक नीति का परिवर्तन कर दिया जाये या सम्पूर्ण देश में आर्थिक स्थिति का विवेचन किया जाये । ऐसा कहा गया है कि संविधान एक पवित्र चीज है उस का संशोधन बिना भली प्रकार विचार किये न किया जावे । मैं इस से सहमत हूं । पर जब उद्योगों को पंचवर्षीय योजना में स्थिर किये गये लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है तो संविधान में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है । मैं देखता हूं कि सूची ३की प्रविष्टि संख्या ३३ में अनुच्छेद ३६९ को लगभग पूर्ण प्रकार से समाविष्ट कर दिया गया है पर कुछ पदों को छोड़ दिया गया है । संभव है लोगों पर यह प्रभाव पड़े कि ऐसे पदों को केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है । इस मामले में यह सुझाव दिया गया है कि देश में अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो न कि केन्द्रीकरण पर जब हम औद्योगिक विकास के इच्छुक हैं और हमारी विस्तृत योजनायें हमारे सम्मुख हैं तो आवश्यक है कि औद्योगिक उत्पादन का सम्पूर्ण क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हो ।

खाद्य वस्तुओं की बात मैं बाद में करूंगा । आज की वर्तमान दशा में खाद्य सामग्री के अलावा शेष वस्तुओं को राज्यों पर न छोड़ कर केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही रक्खा जाये । अनुच्छेद ३६९ का जीवन २६ जनवरी १९५५ को समाप्त हो जायेगा अतः उस के बाद, सरकार जिस नीति का

[श्री तुलसी दास]

अनुसरण आज कर रही है, उस को आगे भी चलाने के लिये हम अनुच्छेद का संशोधन कर रहे हैं जैसा कि विधेयक में स्थिर किया गया है। हम इन वस्तुओं के केन्द्रीय नियंत्रण में लाने के उपाय का स्वागत करते हैं। जब हमारे उद्योग एक विशेष स्तर पर पहुंच जायेंगे तो हम विकेन्द्रीयकरण करने के पक्ष में हैं। जब हमारे उद्योगों का विस्तार हो रहा है तो उन में सहयोग आवश्यक है इस के लिये सहयोग प्राधिकार होना आवश्यक है और उस के पास अधिकार होना चाहिये अतः मैं चाहता हूं कि संविधान के संशोधन के महत्वपूर्ण मामले को भली प्रकार विचार कर के किया जाये।

मेरे मित्र ने सुझाव रखा है कि आर्थिक परिस्थितियों का विवेचन कर लिया जाये, मैं इसे परम आवश्यक मानता हूं। इस से सरकार की आर्थिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि परिस्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है कि अनेक उद्योगों का काम कच्चे माल पर निर्भर है और यदि यह कच्चा माल राज्य सरकारों के नियंत्रण में छोड़ दिया जाये तो संभव है यह उद्योग उस प्रकार कार्य करने में समर्थ न हो सके जैसा कि उन से पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आशा है। पद ३३ का संशोधन करते समय हमें औद्योगिक उत्पादन की अन्य वस्तुओं का भी ध्यान रखना चाहिये। पद ५२ के अन्तर्गत आये सभी औद्योगिक उत्पादन केन्द्र के अन्तर्गत हैं। अभ्रक भी माननीय मंत्री के कथनानुसार पद ५४ के अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार सभी पद केन्द्र के अन्तर्गत आ जाते हैं।

संविधान के निर्माण के समय भी यह विचार किया गया था कि इस व्यवस्था को और अधिक समय तक के लिये रखा जाये और यदि आवश्यकता पड़े तो संविधान में परिवर्तन भी कर दिया जाये। संविधान के केवल एक भाग में संशोधन करने से उस का पूरा ढांचा तो नहीं बदल जायेगा। मैं तो इसे इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि औद्योगिक विकास बिना किसी गड़बड़ी के संभव हो।

अब मैं खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। राज्यों को विशेषकर पश्चिमी बंगाल को दुर्भिक्ष के समय पर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

एक सदस्य ने कहा कि संघ सरकार के हाथों में शक्ति आने से भ्रष्टाचार अधिक रहता है मेरा विचार इस के विपरीत है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि खाद्य सामग्री को केन्द्र के अन्तर्गत ही रखा जाये मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे: मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं। सर्वप्रथम ऐसे संशोधनों के लिये सरकार को उन कारणों को बताना चाहिये जिन के कारण वह संशोधन आवश्यक है। इस मामले से राज्यों का महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। हम राज्यों के प्रतिनिधि नहीं हैं पर वहां की जनता के प्रतिनिधि अवश्य हैं अतः राज्यों के हित का प्रश्न हमारे विचार और आलोचना का विषय है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त विचारों का एक सूक्ष्म विवरण हमारे सम्मुख रखें।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमें एक ऐसी प्रथा स्थापित करनी चाहिये कि संविधान संबन्धी सभी संशोधन हमारे विधि मंत्री ही उपस्थित करें अतः हमारे वाणिज्य मंत्री ने क्यों यह विधेयक उपस्थित किया? मैं मानता हूं कि उन का सामूहिक दायित्व

१९५४

है पर जसा कि अन्य देशों में भी होता है कि संविधान के संशोधनों को विधि मंत्री ही उपस्थित करता है वैसा ही होना उचित था ।

इन बातों को छोड़ कर अब हम मुख्य प्रश्न पर आते हैं । हम संविधान में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं ? कहा जाता है कि हमारा विधान सांधिक है । पर वास्तव में ऐसा नहीं है । इस विधान को सांधिक कहना उस के अर्थ की हत्या करना है । अनेक अवसरों पर हम ने स्वतन्त्रता मिलने के पूर्व घोषणा की कि हमारे सांधिक विधान में सभी अवशिष्टाधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किये जायेंगे । केन्द्र के पास न्यूनाधिक अधिकार रखे जायेंगे । पर आज स्थिति क्या है ? अनुच्छेद २४८ यह नहीं कहता कि सभी अवशिष्टाधिकार राज्यों के साथ रहगे बल्कि उस में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि सभी अवशिष्टाधिकार केन्द्र के अन्तर्गत रहेंगे ।

यदि आप दावा करते हैं कि हमारा विधान सांधिक है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं पर मैं यह भी कहूंगा कि अनुच्छेद २४८ के होते हुए भी हमें राज्यों को निश्चित रूप से अधिकाधिक अधिकार देने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

सातवीं अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ का संशोधन किया जाने वाला है । पर इस संशोधन का प्रयोजन क्या है ? इस के कारण और उद्देश्य क्या हैं ? क्या यही कारण है कि अनुच्छेद ३६९ का काल संविधान के लागू होने के ५ वर्षों बाद समाप्त हो जायेगा । अतः सरकार के पास कुछ न कुछ शक्ति होनी चाहिये ।

अनुच्छेद ३६९ तो एक अन्तर्कालीन उपबन्ध के रूप में संविधान में रखा गया था । किन्तु प्रस्तुत विधेयक से विदित होता है कि केन्द्रीय सरकार हमेशा के लिये यह अधिकार चाहती है । अर्थात् इस का मतलब यही हुआ कि राज्यों में अभी वह सामर्थ्य नहीं आया है जिस की कि संविधान-निर्माता अपेक्षा करते थे । तब तो सीधा तरीका यह था कि सूची ३ की प्रविष्टि ३३ को संशोधित करने के बजाय अनुच्छेद ३६९ को ही संशोधित कर दिया जाय । 'पांच' वर्ष की जगह 'दस' वर्ष कर देते ।

विद्यमान सूची ३३ में केवल औद्योगिक उत्पाद ही समाविष्ट है किन्तु अब उस में कृषि उत्पाद भी समाविष्ट किये जा रहे हैं । सूची २ की प्रविष्टियां १४ तथा १५ के अनुसार कृषि सम्बन्धी सब बातें राज्यों के अधीन हैं । किन्तु अब इस संशोधन द्वारा आप सूची २ पर भी चोरी छिपे प्रहार कर रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने अभ्रक प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री ने उस के उत्तर में कहा था कि वह सूची १ की प्रविष्टि ५४ के अन्दर आ जायेगा। किन्तु यह स्पष्टीकरण सही नहीं है । यदि अभ्रक इस प्रविष्टि में आ जाता तो उसे अनुच्छेद ३६९ में रखने की क्या आवश्यकता थी ? हमें तो कहना यही चाहिये कि अनुच्छेद ३६९ में दी गई वस्तुओं में से कोई भी प्रविष्टि ५४ के अन्दर नहीं आती ।

मेरा निवेदन है कि हमारा वर्तमान संविधान राज्यों को अधिकार देने के विषय में १९३९ के भारत शासन अधिनियम से भी अधिक कठोर तथा कृपण है । और अब इस संशोधन द्वारा माननीय मंत्री राज्यों के अधिकारों पर नया आक्रमण कर रहे हैं । मेरी राय में, बम्बई सरकार ने जो सुख लिया है वह पूर्णतया समर्थनीय है । बम्बई सरकार ने राज्यों की स्वायत्तता

[श्री एस० एस० मोरे]

की रक्षा करने के लिये इस संशोधन का विरोध किया है ।

यदि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो पूरे चित्र को सामने रखिये । समय समय पर छोटे मोटे हेर फेर करने से लोग सम्पूर्ण चित्र के बारे में अनभिज्ञ रह जाते हैं और उन की समझ में नहीं आता कि इन विभिन्न संशोधनों का बहाव किस दिशा में है । अतः आप को करना यह चाहिये कि जो जो संशोधन आप आवश्यक समझते हैं वे सारे दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंप दें । समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि आवश्यक संशोधनों के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है । किन्तु सरकारों के अलावा जनता से तथा जनता के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाना चाहिये । मैं सरकार से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार इक्के दुक्के संशोधन लाने के बजाय, इस विधेयक को इस समय स्थगित किया जाये और संशोधनों का सारा मामला दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये । तब जो सुसंगत विधेयक बनेगा वह अधिक विचारणीय होगा और उसी रूप में उसे इस सभा के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : चेयरमैन साहब, इस में शक नहीं है कि जब यह दफा ३६९ कांस्टीट्यूशन में बनायी गयी, इस के अल्फाज से यह जाहिर है, इस के अरेंजमेंट से जाहिर है कि फिलवाके यह ३६९ दफा ट्रांजीशनल है ।

श्री के० के० बसु : अंग्रेजी में बोलिये ।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में ही बोलिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे दो तरह के हुक्म मिल रहे हैं । तो दफा ३६९ का हैडिंग है : 'अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध' उस वक्त जब यह तीन लिस्टें बनीं ....

सभापति महोदय : क्या मैं सुझाव दूं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी में ही बोलें क्योंकि संविधान भी पहले अंग्रेजी में ही लिखा गया था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप का सुझाव भी मेरे लिये आदेश ही है ।

मैं यह कह रहा था कि अनुच्छेद ३६९ के शीर्षक से भी पता चलता है कि वास्तव में ये विषय राज्य सूची में समाविष्ट होने चाहियें । उस अनुच्छेद की भाषा से भी पता चलता है कि वे समवर्ती सूची के भी विषय नहीं हैं किन्तु केवल पांच वर्ष तक उन्हें समवर्ती सूची के विषयों जैसा माना जायेगा । अतः यह स्पष्ट है कि संविधान सभा इन विषयों को राज्यों को ही सौंपना चाहती थी ।

संविधान सभा के उस समय के वाद-विवाद पढ़ने से विदित होगा कि अनुच्छेद ३६९ लगभग एकमत से स्वीकार हुआ था । अर्थात् सारे देश का यह मत था कि कुछ समय के लिये ये विषय केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में रहें । अच्छा होता यदि उसी समय हम अधिक दूरदृष्टि से काम लेते और इस अन्तर्कालीन समय को पांच की जगह दस वर्ष कर देते ।

एक माननीय सदस्य : अब वैसा कर दीजिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं कि उस ने सारी स्थिति को इस प्रकार संभाला है कि आज कुछ लोग सोचने लगे हैं कि यह विषय राज्य

सूची में रख देना चाहिये । खाद्य स्थिति सदा खराब रही है और खाद्यान्न के आयात का प्रश्न इतना बड़ा था कि इसे केन्द्रीय सरकार ही संभाल सकती थी । राज्य सरकारों का व्यवहार अच्छा नहीं था जिस कारण बाध्य हो करके केन्द्रीय सरकार को करोड़ों रुपये का खाद्यान्न आयात करना पड़ा ।

इस अनुभव से दो निष्कर्ष निकलते । एक यह कि राज्य सरकारों का व्यवहार तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इस विषय का उत्तरदायित्व उन पर न डाला जाये ।

दूसरे उन का व्यवहार इस कारण भी ठीक नहीं कि वे अपने लोगों से खाद्यान्न ले कर उन्हें रुष्ट नहीं करना चाहते । वे अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार पालन नहीं करते रहे और उन के प्राक्कलन गलत और उन की मांगें बढ़ी चढ़ी होती थीं । अतः केन्द्रीय सरकार के पास सिवाय आयात के और कोई रास्ता नहीं रह गया था । इंगलैंड में हमारे लगभग १७,००० लाख पौंड जमा थे, परन्तु खाद्यान्न के आयात के कारण उस में से कम से कम ४००० लाख पौंड व्यय हो गये हैं । इस सब का दायित्व राज्यों के दुर्व्यवहार पर है ।

इस अनुभव के आधार पर मेरा यह विचार है कि जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि राज्य सरकारें इन विषयों को भली प्रकार नहीं संभाल सकेंगी, हमें विधि में परिवर्तन नहीं करना चाहिये । अब हम इस संशोधन द्वारा इस विषय को सदा के लिये समवर्ती सूची में रख रहे हैं और अनुच्छेद २५४ के अनुसार केन्द्र अधिक शक्तिशाली होने के कारण इस संशोधन के अधीन दी गई शक्तियों का सदा प्रयोग करेगा । मेरा यह निवेदन है कि यदि हम ऐसी विधि बनायें, तो संविधान सभा ने इस सरकार को जो शक्तियां केवल पांच वर्ष के लिये दी थीं उन का प्रयोग सदा के लिये होता रहेगा ।

श्री मोरे ने हमारा ध्यान अनुच्छेद २४८ की ओर दिलाया था और मैं उस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह अनुच्छेद जान-बूझ कर रखा गया था, क्योंकि हम भारत में संघ (फेडरेशन) राज्य नहीं चाहते थे । अतएव हमने इसे एक प्रकार का एकात्मक संघ बनाया था ।

सभापति महोदय : संभवतः माननीय सदस्य और समय लेंगे । अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यक्रम का समय है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा ८ सितम्बर १९५४ को इसे प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा ८ सितम्बर १९५४ को इसे प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वस्त्र तथा पटसन उद्योगों की वैज्ञानिकन योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—जारी

सभापति महोदय : अब सभा वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग के वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में पी० टी० पुन्नूस द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

[सभापति महोदय]

क्योंकि २७ अगस्त को श्री पुन्नूस को जितना समय दिया गया था उन्होंने वह सारा ले लिया था, अतः उन्होंने अपना उत्तर का अधिकार छोड़ दिया है । चर्चा के लिये बाकी दो घंटे और १९ मिनट हैं ।

संशोधन प्रस्तुत करने के लिये मुझे कुछ सदस्यों की प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं । नियमानुसार संकल्प प्रस्तुत होने के पश्चात् कोई भी सदस्य नियमों के अधीन संशोधन प्रस्तुत कर सकता है । नियम यह है कि यदि संशोधन संकल्प प्रस्तुत होने से एक दिन पूर्व न दिया गया हो, तो कोई सदस्य आपत्ति उठा सकता है और यदि अध्यक्ष संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे तो वह आपत्ति लागू होगी ।

नियमों के अधीन श्री अमर नाथ विद्यालंकार को संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । इस संबन्ध में एक उदाहरण है । एक चर्चा में यह निर्णय दिया गया था कि यदि संशोधन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति संकल्प प्रस्तुत होने के समय उपस्थित न हो तो उसे संशोधन देने की अनुमति नहीं दी जायेगी । अतः जो लोग उस दिन अनुपस्थित थे उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ था कि यह संकल्प श्री पुन्नूस की ओर से आया है । हमारे साम्यवादी भाई तो प्रगति में विश्वास रखते हैं । उन का विश्वास तेज़ी से औद्योगिक प्रगति करने में है । मार्क्सवाद का सब से बड़ा तर्क यह है कि पूंजीवाद का उपयोग समाप्त हो चुका है । क्योंकि वह आधुनिकतम वैज्ञानिक विकास का प्रयोग नहीं कर सकता परन्तु आज वही साम्यवादी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक विकास रोक देना चाहिये । आज हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि हमारा विरोधी पक्ष मशीन विनाशकों का नेता बना हुआ है । बात स्पष्ट ही है । यह उन के कार्यक्रम का विशेष भाग है कि वे परस्पर विरोधी तत्वों का निर्माण करना चाहते हैं । परन्तु अब उन का यह खेल बहुत हो चुका है ।

श्री पुन्नूस ने कहा था कि वैज्ञानिकन के पक्ष में तर्कों का उल्लेख कर के हमारी दुर्बलताओं पर प्रहार न कीजिये । अतः मैं ऐसा प्रहार न कर के केवल यह कहूंगा कि वैज्ञानिकन और औद्योगिक प्रगति साथ साथ चलते हैं ।

संकल्प में दो उद्योगों अर्थात् वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग का उल्लेख है और कहा गया है कि इन उद्योगों में वैज्ञानिकन की योजनाओं को क्रियान्वित करना देश की जनता के हितों के लिये अत्यन्त हानिकर होगा । श्री पुन्नूस ने कहा था कि वैज्ञानिकन के कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है । और उन्हों ने बेरोजगार श्रमिकों की दुर्दशा का चित्र भी प्रस्तुत किया था ।

मैं ने यह जानने के लिये कि वस्तुतः वस्त्र उद्योग में बेरोजगारी बढ़ी है अथवा घटी है, कुछ आंकड़े एकत्रित किये हैं । उन से पता चलता है कि ३१ अगस्त, १९४६ और ३१ अगस्त, १९५३ के बीच लगभग ११,०९९ करघों में से ४,६०५ स्वचालित करघे लगा दिये गये हैं । यदि इस से कुछ भी बेरोजगारी बढ़ी होती तो मैं उसे स्वीकार करता परन्तु स्थिति यह है कि सितम्बर १९५३ को वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या ७,५३,००० थी । कभी भी श्रमिकों की संख्या यहां तक नहीं पहुंची थी । मैं नहीं समझ सकता कि मेरे माननीय मित्र कैसे कहते हैं कि वैज्ञानिकन से वस्त्र-उद्योग में बेरोजगारी बढ़ रही है ।

फिर वे कहते हैं कि स्वचालित करघे लगाने से यह होगा कि जहां एक व्यक्ति केवल एक या दो करघों को चलाता था अब वह १६ से ३२ करघों को चला सकेगा। स्वभावतः इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। परन्तु हमारे देश में प्रतिवर्ष लगाये गये स्वचालित करघों की औसत केवल ६०० है। अत्यधिक आशावादी व्यापारी भी २००० स्वचालित करघे बदलना अत्यन्त कठिन समझता है। अतएव यह भय कि स्वचालित करघों के लगने से बेरोजगारी बढ़ेगी सर्वथा कपोल-कलपित है। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री ने एक घोषणा में कहा है कि कानपुर में १० से १५ हजार तक श्रमिक केवल इस कारण बेरोजगार हो गये हैं कि वहां पर वैज्ञानिकन नहीं हुआ है। विपक्ष के सदस्यों को इस प्रमाणिक घोषणा की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री पुन्नूस ने कहा था कि वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में सभी लोग स्थिर मत और एक मत हैं। इस बारे में भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के प्रधान श्री एस० आर० वसावड़ा का मत लीजिये जो उन्होंने एक वक्तव्य में दिया है। उन्हों ने कहा है कि कानपुर के मिल मालिकों और कर्मचारियों को इस उद्योग में किये जाने वाले वैज्ञानिकन की आवश्यकता को समझना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पता लगा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वैज्ञानिकन के तीन मूलभूत सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है और स्वचालित करघे श्रम बचाने के हेतु नहीं लगाये जा रहे हैं। उन्हों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि कुछ कार्मिक संघ के कार्यकर्ता उन मूलभूत सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हुए वैज्ञानिकन की योजना का आंख मूंद कर विरोध कर रहे हैं।

फोर्ड फाउन्डेशन का एक विशेषज्ञ दल यहां के कुटीर उद्योगों और छोटे छोटे उद्योगों की स्थिति का अध्ययन करने के लिये भारत आया था। उन्होंने अपना मत प्रगट करते हुए कहा है कि बेरोजगारी बढ़ने के भय से आधुनिकीकरण का विरोध हो रहा है। परन्तु यह भय सर्वथा मिथ्या है। अत्यधिक पुराने ढंग से उत्पादन करने की अपेक्षा नवीन ढंगों को अपनाने से अधिकाधिक अच्छे उत्पाद कम लागत पर निर्यात हो सकते हैं, जिस का अभिप्राय यह है कि बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी। इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ने की बजाय अधिक लोगों को काम मिल सकेगा। मेरे मित्र कहेंगे कि उस दल म बड़ बड़ व्यापारियों के प्रतिनिधि थे। परन्तु एसी बात नहीं है। उन में से अधिकतर अपने अपने देशों के कुटीर उद्योगों के प्रतिनिधि थे।

इस के बाद मैं 'निर्माण करने वाले उद्योगों में अधिक उत्पादन' की ओर निर्देश करूंगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है।

इस के पृष्ठ ३३ से आगे वैज्ञानिकन और आधुनिक मशीनरी लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है।

थोड़ा समय होने के कारण मैं पटसन उद्योग के बारे में नहीं कहूंगा। परन्तु हमें देखना यह है कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हमारा उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं करना है तो हम वैज्ञानिकन के बिना काम चला सकते हैं। परन्तु जब आप यह कहते हैं कि अगले १०, १५ वर्ष में जीवत स्तर को ५० प्रतिशत ऊपर उठाना चाहिये, तो इस का क्या अभिप्राय है। इस का अभिप्राय यह है कि १४ गज़ की बजाय २० गज़ कपड़ा प्रति व्यक्ति दिया जाये। इस कार्य के लिये वर्तमान प्रकार की २०० मिलें और चाहियें। परन्तु यदि इन्हीं मिलों में आधुनिक मशीनरी लगा दी जाये तो इस से कम नई मिलों से काम चल सकता है।

[श्री बंसल]

टेक्नोलोजी और तर्क-पटुता की बजाय यदि इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखा जाये कि हम ने अपने लोगों की दरिद्रता को दूर करना है तो मुझे विश्वास है कि श्री पुशूस स्वयं अपना संकल्प वापस ले लेंगे ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : मैं केवल इस प्रश्न को लूंगा कि वैज्ञानिकन में लोगों का हित है अथवा नहीं । मैं श्री बंसल के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि वैज्ञानिकन से बेरोजगारी नहीं होगी । १९३७ में वैज्ञानिकन का यह प्रश्न विशेष वस्त्र उद्योग जांच समिति को सौंपा गया था । उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि वैज्ञानिकन से मूल्य घट जाते हैं, श्रमिकों को अधिक मजूरी मिलती है और उपभोक्ताओं के लिये वस्तुयें सस्ती हो जाती हैं । उन की सिफारिशें ये थीं कि वैज्ञानिकन श्रमिकों के सहयोग से लागू करना चाहिये और बेरोजगारी में वृद्धि से बचने के लिये इसे शनैः शनैः कार्यान्वित करना चाहिये । यह स्थिति तो १९४० में थी और अब वस्त्र उद्योग की मशीनरी और भी खराब हो चुकी है । वस्त्र उद्योग के कातने और बुनने के विभाग में लगी हुई मशीनरी कई वर्ष पुरानी हो चुकी है । यदि यह समझा जाये कि मशीनरी ३० वर्ष तक ठीक प्रकार काम करती है तो स्पष्ट है कि मशीनरी पुरानी हो चुकी है ।

केवल इसी उद्योग के विकास के लिये हम क्यों इतने उत्सुक हैं ? मुट्ठी भर उद्योगपतियों अथवा अंशधारियों के लिये नहीं बल्कि इस लिये कि मैं इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं । जब तक यह नहीं किया जाता तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम इस की कार्यकुशलता को बनाये रखें । विभाजन के पश्चात् सूती कपड़े का निर्यात २० प्रतिशत कम हो गया है । दो वर्ष हुए बर्नहम में एक सम्मेलन हुआ था, जिस में वस्त्र के निर्यात का बंटवारा किया गया था । हम देखते हैं कि जापान की प्रतिस्पर्धा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । इसलिये यह विचार करना हमारा कार्य है कि किस प्रकार हम न केवल कपड़े के निर्यात को बनाये ही रखें, बल्कि इसे और बढ़ायें । निर्यात तथा आन्तरिक खपत दोनों के लिये उत्पादन बढ़ाना अत्याधिक आवश्यक है जो कि वैज्ञानिकन द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है ।

यह कहना ठीक नहीं कि वैज्ञानिकन से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, परन्तु हमें यह इस ढंग से करना चाहिये कि बेरोजगारी कम से कम हो और छंटनी में निकाले गये व्यक्ति दूसरे स्थानों पर लगा लिये जायें । श्री बंसल ने गत सात वर्ष में किये गये आधुनिकीकरण के बारे में जो आंकड़े दिये हैं वे ठीक हैं । परन्तु यदि बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम करना हो तो परिणाम यह होगा कि लगाये गये कर्घों के कुल २ प्रतिशत प्रति वर्ष बदलने के लिये उपलब्ध होंगे । "टाटा त्रैमासिक" के अनुसार बम्बई में १४.४ और अहमदाबाद में ९.२ प्रतिशत लोग किसी न किसी कारण से इस उद्योग से निकलते हैं, यदि इसे ध्यान में रखा जाये तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा नहीं होगी ।

यदि हम वैज्ञानिकन न करें तब क्या होगा ? मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है और उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि इस की कार्यकुशलता घटती जा रही है, इस से हमारा निर्यात समाप्त हो जायेगा जो कि बहुत समय से चला आ रहा है और वर्तमान कारखाने भी बन्द हो जायेंगे और इस से वैज्ञानिकन की तुलना में अधिक बेरोजगारी होगी, वस्त्र उद्योग जांच समिति ने भी इस प्रश्न की जांच की है । और उन की भी यही राय है ।

अतः जनता का हित इसी बात में है कि वस्त्र उद्योग जांच समिति ने जैसे सुझाव दिया है उसी प्रकार वैज्ञानिकन किया जाये। इस से उद्योगपतियों का लाभ नहीं बढ़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह लाभ पर कुछ निर्बन्धन लगाये और उपभोक्ताओं को भी कोई लाभ हो। अब तो उद्योगपतियों और श्रमिकों में ही बात-चीत हो जाती है और हम उपभोक्ताओं को कोई नहीं पूछता। हमारी सलाह लिये बिना ही बड़े महत्वपूर्ण निर्णय कर लिये जाते हैं और इस के परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ जाते हैं. हमारा तो यही अनुभव है।

हमें अपने आप को पूंजीपतियों अथवा श्रम के प्रतिनिधि न समझ कर उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होने के नाते इस समस्या पर विचार करना चाहिये। वैज्ञानिकन से कपड़ा सस्ता मिलेगा। और इस का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही देश का उद्योग शक्तिशाली होने से देश रक्षा के दृष्टिकोण से भी शक्तिशाली होगा।

इसलिये हमारी यही धारणा नहीं बनी रहनी चाहिये कि वैज्ञानिकन करने से धनाढ्य लोगों का धन और बढ़ेगा परन्तु ऐसा नहीं होगा। सम्पत्ति शुल्क अधिनियम बन चुका है और मैं यह भविष्यवाणी करता हूं कि निजी आय की उच्चतम सीमा भी निश्चित हो जायेगी।

अतः हमें उद्योगपतियों और श्रमिकों की बातों में न आ कर बुद्धिमत्ता के रास्ते पर चलना चाहिये जिस में कि सार्वजनिक कल्याण हो।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : मैं वैज्ञानिकन के पक्ष में हूं, परन्तु इसे इतने बड़े पैमाने पर करने के पक्ष में नहीं जिस से हजारों लोग बेरोजगार हो जायें, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के कथनानुसार ऐसा वैज्ञानिकन नहीं किया जाना चाहिये जिस से लोगों में हाहाकार मच जाये।

वैज्ञानिकन की नीति का विरोध करना कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। इस से तो स्वयं श्रमिक वर्ग को ही हानि पहुंचने का डर है। इस का विरोध तो होता ही रहा है, परन्तु अन्ततः वैज्ञानिकन और आधुनिकीकरण श्रमिक वर्ग के हित में रहा है।

श्रमिकों के लिये अधिक रोजगार काम करने की अधिक अच्छी सुविधायें अच्छी मजूरी और उच्च जीवन-स्तर की व्यवस्था करने और उत्पादन बढ़ाने का हमारा उद्देश्य वैज्ञानिकन और आधुनीकीकरण द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

यह अच्छी प्रकार समझ लेना चाहियें कि इस के बिना उत्पादन घटता जायेगा और बेरोजगारी बढ़ती जायेगी।

यह कहना कि वैज्ञानिकन श्रमिकों के लिये अहितकर है सर्वथा अनुचित है। मैं अपने माननीय मित्र के वक्तव्य में से कुछ उदाहरण देता हूं जिस से पता चलेगा कि उन्हों ने बहुत सी बातें बढ़ा-चढ़ा कर कही हैं।

उन्हों ने अत्यधिक लाभ और वस्त्रों के अधिक मूल्य के बारे में कहा है। परन्तु उन्हें विदित होना चाहिये कि यह सब वैज्ञानिकन के अभाव के कारण है।

देश में ४०० मिलों में से लगभग २५ मिलें ऐसी हैं जिन्हें बहुत लाभ हो रहा है और वह भी इसलिये कि वे आधुनिकतम और वैज्ञानिक ढंग से कार्य कर रही हैं। यदि सब मिलें वैज्ञानिकन कर लें तो परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कपड़े का मूल्य कम होना स्वाभाविक है और इन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। उन्होंने स्वचालित करघों की ओर

[श्री जी० डी० सोमानी]

संकेत किया परन्तु मैं उन्हें बता दूं कि सदा कपड़ा ही इन करघों पर सस्ता और अच्छी प्रकार बन सकता है तरह तरह के डिज़ाइन का नहीं । लोगों की पसंद एक सी नहीं । इस लिये यदि उद्योग को स्वचालित करघों की छूट भी दे दी जाये तो भी २५ प्रतिशत से अधिक कर्घे स्वचालित करघों में परिवर्तित नहीं किये जायेंगे ।

अत: एक लाख अस्सी हजार श्रमिकों का रोजगार छिन जाने की बात भी निराधार है । स्वचालित करघे लगाने में भी १० या १५ वर्ष का समय लग जायेगा और इस से रोजगार की समस्या अधिक जटिल नहीं हो सकती ।

और उन की स्वचालित करघों की उन्हों ने कैलिको मिल्ज़ योजना की ओर निर्देश किया था । सरकार से इस की स्वीकृति की प्रार्थना करते समय उन्हों ने आश्वासन दिया था कि किसी व्यक्ति को छंटनी में निकाला नहीं जायेगा । अत: इस से माननीय सदस्य के मन में बेरोजगारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिये था ।

कानपुर के बारे में भी उन्हों ने कहा था कि वैज्ञानिकन के कारण १५,००० श्रमिक बेकार हो जायेंगे । श्री बंसल यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वैज्ञानिकन के कारण नहीं, बल्कि इस के अभाव के कारण ऐसा हो सकता है । नैनीताल में पिछले वर्ष जुलाई में सरकार, नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था जिस में वे सब कानपुर वस्त्र-उद्योग में बिना कोई छटनी किये वैज्ञानिकन करने पर सहमत हुए थे । उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री के वक्तव्य से पता चलता है कि यह सब श्रम नेताओं की सहमति से किया जा रहा है । इसलिये कानपुर में छंटनी का भय उत्पन्न करना बिल्कुल निराधार है ।

उन्हों ने कहा था कि गत २ या ३ वर्ष में बम्बई में ४०,००० श्रमिक बेकार हो गये हैं । मैं आंकड़ों द्वारा प्रमाणित कर सकता हूं कि वास्तव में श्रमिकों की संख्या बढ़ी है । उन्हों ने मद्रास की बी० और सी० मिल्ज़ की ओर भी निर्देश किया था । उस के आंकड़े भी बढ़ा-चढ़ा कर बताये गये हैं । उन्हों ने कहा था कि २,५०० श्रमिक बेकार हो गये हैं । परन्तु केवल ५०० श्रमिक कम किये गये थे । उन्हों ने बताया कि मदुरा मिल्ज़ में ३,००० व्यक्ति छंटनी में निकाले गये, परन्तु आंकड़ों से पता लगता है कि जितने लोग १९५१ में काम पर लगे हुए थे उतने ही १९५३ में भी थे ।

यह भी कहा गया है कि काम का भार अधिक बढ़ जायेगा परन्तु आप प्राचीन और आधुनिक कपड़े की मिलों में जा कर देख सकते हैं कि दोनों में से कहां काम का भार अधिक है और दोनों में से कौन श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिये अहितकर है । हम दिल्ली में ही स्वतन्त्र भारत मिल्ज़ को देख सकते हैं । यही हालत दूसरी आधुनिक मिलों की है, वहां काम का भार कम, आर्द्रता अधिक और पुरानी मिलों की अपेक्षा काम करने की सुविधायें अधिक हैं ।

यह कहना भी सही नहीं कि वैज्ञानिकन से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसके सम्बन्ध में भी निश्चित करार किया गया है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ मजूरी भी बढ़ाई जायेगी ।

निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है । जापान की तुलना में हमारे देश में मजूरी का व्यय अधिक है और हमारे उद्योग के रास्ते में यह एक बड़ी रुकावट है । चाहे यहां रूई सस्ती है और हमारा उद्योग संसार की मंडी का मुकाबला कर सकता है, परन्तु सदा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, रूई

का मूल्य अन्य देशों के मूल्यों के समान होने पर हमारा उद्योग दूसरे देशों के सामने नहीं ठहर सकेगा। और हमारा निर्यात बाजार नष्ट होने से एक लाख श्रमिक बेकार हो जायेंगे। इसलिये इस प्रश्न पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने के पश्चात् मैं निवेदन करता हूं कि वैज्ञानिकन अत्यधिक आवश्यक है और फिर यदि बिना कोई छंटनी किये यह हो सके, तो अवश्य करना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं लगभग ४.२० म० प० बजे माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कहना चाहता हूं। अत: प्रत्येक माननीय सदस्य के लिये बोलने का समय १५ मिनट से घटा कर १० मिनट कर दिया गया है, ताकि अधिक सदस्य भाग ले सकें।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरभंग) : वैज्ञानिकन सम्बन्धी यह विवाद गत आय-व्ययक सत्र में माननीय वित्त मंत्री के भाषण के पश्चात् उत्पन्न हुआ है। उसके बाद देश के विभिन्न दल और सरकार इस प्रश्न पर काफी विचार कर चुकी है और बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। मुझे श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का वक्तव्य स्मरण है कि वैज्ञानिकन ऐसा होना चाहिये जिस से किसी को कष्ट न हो। प्रधान मंत्री जी ने कहा बताते हैं कि पहले नौकरी का एक पुंज बना लेना चाहिये तभी वैज्ञानिकन की बात की जा सकती है। इस से पता चलता है कि सारा देश इस प्रश्न में रुचि ले रहा है।

समस्या यह है कि वैज्ञानिकन होना चाहिये या नहीं ; मैं इस समस्या को दो भागों में बांटता हूं। एक तो वैज्ञानिकन का वह भाग है जो प्रति दिन हो रहा है, अर्थात् दोनों पक्षों के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार काम करने वाले पर काम के भार में वृद्धि। दूसरा, यंत्रों को स्वचालित बनाने से काम के भार में होने वाली वृद्धि। यंत्रों को स्वचालित बनाना एक बिल्कुल नई चीज है। यंत्रों को स्वचालित बनाने से बहुत से व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। साधारण वैज्ञानिकन में नई भर्ती न कर के पुराने कर्मचारियों को खपाया जा सकता है। परन्तु स्वचालित करघे लगाने से बहुत लोगों को निकालना पड़ता है और बेकारी बहुत बढ़ जाती है। अत: प्रश्न यह है कि क्या करना चाहिये।

साधारण वैज्ञानिकन तो नियोजक और कर्मचारियों दोनों में समझौता कर के किया जा सकता है। योजना आयोग के प्रतिवेदन में भी द्विपक्षीय समझौते का उल्लेख है।

दूसरा प्रश्न लाभ में हिस्सा बटाने का है। श्रमिकों को बढ़े हुए काम के भार का प्रतिकर मिलना चाहिये और यह भी द्विपक्षीय समझौते के द्वारा किया जा सकता है। अत: इस में सरकार के किसी व्यवस्था द्वारा वैज्ञानिकन को थोपने का प्रश्न नहीं है यह तो लाभ में से हिस्सा बटाने के लिये नियोजक और श्रमिकों के आपस में समझौता करने का प्रश्न है।

इस प्रकार ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इस समय तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि बेकारी नहीं होनी चाहिये।

साधारण वैज्ञानिकन के लिये तो हम तैयार हो गये थे, किन्तु स्वचालित यंत्र लगाने के प्रश्न से हमारे मन में बड़ी भारी आशंका उत्पन्न हो गई है। यह कहा जाता है कि स्वचालित यंत्र लगाने से श्रमिकों की मजूरी बढ़ जायेगी। परन्तु प्रश्न यह है कि इस में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ?

दूसरा प्रश्न यह है कितने श्रमिक बेकार हो जायेंगे ? इन श्रमिकों की बेकारी का

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ?

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इस से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा ? वास्तव में जब श्री अम्बा लाल साराभाई ने योजना आयोग से इस विषय पर चर्चा की थी, तो वित्त मंत्री भी वहां उपस्थित थे । उन्हों ने उन से पूछा था : "क्या आप यह समझते हैं कि स्वचालित यंत्र लगाने से मूल्य कम हो जायेंगे ?" तो उन का उत्तर "नहीं" था । उन्हों ने इसका कारण यह बताया था कि क्योंकि मूल्य तो बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं अतः ये कम नहीं हो सकते । अतः श्री गाडगिल की यह आशा ठीक नहीं है कि स्वचालित यंत्र लगाते ही मूल्य घट जायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि यद्यपि श्रमिकों की संख्या घट जायेगी, किन्तु अवक्षयण व्यय बढ़ जायेगा और इसलिये मिल चलाने में कोई अधिक बचत नहीं होगी । अतः इस दृष्टि से भी यह देखा गया था कि व्यय नहीं घटेगा । अर्थात् उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा । वास्तव में यदि स्वचालित यंत्र लगाने से व्यय कम हो जाता तो आज कल ब्रटिश और अमेरीकन चीजें सब से सस्ती होतीं , किन्तु ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि वैज्ञानिकन से विश्व भर में मजूरी बढ़ गई है तथा और भी बढ़ती जा रही है । इस का कारण यह है कि आधुनिक उद्योग में उत्तरोत्तर कम व्यक्ति काम पर लगाये जाते हैं । अतः प्रत्येक उद्योग में काम करने वालों की संख्या घटती जा रही है । इसे सन्तुलित करने के लिये मजूरी बढ़ानी पड़ती है ताकि अन्ततोगत्वा नौकरियां बढ़ें । अन्यथा देश को कोई लाभ न हो ।

योजना आयोग के प्रतिवेदन में लिखा है कि प्रति वर्ष लगभग १८ लाख लोग नयी नौकरियां ढूंढ़ते हैं । इस प्रकार पांच वर्षों में ९० लाख व्यक्ति नई नौकरियां ढूंढ़ेंगे । इस के विपरीत योजना आयोग के अनुमान के अनुसार केवल ५० लाख नई नौकरियां निकलेंगी । अतः ४० लाख की कमी रहेगी और इस से देश में बहुत बेकारी फैलेगी । इसलिये हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिस से देश में बेकारी और बढ़े । इसलिये हम कहते हैं कि इस समय हमें स्वचालित करघे धीरे धीरे लगाने चाहियें । पहले हमें पर्याप्त नौकरियों का प्रबन्ध करना चाहिये और उस के पश्चात् वैज्ञानिकन करना चाहिये ।

पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को जो ३०० करोड़ रुपये दिये गये थे उस के अनुसार उन का विकास नहीं हुआ । इसी कारण हम यह कहते हैं कि यदि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकन से बहुत अधिक बेकारी फैलने का भय हो, तो इसे धीरे धीरे करना चाहिये ।

उदाहरण के लिये कलकत्ते में बढ़ती हुई बेकारी को ध्यान में रखते हुए, यदि आप पटसन उद्योग का वैज्ञानिकन करेंगे तो इस का परिणाम बड़ा भयंकर होगा ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व सन्थाल परगना) : परन्तु क्या यह उद्योग विश्व की प्रतिद्वन्द्विता का सामना कर सकेगा ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : जूट के सम्बन्ध में जूट संस्था के सभापति की गार्डिनर ने अपने अन्तिम भाषण में कहा था कि यह कहना गलत है कि भारत में जूट की मशीनें अकुशल हैं ।

श्री वी० बी गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : किन्तु उन्होंने भी स्वीकार किया

है कि दूसरी मशीन पुरानी हो गई थीं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : बिल्कुल ठीक है । सर्वप्रथम हमें ऐसे विभागों का वैज्ञानिकन करना चाहिये जहां बिना बेकारी हुये वैज्ञानिकन हो सके ।

यदि आप उत्पादन जांच समिति के प्रतिवेदन को देखें तो आप को ज्ञात होगा कि अधिकांश सुझाव कार्य व्यवस्था के वैज्ञानिकन करने, योजना की कार्यान्वित का वैज्ञानिकन करने, रद्दी सामग्री के उपयोग का वैज्ञानिकन करने तथा बहुत सी दूसरी ऐसी वस्तुओं के वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में है जिन में स्वयंचालित मशीनों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है । इस ने श्रमिकों तथा उनके काम करने की अवस्था के सुधारे जाने की सिफारिश की है । यह किया जा चुका है जब कि देश को बढ़ती हुई बेकारी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसा वैज्ञानिकन नहीं करना चाहिये जिस से कि बेकारी उत्पन्न हो । हमें उत्पादन समिति की रिपोर्ट के उन भागों को लेना चाहिये जिन में लागत को कम करने के सुझाव दिये गये हैं ।

मेरी जानकारी यह है कि यदि आप उत्पादन समिति द्वारा सुझाये गये सुधारों को करेंगे तो १५ प्रतिशत लागत कम हो जायेगी । जूट तथा वस्त्र उद्योग इन वर्षों में बढ़ते रहे हैं । और यदि लाभ में कुछ कमी होगी तो उद्योग लड़खड़ा नहीं जायेगा । इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें करघों के स्वयंचालीकरण में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । मेरे माननीय मित्र ने वस्त्र उद्योग में बढ़ती हुई नौकरियों के आंकड़े दिये हैं, किन्तु उन्हों ने कुटीर उद्योगों में बढ़ती बेकारी की ओर ध्यान नहीं दिया है । कुटीर उद्योगों पर लगभग एक करोड़ व्यक्ति निर्भर है । यदि आप कहते हैं कि आप ने इस उद्योग में २००,००० व्यक्तियों को काम दिया तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि दूसरी ओर बेकार हुये लोगों की संख्या क्या है । इस के कोई आंकड़े सांख्यिकायें नहीं हैं । मैं इस समस्या को आंशिक रूप से नहीं देखना चाहता हूं किन्तु मैं इस को देश की कुल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर देखना चाहता हूं । मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप कलकत्ता के जूट उद्योग का स्वयंचालीकरण करें तो ऐसा आप बिना क्रान्ति किये नहीं कर सकते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं इस सभा से वैज्ञानिकन की समस्या पर विवेकपूर्वक विचार करने का निवेदन करूंगा । वास्तव में बहुत अंशों तक यह समस्या मनोवैज्ञानिक है । श्रमिक दुखी तथा भयग्रस्त हैं यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि उद्योग के वैज्ञानिकन से कहीं श्रम के प्रति अन्याय न हो ।

उन्नत देशों यथा अमेरिका इत्यादि के श्रमिक संघ प्रविधिक सुधारों को आवश्यक समझते हैं तथा उस को प्रोत्साहित करते हैं, और उस को कार्यान्वित करने में भाग लेते हैं । वह समझते हैं कि लागत कम करने वाली योजनाओं में ही उन की भलाई है । मैं आशा करता हूं कि संघ के कर्मचारी भी अपना कर्तव्य पालन करेंगे । व्यवस्थापकों को भी अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । पहिले तो यही कि उन्हें विश्वास दिलाना चाहिये कि वे स्वयं कुशल तथा मितव्ययी हैं कम्पनी विधि के प्रवर समिति के अध्यक्ष के रूप में आप जानते हैं कि किस प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर यह दोषरोपण किया गया था कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मूल्य पर मोटे हो रहे हैं । वैज्ञानिकन के आवरण के नीचे यह सब नहीं होने देना चाहिये ।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

दूसरे उन्हें यथासम्भव अधिकाधिक लोगों को दूसरे कामों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि उपयुक्त काम न मिले तो उन्हें उचित प्रतिकर देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

अन्त में उन्हें अपने कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं से वैज्ञानिकन के लाभ का साझा करने में तत्परता दिखानी चाहिये।

हमें यह सुन कर प्रसन्नता है कि जे० आर० जे० टाटा ने अपने हाल ही के भाषण में कहा है कि वह श्रम के मूल्य पर वैज्ञानिकन नहीं करेंगे। माननीय मंत्री को हमें यह विश्वास दिलाना चाहिये तथा आश्वासन देना चाहिये कि इस वैज्ञानिकन का उद्देश्य पूंजीपतियों की जेब भरना नहीं है और आगे चल कर पूंजी तथा श्रम, प्रबन्ध व्यवस्था तथा उद्योग तथा सर्वसाधारण को लाभ होगा। वैज्ञानिकरण के लिये कुछ अंशों में एक विरोध है तथा यह उस मध्य कालीन विश्वास पर आधारित है कि उद्योग के यन्त्रीकरण से बेकारी बढ़ेगी। वास्तव में औद्योगिक क्रान्ति से ही इंगलैंड अर्थसम्पन्न बना। अमेरीका में महानतम वैज्ञानिकन १९३९ से १९५० तक हुआ तथा निर्माता उद्योगों में उत्पादन सत्तर प्रतिशत बढ़ गया तथा आधी शताब्दी में ही उस देश में काम पर लगे हुए व्यक्तियों की संख्या १८० लाख से बढ़ कर ६०० लाख हो गई।

इस से यद्यपि अस्थायी रूप से कुछ कष्ट अवश्य होगा परन्तु अन्ततः यह श्रम तथा पूंजी तथा जनता के लिये लाभकारी होगा। मशीनों ने बहुत बड़े अंश तक आधुनिक देशों की बेकारी की समस्या को हल किया है। संभव है कि सीमित अस्थायी बेकारी हो जाये तथापि मुझे पूरा विश्वास है कि अन्त में इस से देश का हित ही होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री त्रिपाठी ने कहा है कि जूट उद्योग में वैज्ञानिकन होने से क्रान्ति हो जायेगी। बंगाल से आया होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे साम्यवादी मित्र शायद कुछ झगड़ा बखेड़ा खड़ा करें परन्तु हम जानते हैं कि क्रान्ति जैसी कोई बात नहीं होगी।

कलकत्ता के जूट उद्योग में वे वैज्ञानिकन के लिये ५० करोड़ रुपये व्यय करना चाहते हैं परन्तु इतनी पूंजी उपलब्ध नहीं है। समस्त वस्त्र उद्योग में वे ३५० करोड़ रुपये व्यय करने का विचार कर रहे हैं तथा यह धनराशि भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिये इस का प्रभाव उद्योग के एक कोने पर ही पड़ेगा और बड़े पैमाने पर कोई बेकारी नहीं होगी। दूसरी ओर निर्यात के बाजार की हानि होने पर बहुत अधिक बेकारी हो जायेगी।

इसलिये हमें तथ्यों का सामना करना है। आप उस समय तक विश्व में प्रथम श्रेणी के औद्योगिक राष्ट्र नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप अपनी पुरानी अकुशल मशीनों को छोड़ न दें। इस कारण यह उचित समय है कि हम वास्तविकता का सामना करें तथा समस्या को उपयुक्त, वैज्ञानिक विवेकपूर्ण तथा राष्ट्रीय ढंग से सुलझायें :

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व) : सभापति जी, मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय की समझ में हिन्दी अच्छी तरह से आयेगी नहीं, फिर भी यह इरादा मैं ने कर लिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में ही बोला करूं। इस लिये मैं इस बार हिन्दी में ही बोल रही हूं। आशा है कि मंत्री महोदय मुझे क्षमा करेंगे। वैसे तो मैं बिल्कुल बोलचाल की हिन्दी बोलूंगी जिस में कि वह उन की भी समझ में आ जाये।

इस प्रस्ताव के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यहां पर दरअस्ल यह सोचा जा रहा था कि रेशनलाइजेशन जो है वह सरकार ही कर रही है। हमारे श्री चटर्जी जो कि विरोधी दल के हैं वह ऐसा नहीं सोच रहे थे। मुझे भी ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती। आज के भाषणों को सुनने के बाद से कोई इन्सान जो कि एक ऐसी आर्थिक दशा में विश्वास करता है जिस आर्थिक दशा का ढांचा एक योजना के ऊपर निर्भर हो जैसे हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना बनाई है, आगे और भी योजनायें बनायेंगे और बन रही हैं, वह अवश्य उम्मीद कर सकता है कि बराबर हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हम लोगों को काम दे सकेंगे और लोगों की जिन्दगी के ढर्रे को भी ऊंचा उठा सकेंगे। और अगर लोगों को यह विश्वास न हो कि पांच दस वर्षों की योजना के बाद भी हम अपने भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे, तो फिर वह योजना योजना नहीं रह जाती। इसलिये यह कहना जैसे कि हमारे त्रिपाठी जी ने कहा है कि हमारे पास आज कोई उपाय नहीं है जिस से कि हम लोगों को काम दे सकें, गलत है। हम को इस सम्बन्ध में अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिये। यह ठीक है कि हर इन्सान अपने तजुर्बों से ही होशियार होता है। खेत के अन्दर हलवाहा हल चलाता है, उस के लिये किसी तरह की डिगरी की जरूरत नहीं है। अगर कोई इन्सान बी० ए० पास कर के, एम० ए० पास कर के हल चलाने के लिये जाये तो वह चला नहीं सकेगा। यह मामूली सी बात है, इस में दिमाग के लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी पंचवर्षीय योजना में हम सब काम नहीं कर सके हैं, या हम बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सके हैं, तो इस का मतलब यह नहीं कि आज जो बेकारी की समस्या है वह कल भी रह जायेगी। हम अपने अनुभवों से शिक्षा ले कर उपाय करेंगे और करने भी चाहियें।

जहां तक रैशनलाइजेशन का सवाल है बहुत से भाइयों ने इस के खिलाफ कहा। मैं ने त्रिपाठी जी के भाषण को भी सुना उन्होंने इस के खिलाफ दो चार बातें कहीं और वह समझ में आने वाली बात है। ऐसी बातें आज कल जो मजदूर वर्ग है उन के दिमाग में रहती हैं और एक मजदूर वर्ग के नेता होने की हैसियत से उन का कर्तव्य हो जाता है कि वह इन बातों को सभा के सामने रखें। पर बात यह है कि मजदूर वर्ग में आज जो यह डर है वह कहां तक उसूलों पर निर्भर है? जैसा आज हमारे चटर्जी साहब ने कहा कि वह एक साइकोलाजिकल डर हो गया है, एक दिमागी डर हो गया है, देश में एक इस तरह की हवा पैदा हो गई है। यह बेकारी की समस्या इतने वर्षों से देश में चारों तरफ छाती जा रही है और बिना सोचे समझे बेकारी का नाम सुन कर हम हाहाकार करने लगते हैं और थरथरा उठते हैं। कोई यह नहीं सोचता है कि प्लान्ड इकानोमी के साथ बेकारी नहीं आ सकती है।

हमारे देश में जहां तक जूट और कपड़े के उद्योगों का सवाल है, रैशनलाइजेशन की जरूरत फिलहाल दोनों ही उद्योगों में महसूस की जा सकती है क्योंकि इन दोनों उद्योगों को अपने को चलाने का मौका नहीं मिला। जब से यह उद्योग धंधे हमारे देश में आये बराबर उन को सरकारी सहायता मिली, देश के अन्दर उन को फलने फूलने का मौका दिया गया। कपड़े के उद्योग के लिये तो यह कहा गया कि हम अपने ही घर की चीजें इस्तेमाल करें। इस लिये उस को कभी अपने माल को बाजार में भेजने और बाजार भाव से बढ़ाने का मौका नहीं मिला। अपनी चीजों का दूसरे देशों की चीजों से मुकाबला

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

करने का मौका नहीं मिला । उस के बाद लड़ाई आई । उस के अन्दर क्या हुआ ? अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि सन् १९५१ में इस उद्योग को बहुत प्राफिट हुआ । प्राफिट हुआ लड़ाई की वजह से, न कि एफिशिएन्सी की वजह से । यहां आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थीं जिन की वजह से इतना प्राफिट हुआ । वह इसलिये नहीं हुआ कि हमारे उद्योगों में पहले से अधिक एफिशिएन्सी आ गई थी । मैं आप को आंकड़ें देकर बतलाती हूं कि हमारे यहां की ऐफिशिएन्सी दूसरे देशों के मुकाबले में कितनी है। अमरीका में एक आपरेटिव १५०० से ले कर २१०० स्पिन्डल तक चलाता है । जापान में १६०० से ले कर २००० स्पिन्डल तक चलाता है । वहां पर भी बेकारी की भीषण समस्या है और वहां पर इस लड़ाई के बाद सब कुछ बरबाद हो गया था, उन का घर ही बिल्कुल स्वाहा हो गया था, लेकिन वहां के फिगर्स को देखते हुए पता चलता है कि वहां पर हमारे यहां से ज्यादा एफिशिएन्सी है। एक आदमी १६०० से ले कर २००० तक स्पिन्डल चलाता है । इंग्लैंड में जहां पर अब भी बेकारी की समस्या मौजूद है दर असल आज कल इंग्लैंड और हिन्दुस्तान दो ही देश हैं जहां पर रैशनलाइजेशन की समस्या को ले कर बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ा जा रहा है वहां भी हम देख रहे हैं कि एक आदमी ८०० स्पिन्डल चलाता है । लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में एक आदमी सिर्फ ३८० स्पिन्डल चलाता है । यह तो रही स्पिन्डल के चलाने के बारे में ।

अब देखिये कि लूम्स एक आदमी कितने चलाता है । अमरीका में आटोमैटिक लूम्स हैं। वहां पर एक आदमी ६० लूम्स तक चलाता है । जापान में ३० से ले कर ४० आटोमेटिक लूम एक आपरेटिव चलाता है । इंग्लैंड में जितने आटोमैटिक लूम्स हैं वहां पर एक आदमी १४–१५ लूम्स चलाता है । लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में एक आदमी कितने लूम्स चलाता है, २ । आप सुन कर हैरान हो जायेंगे कि यहां पर एक आदमी सिर्फ दो आर्डिनरी लूम्स चलाता है । इस तरह की बातें हैं । कहां एक तरफ ६० लूम्स और कहां दूसरी तरफ दो लूम्स ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : वहां पर मजदूरी कितनी है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं उस पर भी आती हूं । इस उद्योग को पनपने की कोई गुंजाइश इस तरह से नहीं हो सकती । आप एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में तो बातें न करें, रैशनलाइजेशन के बारे में आप न सोचें । रैशनलाइजेशन का विरोध करना और एक्सपोर्ट मार्केट की बातें करना ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं । तुलसीदास जी ने कहा है :

"हंसव, ठठाव, फुलायव गालू.

कोई हंसे भी और यह भी चाहे कि मैं मुंह भी फुला लूं, तो यह दोनों बातें साथ साथ नामुमकिन हैं । इस तरह से आप का काम नहीं चल सकता है । अभी जापान को आप के यहां आने का मौका नहीं मिला है । अभी आप ने अपने यहां आर्टिफिशल कन्ट्रोल रक्खा है और आप को आप जितनी चाहें उतनी सुविधायें एक्सपोर्ट के लिये मिल सकती हैं, यह बात जरूर है, लेकिन फिर भी आप अपनी चीजों को दूसरों के मुकाबले में खपा नहीं सकेंगे । जब दूसरी जगहों की चीजें बाजार में आयेंगी तो आप उन से किस प्रकार से कहेंगे कि वे आप के मुकाबले में न आयें ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : कम्पिटीशन हो रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : त्रिपाठी जी कहते हैं कि वह कम्पीट कर रही हैं । में आंकड़े दे कर बताती हूं । आप देखिये कि पहिले हमारा कपड़ा इन्डोनेशिया में जाता था लेकिन जब जापान मार्केट में आ गया तो उस ने इन्डोनेशिया को सन् १९५३ में ३०३.२६ मिलियन यार्डस दिया, जहां कि १९५२ में १२५.८४ मिलियन यार्डस् दिया था । वहां हिन्दुस्तान की हालत यह है कि उस ने अपना कुल २७.५९ मिलियन यार्डस् कपड़ा भेजा । आखिर इतना कम कपड़ा क्यों भेजा ? इसी लिये तो कि आप मार्केट के कम्पिटीशन में दूसरों के मुकाबले में ठहर नहीं सकते । हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह से भविष्य में जो हमारे उद्योग धंधे हैं वह विदेशी मार्केट में जा कर बढ़ेंगे । वह कभी फैल नहीं सकते । जितने हैं उतने ही ठहर जायें तो यह बड़ी ग़नीमत की बात होगी । इस लिये यह सोचना कि हम बच कर चले जायेंगे और मैनेजमेंट को सुधार लेंगे, यह सोचना गलत है । त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर हम मैनेजमेंट को सुधार लें तो हमारा २०–२२ पर सेन्ट कास्ट आफ प्रोडक्शन बच सकता है । आप यह आंकड़े कहां से लाये हैं ? और यह राय कैसे कायम कर ली है ? जैसा कि आप कहते हैं कि मैनेजमेंट में खराबी है । हम अगर मान भी लें कि उन में खराबी है तो भी उस से कोई फर्क नहीं पड़ता है । वहां के जो काम करने वाले हैं उन को आप कुछ रुपया कम भी दे दें, लेकिन जो मशीनरी की प्राइस है उस में आप कैसे बचत करेंगे ? मशीनरी के बदलने में आप किसी तरह की बचत या रोकथाम नहीं कर सकते हैं । रहा मैनेजमेंट का सवाल जिस के बारे में उन्हों ने कहा कि मनेजमेंट के खर्चे को कम करना चाहिये । तो मैनेजमेन्ट पर कुल खर्चा ०.९२ प्रतिशत आता है । हम ने माना कि आप मैनेजमेन्ट का खर्चा कम कर रहे हैं, जैसा कि श्री गाडगिल ने कहा कि मैनेजमेंट के खर्चे को कम किया जाये, लेकिन हम कितना कम कर सकते हैं ? क्या इस से हम रैशनलाइजेशन की कमी को पूरा कर सकेंगे या मिल की कमियों को पूरा कर सकेंगे ? इसलिये मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती ।

एक बात जरूर है कि जहां तक हमारे मंत्री महोदय का सवाल है उन के सामने अनएम्पलायमेंट का बड़ा भारी प्राबलम है जो कि आज देश में बड़ा प्राबलम बना हुआ है । इस की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है । आज मजदूरों की आवाज बहुत जोर की है । जो खेती बारी करने वाले हैं उन की अवाज तो नक्कारखाने में तूती की आवाज़ के समान है । उस को कोई सुनता ही नहीं । हां मजदूरों की आवाज में आज ताकत है और इसीलिये उन की आवाज सुनी जाती है । मैं मंत्री जी से कहूंगी कि वे रैशनलाइजेशन जरूर करें लेकिन इस को बहुत धीरे धीरे ले चलें क्योंकि इस धीरे धीरे चलने में हमारे साथी भी हमारे साथ रहेंगे । दिल्ली में जो १९५१ में एग्रीमेंट हुआ था उस में जो लेबर के नुमायन्दे आये थे उन्हों ने इस बात को स्वीकार किया था कि रैशनलाइजेशन हो, लेकिन कुछ बातों को मान कर चला जाये । जैसे मान लीजिये कि कोई आदमी रिटायर हो रहा है, या कोई बूढ़ा हो गया है, या किसी की मौत हो गई है तो उस की जगह किसी दूसरे को एम्पलाय न किया जाये और वहां उस की जगह आटोमेटिक लूम से काम लिया जाये ।

बस मुझे इतना ही कहना था ।

श्री तुषार चटर्जी : मैं आप के सामने जूट उद्योग के जो तथ्य रखूंगा उन से सिद्ध

[श्री तुषार चटर्जी]

हो जायेगा कि यह वैज्ञानिकन की नीति जिस का सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा समर्थन किया जा रहा है कितनी भयंकर है ।

यह कहा जाता है कि मशीनों का आधुनीकरण तथा वैज्ञानिकन उद्योग की प्रतियोगीय सामर्थ्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक है । मैं यह दिखाऊंगा कि किस प्रकार इस प्रतियोगिता की सामर्थ्य को नई मशीनों की सहायता के बिना भी बनाये रखा जा सकता है । क्या जूट उद्योग की स्थिति ऐसी है कि वह घाटे पर चल रहा है ?

किन्तु मैं कुछ आंकड़े रखूंगा जो 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' से लिये गये हैं । यदि हम १९३९ के लाभ के आंकड़ों को १०० मानें तो १९४८ में लाभ ३६१ था १९५० यह ४५६ तथा १९५१ में यह ६७९ था । इस बीच लाभांश बढ़े और कुछ कुछ मामलों में तो वह तीन गुने हो गये । उप वाणिज्य मंत्री के १६-५-५४ के वक्तव्य में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जूट उद्योग ने मार्च १९५४ के महीने में अधिकतम निर्यात किया था । प्रश्न यह है कि हम यह कैसे समझें कि यह उद्योग अचानक ही एक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में आ फंसा है कि जब तक आधुनिक मशीनें, जिन के परिणाम स्वरूप लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे, नहीं लगाई जायेंगी यह सारा उद्योग एक दो वर्ष में नष्ट हो जायेगा । सरकार की ओर से यह तर्क किया जा सकता है कि हाल ही में जूट जांच आयोग ने जूट उद्योग की अवस्थाओं को देख कर उन्होंने वैज्ञानिकन का समर्थन किया था तथा उस ने कहा था कि वैज्ञानिकन किये बिना यह उद्योग निर्बाध गति से नहीं चल सकता है । किन्तु हम इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं । क्योंकि आयोग ने अपनी जांच का संचालन नितान्त एक पक्षीय हो कर किया है । प्रतिवेदन को पढ़ने से ज्ञात होता है कि आयोग के समक्ष सार्वजनिक तथा श्रमिकों के हितों के लिये साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी गई थी । दस पन्द्रह वर्षों से केवल श्रमिक संगठन ही नहीं प्रत्युत सार्वजनिक संस्थाओं ने भी यही राय अभिव्यक्त की है कि मिल मालिक अत्याधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं । केवल बंगाल में ही नहीं प्रत्युत भारत के दूसरे भागों में भी यह मांग की गई है कि इन जूट मिलों की निपक्षीय जांच होनी चाहिये जिस में श्रमिकों, मिल मालिकों तथा सरकार के हितों को प्रतिनिधित्व हो । उस जूट मिलों के हिसाब किताब तथा आर्थिक स्थिति की जांच करनी चाहिये ।

हमें देखना चाहिये कि वास्तव में जूट मिलों में हो क्या रहा है । जहां नई मशीनें लगाई गई हैं केवल वहीं नहीं बल्कि जहां नई मशीनें नहीं लगाई गई हैं वहां भी छंटनी की जा रही है और यह छंटनी बढ़ती ही जा रही है । कई प्रकार के बहाने बना कर श्रमिकों की निरन्तर छंटनी की जा रही है । जिससे कार्यभार बहुत बढ़ गया है । अस्थायी मजदूरों की संख्या बढ़ाई जा रही है । इन सब चीजों से यह समझा जाना चाहिये कि जूट उद्योगपति वैज्ञानिकन की नीति उद्योग को सुधारने के निमित्त नहीं किन्तु केवल अधिक लाभोपार्जन के लिये काम में ला रहे हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : बजट पर सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देते हुए अर्थ मंत्री ने कहा था कि :

"अस्थायी रूप से विस्थापित श्रमिकों की मुसीबतें दूर करने के लिये यथासम्भव सब कुछ किया जाना चाहिये उन्हें कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिये जिस से टैक्नीकल प्रगति रुक जाये तथा नौकरी की बढ़ौतरी अवरुद्ध हो जाये" ।

वैज्ञानिकन के प्रति इस निर्देश से देश को इस मामले पर चर्चा करने का एक अवसर मिला तथा इस से सभी पक्षों तथा क्षेत्रों में चर्चा उत्पन्न हुई । सभा के इस सत्र में बोलने वाले सभी मित्रों ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखने को कहा है, परन्तु प्रश्न यह है कि विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है क्या ? हमारे देश के लिये सब से अच्छी नीति यह है कि हम औद्योगिक संगठन के एक उचित सूत्र का पता लगायें जिस से हमें अधिकतम उत्पादन तथा अधिकतम काम प्राप्त हो । इसलिये हमें यह पता लगाना है कि इस समय हमारे पास वस्त्र तथा जूट मिलों में जो मशीनें हैं वे हमारी अवस्थाओं के अनुकूल हैं अथवा हमें उन्हें बदलना है । प्रश्न केवल यही है कि क्या पुरानी मशीनरी से काम ले सकते हैं अथवा हमें अपनी मशीनरी के स्थान पर नई मशीनरी लगानी पड़ेगी ।

इस तथ्य की अवहेलना नहीं की जा सकती है कि इस आधुनीकरण से श्रम विस्थापित हो जायेगा । प्रश्न यह है कि एक ओर श्रम का विस्थापन है तथा दूसरी ओर इस आधुनीकरण से उपलब्ध लाभ है, क्या यह एक दूसरे को संतुलित करेंगे अथवा विरोधी हो जायेंगे । इस के लिये में यह अनुभव करता हूं कि यदि विस्थापित श्रमिकों को प्रयाप्त सुरक्षण दिया जाये, चाहे यह सरकार की ओर से हों अथवा उद्योग की ओर से हो, तो वैज्ञानिकन किया जाना वांछनीय है । हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि यदि हम वस्त्र उद्योग का वैज्ञानिकन करेंगे तो कुल २,००,००० श्रमिकों में से १,८०,००० श्रमिक विस्थापित हो जायेंगे । यद्यपि विस्थापन होगा तथापि इस की समस्या गम्भीर नहीं होगी । दूसरी ओर उत्पादन की लागत में निश्चित रूप से कमी होगी ।

कहा जाता है कि व्यापार व्यवसाई किसी व्यक्ति ने कहा था कि उत्पादन मूल्य में कमी नहीं होगी । वह पहले ही यह आश्वासन चाहते हैं कि यदि वैज्ञानिकन के परिणामस्वरूप उत्पादन मूल्य में कमी हो भी जाये तो लाभ उन्हें मिलेगा पर बताने का भार श्री त्रिपाठी अथवा अन्य सदस्यों पर ही इसे छोड़ा जाता है कि यदि उत्पादन मल्य में कमी होती है तो इस से उपभोक्ता का सुविधा होगी और यह लाभ मिल मालिकों की जेबों में नहीं जायेगा । इस का यह अर्थ नहीं है कि हम नवीनतम मशीनरी को काम में न लायें । प्रश्न केवल यही है कि लागत में हुई कमी उपभोक्ता को दे दी जाये । मुझे विश्वास है कि यदि उत्पादन मूल्य में यदि ९ पाई के हिसाब से ही कमी हुई तो ३,००० लाख गज का अधिक उपभोग होने लगेगा जिस से हमारे देश के लगभग आधा लाख श्रमिक सेवायुक्त हो जायेंगे ।

जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है, मेरे विचार में उस का वैज्ञानिकन अनिवार्य है, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में हमारे उद्योग की अवस्था बहुत शोचनीय है । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया आदि देशों के पटसन उद्योगों ने अभूतपूर्व उन्नति की है और वह निर्यात के सम्बन्ध में हम से बहुत आगे बढ़ गये हैं । इन देशों में पटसन उद्योग ने वैज्ञानिकन के कारण जो प्रगति की है, मैं उस के सम्बन्ध में आप के सामने कुछ आंकड़े रखूंगा ।

द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के पटसन उद्योग ने बहुत उन्नति की । सन् १९३८ में ८०,००० टन सूत का उत्पादन था, जो कि १९५१ में लगभग १,०१,००० टन हुआ । १९५२ में थोड़ा नीचे गिरा । १९३९ से पहले यह उद्योग केवल आंतरिक मांग ही पूरी करता था, परन्तु अब वह लगभग ३० हजार टन का निर्यात भी करता है, जिस से ४८०,४० लाख फ्रांकों की आय होती है । सन् १९५२ में अमरीका ने फ्रांस से लगभग ४० लाख

[श्री भागवत झा आज़ाद]

डालर का पटसन खरीदा था। हमारे साथ हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान भी कड़ी प्रतियोगिता कर रहा है, परन्तु अब तो फ्रांस भी चित्र में आ गया है।

पटसन उद्योग में, लम्बे टुकड़ों से सीधे कताई करना एक नवीनतम आविष्कार है। ४,००० चक्कर प्रति मिनट लगाने वाला १०० तकलों का यंत्र पहले के "रोब स्पिनिंग" की तुलना में अधिक लाभकारी और तीव्र गति से कार्य समाप्त करने वाला यंत्र है। इसे सुविधा से चलाया जा सकता है। मार्टिन आटोमेटक का प्रसार जर्मनी से हुआ और अब सारे पटसन उत्पादन करने वाले देशों में इस का प्रसार होता जा रहा है। इसलिये जितना शीघ्र ही हम अपने इस उद्योग का वैज्ञानिकन कर लेंगे उतना ही हमारे लिये लाभदायक होगा।

हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान भी इस सम्बन्ध में दिन रात प्रगति किये जा रहा है।

मेरा विचार है कि यदि हम अपने उद्योगों के वैज्ञानिकन में तनिक भी विलम्ब करेंगे, तो हमारे देश का पटसन फ्रांस, जर्मनी, और पाकिस्तान आदि की दया पर रह जायेगा। हम ने देख लिया है कि फ्रांस जैसा देश भी जो सन् १९३८ में अपने देश की आन्तरिक मांग ही पूरी करता था, आज विदेशों को निर्यात कर रहा है। अतः वैज्ञानिकन अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु हमें इस के परिणामस्वरूप सेवामुक्त होने वाले श्रमिकों का भी संरक्षण करना है और वह अवश्य ही किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: श्री एल० एन० मिश्रा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लेंगे और पुराने तर्कों को नहीं दुहरायेंगे।

श्री एल० एन० मिश्रा : (दरभंगा व भागलपुर) : मैंने श्री पुनूस के भाषण को पढ़ा है, परन्तु जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है मैं उसे समझ नहीं सका हूं। पहले वक्ता ने पटसन के वैज्ञानिकन का समर्थन किया है और मैं भी केवल पटसन उद्योग के सम्बन्ध में ही बोलूंगा।

आय व्ययक के समय भाषण देते हुए श्री त्रिपाठी ने पटसन उद्योग के वैज्ञानिकन का विरोध करते हुए, हमें कलकत्ता में काम करने वाले बिहार के सदस्यों श्रमिकों को ध्यान में रखने के लिये कहा था, परन्तु आज मैं उन से कहता हूं कि बंगाल में लाखों बिहारी कृषक पटसन की खेती करते हैं और यदि पटसन उद्योग ठप्प हो गया, तो उनका क्या होगा? माननीय मित्र कुछ औद्योगिक श्रमिकों की ही चिन्ता कर रहे हैं और उन लाखों कृषिकों की चिन्ता उन्हें नहीं है। हमें पटसन उद्योग का वैज्ञानिकन अवश्य करना है। यह केवल इसलिये ही नहीं करना कि उत्पादन में वृद्धि हो, बल्कि हमें तो उत्पादन मूल्य में भी अवश्य कमी करनी है। कुछ समय पहले वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन हमारे सामने रखा था। यद्यपि मैं उसकी सारी प्रस्थापनाओं को स्वीकार नहीं करता हूं, परन्तु फिर भी वैज्ञानिकन की प्रस्थापना को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने भी यह कहा था कि भारत अपनी वर्तमान व्यापारिक मंडियों को केवल तभी स्थिर रख सकता है, जबकि वह पटसन के उत्पादन मूल्य में पर्याप्त कमी करे और अपने उद्योग का वैज्ञानिकन करे।

हमें अन्य देशों से बहुत गम्भीर प्रतियोगिता का सामना करना है। पाकिस्तान से भी हमें प्रतियोगिता करनी है। इस समय पाकिस्तान में ६,००० करघे हैं और अगले वर्ष ७२०० और बढ़ाये जाने की योजना है।

साथ ही साथ वह काम की तीन पालियां करना चाहता है । नवीनतम मशीनरी लगा कर पाकिस्तान हमें विश्व व्यापार केन्द्र से बाहर धकेलने का प्रयत्न करेगा । पुरानी मशीनरी का एक करघा इस समय ३·४ अथवा ४·४ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है परन्तु वैज्ञानिकन के पश्चात् इसके लिये केवल २·७ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी । इससे मूल्य में १५ प्रतिशत कमी हो जायेगी, और इस मूल्य को लाभांश की मात्रा को सीमित करके और भी कम किया जा सकता है । अब केवल पूंजी प्राप्त करने की कठिनाई रह जाती है । ६५,६८ करोड़ रुपया तो लगाया जा चुका है अब केवल ४० करोड़ रुपये की और आवश्यकता है । यदि ४० कराड़ को १० वर्षों में विभक्त करके लाभांशों की कोई निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाये तो यह पूंजी भी उपलब्ध हो सकती है । जहां तक श्रमिकों के सेवामुक्त होने का प्रश्न है; मैं श्रम नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वह पटसन उद्योग की स्थिति पर ध्यान दें । यदि वैज्ञानिकन न हुआ, तो हम अपने इस उद्योग को नष्ट कर देंगे । यह वस्त्र उद्योग से पूर्णतयः भिन्न है । वस्त्र उद्योगों का अधिकांश उत्पादन का हम स्वयं ही उपभोग करते हैं, परन्तु पटसन उद्योग का ९०–९५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है । यह तो विदेशी बाज़ार की स्थिति पर निर्भर है । इस समय पटसन उद्योग की स्थिति बड़ी ही अस्थिर है । इसे बचाने के लिये वैज्ञानिकन अतिशय आवश्यक है । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : विचाराधीन प्रश्न को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है; पहला, क्या वैज्ञानिकन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है ? और दूसरे क्या यह अनावश्यक है ? मैं इस पर पहले दृष्टिकोण से विचार करूंगा । मेरे विचार में पटसन उद्योग में कुछ वैज्ञानिकन अवश्य होना चाहिये । पटसन ही हमारे निर्यात की एक मुख्य वस्तु है । आज अन्य देश हमारे साथ पटसन में बड़ी प्रतियोगिता कर रहे हैं । ब्रिटेन और पाकिस्तान में भी वैज्ञानिकन किया जा रहा है । इन परिस्थितियों में, यदि हम अपने पटसन उद्योग को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें वैज्ञानिकन अवश्य ही करना होगा । इससे केवल कताई विभाग पर ही प्रभाव पड़ेगा । दूसरे वैज्ञानिकन इस लिये भी सम्भव है कि हमें एक टन निर्माण पर लगने वाले समय को ३२० घंटों से कम कर के ९० घंटे तक करना है । इस पर हमने गम्भीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि पिछले चौदह वर्षों में इस उद्योग में केवल १४ अर्थवा १६ प्रतिशत वैज्ञानिकन हुआ है । वैज्ञानिकन की यह गति बड़ी मन्थर है । क्योंकि यह उद्योग निर्यात वस्तुओं का निर्माण करता है इसलिये इसका वैज्ञानिकन आवश्यक है । किन्तु वस्त्र उद्योग के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता है । वैज्ञानिकन के प्रश्न पर विचार करते हुए हमें प्रविधिक और संगठन सम्बन्धी समस्याओं पर भी विचार करना होगा ।

मैं रूई तथा वस्त्र उद्योग के कार्यकारी दल का सदस्य रह चुका हूं और हमने इस उद्योग के प्रबन्धकों की अकार्य कुशलता के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा है । वैज्ञानिकन पर विचार करते समय हमें प्रबन्धकों की कार्यपटुता का भी ध्यान करना होगा ।

वस्त्र उद्योग में ५० प्रतिशत करघे पुराने हैं और श्री गाडगिल के अनुसार ९० प्रतिशत मशीनरी भी पुरानी है और बहुत चल चकी हैं । इसलिय यह अवसर हमारे इस उद्योग के पुनर्संगठन किये जाने का है । जहां तक पटसन का सम्बन्ध है उसके विषय में हमें एक अलग दृष्टिकोण से विचार करना है । हमें पटसन में विदेशों से प्रतियोगिता करनी है लेकिन वस्त्र उद्योग तो आन्तरिक मांग पर ही निर्भर है ।

[श्री अशोक मेहता]

हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन ने हमें सिखाया है कि हम वस्त्र उद्योग का निकेंद्रीकरण करें। जैसा कि श्री चटर्जी ने कहा है, वैज्ञानिकन कोई मनोवैज्ञानिक प्रश्न ही नहीं है बल्कि सामाजिक भी है। अतः हमें यह विचार करना है कि हम अब किस प्रकार का समाज चाहते हैं? मुझे यह सुन कर आश्चर्य हूआ कि कई सदस्य इस देश को विशाल औद्योगिक देश का रूप दिये जाने के लिये कह रहे हैं। क्या हमें अपने समाज का ढांचा पश्चिम का अनुकरण करके बनाना है, अथवा हमें उसे अपना ही कोई रूप देना है? इसलिये इस बारे में मेरा तो यह मत है कि वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण होना चाहिये। हमें वस्त्र उद्योग में वैज्ञानिकन नहीं करना चाहिये, बल्कि ऐसे करघे चलाने चाहिये जिन्हें छोटे छोटे लोग चला कर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। हमें विद्युत शक्ति छोटे कारीगरों को देनी चाहिये। श्री विनोबा जी ने मुझ से अभी हाल ही में कहा था कि विद्युत शक्ति के दिये जाने से उन्हें प्रसन्नता हुई है, परन्तु उनका यह विचार था कि विद्युत शक्ति बड़े बड़े लखपतियों को न दी जाकर छोटे श्रमिकों को दी जाये जिससे कि वह अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकें।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्न के पश्चात् दूसरा स्थान वस्त्र का ही है। स्वर्गीय श्री दादाभाई नौरोजी, रमेशचन्द्र दत्त, और गांधी जी के समय से ही हम वस्त्र उद्योग को अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था रूपी वस्त्र का एक महत्वपूर्ण धागा मानते आये हैं।

परन्तु बहुत से लोग हमारे नेताओं के उन विचारों को भूल चुके हैं। वस्त्र उद्योग का प्रयोजन पटसन उद्योग के प्रयोजन से सर्वथा भिन्न है। हमें पश्चिम का अनुकरण नहीं करना है। हमारे उष्ण जलवायु वाले देश में तो वस्त्र की मांग सीमित है और होनी भी चाहिये। मेरे विचार में वस्त्र उद्योग का निकेन्द्रीकरण होना चाहिये। इसके कताई विभाग में वैज्ञानिकन की कोई आवश्यकता नहीं है। पटसन उद्योग में भी केवल कताई विभाग म ही वैज्ञानिकन की आवश्यकता है। अतः वस्त्र उद्योग में वैज्ञानिकन का विचार पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिये।

सरकार को भी इस पर सामाजिक दृष्टि से विचार करना चाहिये और मिल मालिकों द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिये।

मैं केवल यह कह कर समाप्त करूंगा कि वैज्ञानिकन के प्रश्न पर सामाजिक एवं आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से विचार किया जाये। मैं यह प्रार्थना भी करूंगा कि जो बात पटसन उद्योग के लिये सत्य है वह वस्त्र उद्योग के लिये सत्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को बुलाने से पहले मैं विशेष विवाह विधेयक के खंडवार से विचार के लिये आवंटित समय के सम्बन्ध में एक घोषणा करूंगा।

मैंने कहा था कि कार्यक्रम मंत्रणा समिति चार बजे समवेत होगी और इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम विनिश्चय करेगी। समिति ने खंडवार विचार के लिये यह कार्यक्रम निश्चित किया है :—

खंड ८—१४ : एक घंटा।

खंड १५—१८ तथा नये खंड १८क, १८ ख, और १८ग, जिनमें खंड १ भी सम्मिलित है : ४ घंटे।

खंड १९—२१ : तीन घंटे।

खंड २२—२५ : दो घंटे।

खंड २७, नये खंड २७क और खंड ३३ : चार घंटे ।

खंड २८—३२ : एक घंटा ।

खंड ३४—४०, अनुसूचियां, खंड २ और विधेयक का नाम दो घंटे ।

आवंटन में घोषित किये गये एक आनुषङ्गिक परिवर्तन के अनुसार तृतीय वाचन के लिये तीन घंटे के बजाये २ १/२घंटे का समय दिया जायेगा । यदि हम इसके लिये तीन घंटे रखते तो खंडवार विचार के लिये हमें आधा घंटा कम करना पड़ता । अतः कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने २ १/२ घंटे का समय ही रखा है । मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस प्रस्ताव पर सभा पर्याप्त समय से विचार कर रही है और यह सम्भव है कि यह भूल चुकी हो कि प्रस्ताव क्या था ।

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुए]

मैं सभा के सदस्यों के सामने उस प्रस्ताव को दुबारा पढ़ूंगा । श्री पुन्नूस ने, जिन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, कहा था :

> "इस सभा की यह राय है कि भारत के विभिन्न केन्द्रों में कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में लागू की जाने वाली वैज्ञानिकन करने की योजना, देश के लोगों के प्राण-भूत हितों के लिये हानि-कारक है"

श्रीमान्, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य के पश्चात् सभा के भिन्न भिन्न मत रखने वाले सदस्यों के भाषणों से यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो चुकी है कि सभा इस प्रकार के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है कि इस देश के वस्त्र व पटसन उद्योगों में वैज्ञानिकन की कोई योजना भी लागू न लाई जाये । मुझ बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने श्री अशोक मेहता को उठते देखा और उन्होंने इन दोनों उद्योगों का परस्पर अन्तर बतलाया । वह पटसन उद्योग में वैज्ञानिकन किये जाने का समर्थन करने के लिये तैयार हैं परन्तु वस्त्र उद्योग में नहीं । चलो, एक उद्योग के वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में ही समर्थन प्राप्त करने से कुछ न कुछ लाभ तो है ही । यह इतना तो स्पष्ट करता ही है, कि इस प्रकार का प्रस्ताव, जिसे इस सभा पर थोपे जाने का विचार है, एक ऐसा संकल्प है, जिसे सभा को अस्वीकार करना पड़ेगा ।

मैं समझता हूं कि सरकारी सदस्यों को आज सभा के समक्ष रखे गये संकल्प को रद्द करने के लिये कहना वांछनीय नहीं है । मैं यह अवश्य कहूंगा कि यद्यपि मैंने सब वक्ताओं के भाषण सुने हैं, किन्तु मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के अत्यन्त सुन्दर भाषण के सार को नहीं समझ पाया, क्योंकि उन्होंने ऐसी भाषा में भाषण दिया था, जिसे मैं समझ नहीं सका । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि भाषा का वैज्ञानिकन दक्षिण के राजनीतिज्ञों को बेकार कर देगा । यह अच्छी बात हो सकती है, परन्तु ऐसी बातें होती अवश्य हैं । देश की राजनैतिक व्यवस्था में जो प्रौद्योगकीय तथा अन्य परिवर्तन करने का विचार किया गया है, उनसे किसी न किसी प्रकार की बेकारी फैलेगी और मैं समझता हूं कि इसे रोका नहीं जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के इन राजनीतिज्ञों को सभा के इन वादविवादों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु इन्हें तो केवल मत देने वाली मशीनें के समान व्यवहार करना चाहिये । तब भी उन्हें मालूम होना चाहिये कि वे किस बात के लिये मत दे रहे हैं ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मैंने श्री पुन्नूस द्वारा ४५ मिनट तक दिये गये भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है । उस भाषण की एक बात जो मुझे पसन्द आई वह यह है कि वह इस बारे में अपने दल के उपनेता के विचारों से भतभेद रखते हैं कि आंकड़े झूठे होते हैं और अनुल्लेखनीय झूठ होते हैं । श्री पुन्नूस अपनी दलील का उन आंकड़ों के द्वारा पुष्ट करना चाहता है, जो बहुत अधिक गलत हैं । मैं समझता हूं कि यहां उचित है कि मुझे संकल्प के प्रस्तावक को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिये और कुछ आंकड़ों पर विचार करना चाहिये, यद्यपि उनके बाद बोलने वाले कुछ सदस्यों ने श्री पुन्नूस के कुछ वक्तव्यों पर अंशतः विचार किया है ।

श्री पुन्नूस ने पूछा है, कि यदि कपड़ा उद्योग में अभी भी अधिक उत्पादन चाहिये, तो बन्द की गई मिलों को पुनः चालू क्यों न किया जाये और सब मिलों द्वारा तीन पालियां चलाई जाकर सम्पूर्ण प्रतिष्टापित क्षमता का पूर्ण उपयोग क्यों न किया जाये । मैंने बहुत साधारण जांच के बाद यह अनुभव किया है कि हमारे देश में लगभग ६३ मिलें बन्द होने के समीप हैं क्योंकि उनकी मशीनरी पुरानी हो गई है और टूट फूट चुकी है ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

सन् १९५३ में १६ मिलें बिल्कुल बन्द रहीं । तेरह मिलें अंशतः बन्द रहीं । उनमें से अधिकतर इसलिये बन्द रहीं कि उनकी मशीनरी टूटी फूटी और पुरानी थी । ऐसी अवस्था में मैं श्री पुन्नूस का सुझाव सुन कर प्रसन्न हुआ कि मिलों को तीन पालियां चलानी चाहियें । मेरी समझ में नहीं आया कि श्री पुन्नूस के इतने बहुमूल्य सुझाव को उसके दल के सदस्यों द्वारा जो कानपुर के मजदूर संघ से सम्बन्धित हैं जो तीन पालियां चलाये जाने और इसी कारण रविवार को मिलों के चलाये जाने का विरोध करते हैं, क्यों स्वीकार नहीं किया गया है ।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि गत २० वर्षों से किसी न किसी रूप में कपड़ा उद्योग में वैज्ञानिकन का कार्य हो रहा है, किन्तु कपड़ा सस्ता होने का कोई उदाहरण नहीं है । उन्होंने सन् १९४८ और १९५३ के आंकड़ों का उल्लेख किया । वह केवल इतना कहना भूल गये कि सन् १९४८ के पश्चात् मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है । आंकड़ों सम्बन्धी अवतरण दर्शाता है—सरकार द्वारा मोटा कपड़ा तयार किया जाता है और इसलिये किसी मात्रा तक यह सूचना ठीक नहीं है जैसा कि श्री एच० एन० मुकर्जी कहेंगे—कि सन् १९४८ के देशना आंकड़े ४०४ थे, १९५१ में ४६८ थे और तब १९५२ में ४२३ और १९५३ में ४०४ हैं । साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि १९४८ में कपास का भाव पर्याप्त कम था । निम्नतम मूल्य ४२० रुपये था । सन् १९५० में कपास का अधिकतम मूल्य और २०० रुपये बढ़ गया था । अतः १९४८ और १९५३ के बीच कपास के मूल्य में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहा । इन मामलों में उनको नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि यह उनका काम नहीं है ।

श्री जी० डी० सोमानी ने श्री पुन्नूस द्वारा दिये गये आंकड़ों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये थे । मैं केवल अखिल भारतीय आंकड़े दूंगा, जो मेरे पास है । मई १९५१ में, ७८५,००० व्यक्ति सेवायुक्त थे, १९५२ में ८०७,००० और १९५३ में कमी हो गई और संख्या ८०१,००० या लगभग ८०२,००० रह गई । इसका कारण यह है कि लगभग २९ मिलें बन्द रहीं ।

उन्होंने कानपुर का निर्देश किया है, जिसके विषय में मैं बैठने से पहले एक या दो शब्द कहना चाहता हूं । श्री पुन्नुस अम्बालाल साराभाई प्रयोगात्मक स्वचालित करघे का उल्लेख किया था । इससे सम्बन्धित आंकड़े भी

गलत थे। उन्होंने कहा कि एक करघा शैड में २४४ करघे होते हैं जिसे २९ मज़दूर चलाते हैं। मुझे बतलाया गया था कि २९ की बजाय ४६ मजदूरों की आवश्यकता होती है। परन्तु उतने ही साधारण करघों के लिये २८२ मज़दूरों की आवश्यकता होगी न कि २४४ की।

श्री जी० डी० सोमानी ने श्री पुन्नूस की एक बात का उत्तर दिया है। यदि १८०,००० करघों को स्वचालित करघा बना दिया जाता, तो १८०,००० मज़दूर बेकार हो जाते। जैसा कि उन्होंने कहा है, केवल २० से २५ प्रतिशत तक को स्वचालित करघा बनाया जायेगा और ऐसा करने में कई वर्ष लगेंगे।

मैं श्री पुन्नूस के आंकड़ों में अधिक जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, किन्तु केवल पटसन सम्बन्धी आंकड़ों के विषय में कहूंगा कि पटसन उद्योग का जो चित्र उन्होंने खींचा है वह उस चित्र की अपेक्षा जो उन्होंने कपड़ा उद्योग के विषय में खींचा था, कुछ अधिक सन्देहयुक्त है। मुझे सनम्र कहना पड़ता है कि साम्यवादी दल ने अपना वक्ता गलत चुना था अथवा उसे ठीक ठीक विषय समझाया नहीं गया था। यह गलती है जो वह सदा नहीं करते हैं। पटसन उद्योग के विषय में उन्होंने कहा कि इस उद्योग में ३ १/२ लाख मजदूर सेवायुक्त हैं। यह गलत है। इसमें एक लाख से कम मज़दूर सेवायुक्त हैं। वैज्ञानिकन योजना यदि पूर्ण राज्य में कार्यान्वित की जाये तो श्री पुन्नूस के कथनानुसार ४०,००० व्यक्ति बेकार हो जायेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों विशेष कर बिहार से आने वाले सदस्यों ने कहा है वैज्ञानिकन में समय लगेगा, हो सकता है लगभग सात से दस वर्ष तक लग जायें और ऐसी सम्भावना नहीं है कि फजूल नाश के होते हुए भी, जो व्यक्ति बेकार होंगे, उनकी संख्या उस अवधि के अन्दर पर्याप्त होगी।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : यदि ३०,००० व्यक्ति बेकार कर दिये जायेंगे, तो क्या यह संख्या पर्याप्त नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह माननीय सदस्य की जांचने की क्षमता पर निर्भर है।

श्री के० के० बसु : यह आपके आंकड़े थे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह श्री पुन्नूस के आंकड़े थे। आंकड़ों के अनुसार, मार्च १९५२ में सेवायुक्त मज़दूरों की संख्या २१४,००० थी। भारतीय पटसन मिल संस्था के अनुसार यह संख्या २४६,००० थी। इस संस्था के मिलों में सेवायुक्त और अन्य मिलों में सेवायुक्त मजदूरों की कुल संख्या २७५,००० है। श्री पुन्नूस ने कहा था कि मई में संख्या ११९,००० थी। सम्भवतः यह गलती से २१९,००० की बजाय कहा गया है। मई में संख्या २४६,००० थी। यह आंकड़े हैं। मैं अधिक आंकड़े देकर सभा को थकाना नहीं चाहता हूं।

वास्तव में मेरा आशय यह है कि संकल्प इस प्रकार बनाया गया है कि चाहे सरकार का व्यवहार कैसा ही क्यों न हो, यह सरकार को कठिनाई में डाल देगा। दूसरे यह कतिपय स्थानों पर होने वाले कतिपय विरोध को भड़कायेगा। वास्तव में श्री पुन्नूस के कलकत्ता वाले मित्र पटसन मिलों के मज़दूर वर्ग में अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। उनके सदस्यों की संख्या, संघ के कुल सदस्यों की संख्या का २० प्रतिशत भी नहीं है। कुछ लोगों को इस कारण कष्ट झेलना पड़ेगा, ऐसी सम्भावना है। यह एक बात है। कानपुर के विषय में माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े दिये थे। वहां की स्थिति यह है कि अभी वहां वैज्ञानिकन आरम्भ करना है। यह सच है कि वहां मजदूरों में पर्याप्त असन्तोष है। यह बड़े दुर्भाग्य

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

की बात है, क्योंकि जब कि वहां मजदूरों में असन्तोष है तो कानपुर का मिल उद्योग भी बहुत शक्तिशाली है । यह कई कारणों से अशक्त है । इस का कारण यह भी हो सकता है कि उद्योग को अशक्त बनाने में मालिकों का अपना भी हाथ है । किन्तु इसका उत्तरदायी किसी विशेष व्यक्ति को बनाना कुछ कठिन है । मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री ने वहां हुए सम्मेलन में इस बात पर ज़ोर दिया था । वह बहुत ध्यान रखते हैं । मैं उनके नैनीताल के भाषण के कुछ उद्धरण दूंगा । चारों ओर फैली बेकारी की परिस्थितियों में पंत महोदय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सर्वाधिक महत्व की बात है कि वैज्ञानिकन की कोई योजना इस प्रकार से न बनाई जाये जिससे बेकारी की समस्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि हो । समस्त कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिये कि यथा सम्भव उन मज़दूरों में भी जिन्हें अस्थायी या स्थानापन्न कर्मचारी कहा गया है और अधिक बेकारी न हो ।

> "वैज्ञानिकन की योजना को सतर्कतापूर्वक बढ़ाया जाना चाहिये, किन्तु उचित ढंग के और केवल उसी मात्रा तक मज़दूरों की छटनी होनी चाहिये, जिसे कि वे सेवानिवृत्ति तथा प्राकृतिक नाश के कारण रिक्त होने वाले स्थानों पर सेवा-युक्त किये जा सकें ।"

यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । वास्तव में, मैं सभी श्रम संघों से अपील करूंगा जो उत्तरदायी हैं, कि वह कानपुर की इस समस्या को सुलझाने में सहायता दें । वास्तव में मैं अपने मित्र को सुझाव दे रहा था कि सब को एक साथ मिल कर इस समस्या को सुलझाना चाहिये । हम मालिक या कर्मचारी वर्ग के छोटे गुटों या व्यक्तिगत द्वेषों को सहन नहीं कर सकते हैं, जो किसी उद्योग को हानि पहुंचाते हैं, और जिन का अन्ततः यह अर्थ होगा कि मजदूर को अन्त में हानि उठानी पड़ेगी । आखिरकार, बेकारी के दिनों के लाभ और छटनी लाभ के साथ यदि कारखाने बन्द हो जायें तो मजदूरों की अपेक्षा मालिकों को बहुत कम कष्ट उठाने पड़ेंगे । मैं न केवल इस सभा के बल्कि बाहर के सब वर्गों से भी यह अपील करूंगा कि हमें अपने व्यक्तिगत पक्षपातों, पूर्वानुरागों तथा राजनीति को इस मामले से दूर रखना चाहिये और इस समस्या को, जिसे हल करना इस समय कठिन दिखाई देता है हल करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सरकार का मार्ग प्रदर्शन करने की कृपा की है । सरकार की नीति स्पष्ट रूप से यही है कि हम वैज्ञानिकन से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं । श्री अशोक मेहता ने जूट उद्योग के सम्बन्ध में इसे अत्यावश्यक बताया है । हमें यह देखना है कि इसकी क्रियान्विति में किन को हानि पहुंचेगी, और इसलिये एक सुयोजित योजना बनानी है । अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह कहना कि वैज्ञानिकन नहीं होगा एक गलत बात होगी । समस्या ऐसी नहीं है कि उसे व्यवस्थित न किया जा सके ।

जहां तक पुरानेपन का सम्बन्ध है हमारा औद्योगिक ढांचा एक दम जीर्ण हो गया है । इंजीनियरिंग क्षमता सर्वेक्षण समिति के सभापति ने मुझे बताया था कि उनके विचारानुसार हमारी मशीनें एकदम दकियानूसी हो चुकी हैं और हमें उनको बदलने की बात सोचनी चाहिये । अतः पुरानापन एक ऐसी समस्या है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । जहां तक स्वंगतिक करघों का सम्बन्ध है इस समस्या को हमें हल करना है । हम स्वयं-

गतिक मशीनों को असंयोजित रूप से संस्थापित किये जाने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि स्वयंगतिक करघों को आयात किया जाता है इसलिये सरकार कुछ सीमा तक नियंत्रण कर सकती है। परन्तु यह कहना, जैसा कि मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा है, कि किसी उद्योग विशेष का किसी प्रकार का वैज्ञानिकन केवल इसीलिये ही नहीं किया जाना चाहिये कि निर्यात की जाने वाली परिमात्रा नगण्य है। कपड़े को ही लीजिये। यदि हम प्रतिव्यक्ति खपत को एक गज़ बढ़ा दें तो ३६ करोड़ गज़ कपड़े की अधिक आवश्यकता होगी।

श्री अशोक मेहता : हाथ करघों की जगह आपको शक्ति चालित करघे लगाने पड़ेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह तो मैं जानता नहीं कि कानूनगो समिति क्या करेगी परन्तु यदि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करने दिया गया तो मैं तो यही करूंगा। बुनाई के विकेन्द्रीकरण पर मैं सहमत हो सकता हूं, परन्तु कई प्रकार की बुनाई का विकेन्द्रीकरण हो ही नहीं सकता है। निर्यात के लिये बनाये गये कपड़े का एक निश्चित मूल्य रखना होगा और हम लाखों करोड़ों गज़ कपड़ा निर्यात करने की बात सोच रहे हैं। इसमें हमें विकेन्द्रीकरण से सहायता नहीं मिलेगी। इंग्लैण्ड में यह उद्योग यहां के कहीं अधिक विकेन्द्रित है। हमें उसी नमूने पर काम करना चाहिये। कुछ दिनों के लिये हमें अपने बुनकरों को शक्तिचालित करघे दे देने चाहिये जिससे कि वह अपने घर पर आठ गज़ कपड़ा बुनने के १८ गज़ बुनें। इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता से मुझे कोई भी मतभेद नहीं है। हमारा भावी विकास इसी कार हो सकता है।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान मशीनों को बदला न जाये और जहां भी स्वयंगतिक मशीनों की आवश्यकता है वहां वह न लगाई जाये। श्री अशोक मेहता और हमें मिल कर इसके लिये कुछ करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि मज़दूर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बेकार न हो जायें। बेकारी को रोकने के लिये उद्योग को विकसित तथा विस्तृत करना आवश्यक है। हम एक प्रकार से औद्योगिक विस्तार के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं और इसलिये इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित करने के लिये मैं सदन के सभी दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहूंगा।

मेरे मित्र श्री बंसल ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उत्पादन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट से कुछ उद्धरण दिये थे। मैं भी उसी से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं।

> "अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३३वें सत्र के समक्ष प्रस्तुत की गई महा-निर्देशक की रिपोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया था : सुरक्षा अधिकतम उत्पादन से किस प्रकार संगत है। और इसका यह उत्तर दिया गया है :
>
> यदि "सुरक्षा" का निर्वचन यह किया गया है कि कोई कारीगर कभी भी अपनी नौकरी से अलग नहीं किया जायेगा तो....."

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) क्या मैं माननीय मंत्री को यह स्मरण करा दूं कि इसके बाद बाढ़ सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा होनी है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आज नहीं। वे मुझे कदाचित उस बात का स्मरण नहीं

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

करा सकते जिसका अस्तित्व ही न हो ।

उद्धरण इस प्रकार से चलता है :

"....ये दोनों बातें स्पष्ट रूप में असंगत हैं । वही अर्थनीति उच्च स्तर की उत्पादक अर्थनीति कहलाती है जो पूर्ति तथा उत्पादन की स्थितियों में परिवर्तन होने के साथ साथ शीघ्रता और कार्यक्षमता से बदलती रहे; जिसमें कम उत्पादक साधन पहले के उद्योगों और व्यवसायों से हट कर उन उद्योगों और व्यवसायों में काम आ सकें जहां वे अधिक उत्पादक हों; जिसमें उत्पादन और प्रबन्ध के सुधरे ढंग, उपलब्ध होते ही, काम में लाये जा सकें, और जो सभी कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों पर सुरक्षित रखे तथा अन्त तक उन्हें उन पर बनाये रखें : संक्षेप में, बहुत अधिक उत्पादक अर्थनीति मूलतः गतिशील अर्थनीति हुआ करती है । यों तो, यदि 'सुरक्षा' का यह अर्थ लिया जाये कि उत्पादन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उस काम के पारिश्रमिक की अदायगी करने में समाज का विश्वास बना रहेगा, और समाज इस बात को भी पक्का कर देगा कि जो व्यक्ति वर्तमान पदों पर काम करने के योग्य नहीं उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे समाज के लिए लाभकारी बन जायेंगे, तो....."

श्री आर० के० चौधरी : बहुत समय पहले इस संकल्प के लिए नियत समय समाप्त हो चुका है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, ४–४९ म० प० तक इस के लिए समय नियत किया गया है ।

.अन्य बातों में भी; तब अधिक उत्पादकता और सुरक्षा न केवल संगत है; बल्कि इस अर्थ में सुरक्षा एक ऐसी आवश्यक शर्त है जिस से उत्पादकता....बन सकती है ।"

मैं एक और कदम आगे बढ़ूंगा, और उक्त पुस्तक से एक और पदच्छेद उद्धृत करूंगा, जिसमें बताया गया है :—

"बेकारी बीमा जैसा बेकारी अनुतोष तो सरकार का मामला है ही, किन्तु एक उद्योग जिसमें शिल्प-व्यवस्था सम्बन्धी प्रगति शीघ्रता से हो रही है, और जिसमें बहुत-सा श्रम भी विस्थापित हो रहा हो, कई मामलों में, उन निधियों में अंशदान दे सकता है, जिसे बाद में विशेष मामलों में कठिनाइयों को दूर करने के काम में लाया जा सकता है ।"

मैं यह कह सकता हूं कि सरकार इस दिशा में विचार कर रही है । मैं यह रास्ता सुझाना भी चाहता हूं—मैं समझता हूं कि सभा मुझ से सहमत होगी—और वह यह है कि हम मामलों को व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में निब्रटा देंगे । मैं श्री० के० पी० त्रिपाठी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कोई बेरोज़गारी नहीं है । जब हम उस तरह के बेरोज़गारी बीमे का उपबन्ध नहीं कर सकते, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है—हां इतना हो सकता है कि हम इस स्थिति पर भी विचार करेंगे कि कामकर को कोई ऐसी प्रत्याभूति दी जा सके जिससे यह दरमाका न पड़े; और यह काम उन इकाइयों पर, जिनका नवीकरण हो चुका है, कर लगाने से एक निधि जोड़ने पर ही सम्भव हो सकेगा ।

अन्त में, संकल्प के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

एक माननीय सदस्य : संशोधनों का क्या होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री भागवत झा आज़ाद द्वारा प्रस्तुत संशोधन सख्या ६ सरकारी दृष्टिकोण के बिल्कुल निकट का है, किन्तु इस संशोधन को भी ज़रा संवारना

पड़ेगा। यदि प्रस्तावक मुझ से सहमत हों तो मैं चाहूंगा कि उसमें नीचे से दूसरी पंक्ति में "Providing reasonable safeguards" ("उचित संरक्षा प्रदान करने वाला") शब्द बदल दिये जायें। मैं इस पंक्ति को पढ़ कर सुनाता हूं। यदि इसमें 'safeguards' ('संरक्षा') के स्थान पर "facilities" (सुविधायें') रखा जाये तो सरकार को यह संशोधन स्वीकार होगा।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे इस प्रकार का परिवर्तन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं।

सभापति महोदय : श्री पुन्नूस द्वारा प्रस्तुत मूल संकल्प पर चार संशोधन हैं : संख्या १ श्री एस० एन० दास का, संख्या २ श्री अशोक मेहता का, संख्या ५ श्री डी० सी० शर्मा का और संख्या ६ श्री भागवत झा आज़ाद का है। कुछ शब्दों को छोड़ कर संशोधन संख्या १ और ६ एक से हैं। वे मूल संकल्प के स्थान पर प्रस्तुत किये गये हैं : अतः मैं उन्हें सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा। श्री एस० एन० दास सभा में नहीं हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम संशोधन संख्या १ को मतदान से अस्वीकार कर सकते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : श्री एस० एन० दास अभी अभी सभा में प्रविष्ट हुए हैं।

सभापति महोदय : क्या वे अपने संशोधन सख्या १ पर अनुरोध करना चाहते हैं ?

श्री एस० एन० दास (दरभंगा--मध्य) : मैं अनुरोध नहीं करता।

संशोधन, अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ६, जिसे सरकार स्वीकार करने को तैयार है, पढ़ कर सुना दूंगा।

"कि मूल संकल्प के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात् :--

'इस सभा की यह राय है कि कपड़ा तथा जूट उद्योगों में, जहां देश हित में आवश्यक हो, वैज्ञानिकन को प्रोत्साहन देना चाहिये; किन्तु ऐसी योजनाओं की कार्यान्विति इस तरह से विनियमित की जानी चाहिये कि जिससे इन उद्योगों में श्रमिकों का न्यूनतम विस्थापन हो और ऐसे विस्थापित श्रमिकों के सेवा--नियोजन के लिये युक्तियुक्त सुविधायें मिल सकें।' "

श्री के० के० बसु : क्या 'सेफगार्ड्स' ('संरक्षा') नहीं रखा जाएगा ?

सभापति महोदय : माननीय प्रस्तावक ने स्वयं इसको बदलने की स्वीकृति दी है।

श्री के० के० बसु : इस पर मत-विभाजन हो जाये।

सभापति महोदय ने श्री भागवत झा आज़ाद का उक्त संशोधन संशोधित रूप में, मतदान के लिए प्रस्तुत किया, जो स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : इस संशोधन के पारित होने से शेष दो संशोधन अवरुद्ध हो जाते हैं।

मूल संकल्प के स्थान में अब संशोधित संकल्प, जो पारित किया गया है, रखा जाता है।

बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिए आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : सभापति महोदय, ११ अगस्त को मेरे इस संकल्प की सूचना कार्यालय को मिली थी।

[श्री आर० के० चौधरी]

तब से ब्रह्मपुत्र नदी में काफी पानी बहता रहा । अतः मैं अपने संकल्प पर यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि डेढ़ करोड़ रुपये के बदले ढाई करोड़ रुपये की सहायता दी जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : आप संशोधित रूप में संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"इस सभा की यह राय है कि आसाम राज्य में इस वर्ष भयंकर बाढ़ के कारण सड़कों, पुलों, सरकारी और गैर-सरकारी भवनों को हुई क्षति को सुधारने तथा बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये आसाम राज्य सरकार को ढाई करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में तत्काल दी जाये ।"

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस संकल्प का उस कार्यवाही के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है जो भविष्य में कटाव को रोकने के लिए वहां की जाएगी । दीर्घकालीन उपायों के लिए मैंने पृथक् संकल्प की सूचना दी थी । इस संकल्प में मैंने सरकारी और गैर-सरकारी भवनों, राजमार्गों, और सड़कों की मरम्मत तथा बेघरबार बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए याचना की है ।

श्रीमान्, वगवती ब्रह्मपुत्र नदी ने वहां जो तबाही की है, वह वर्णन से बाहर है और उसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति भी नहीं हो सकती ।

सभापति महोदय : अभी सभा के स्थगित होने का समय है ।

[इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।]